राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ३]   तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का १०वां दिवस   [संख्या ९

बुधवार, दिनांक ६ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, जन-सम्पर्क, सार्वजनिक निर्माण, गृह, कृषि, विद्युत्, स्वायत्त शासन एवं यातायात-विभाग]

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री रामकिशन।

राज्य में चेचक की रोकथाम

१६४. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में चेचक की रोकथाम के लिये कितने बच्चों को वर्ष ६२-६३ में चेचक का टीका लगाया गया है ?

(२) क्या चेचक के टीके में दी जाने वाली दवाई का निरीक्षण कियां गया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ?

(३) क्या यह सत्य है कि चेचक का टीका ले लेने वाले बच्चों को भी चेचक का शिकार होना पड़ा है ?

(४) कितने बच्चे चेचक से मर गये हैं ?

(५) रोग की रोकथाम के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है और कब तक इस पर काबू पा लिया जायगा ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। वह सूचना उपलब्ध होने पर सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायगी।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, नोटिस में तो इसकी सूचना दी थी····

श्रीमती प्रभा मिश्रा: आपने सारे राजस्थान की सूचना मांगी है और उसको इकट्ठा करने में समय लगता है और उसकी सूचना आते ही आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री रामकिशन: तब तक तो यह रोग भी समाप्त हो जायगा और फिर इसका

Page No 2

(श्री रामकिशन)
महत्व क्या रह जायेगा, इसकी सफलता और असफलता का क्या रहा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): जो टोटल वेक्सीनेशन हुआ था इसकी सूचना पेश कर दी गई थी लेकिन एडल्ट और बच्चों को कितना हुआ, इसकी सूचना पंचायत समिति से मांगी है और वहां से इकट्ठा होने पर सदन के सामने रख दी जायेगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, यह माहवारी सूचना आती रहती है, जिसे आप दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके पास टोटल फिगर्स तो है लेकिन बच्चों की नहीं है उनके पास।

(विराम)
श्री मुरलीधर व्यास।

सरकारी विज्ञापन

१६५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या राज्य सरकार ने पत्रों में विज्ञापन आदि देने के लिए किसी समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो कब ?,

(२) क्या इस समिति ने पत्रों में विज्ञापन देने का कोई आधार निर्धारित किया है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(३) नीति निर्धारण के बाद से अब तक किन किन पत्रों को कितना कितना विज्ञापन दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या जो विज्ञापन दिया गया है वह निर्धारित नीति के अनुसार दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) राज्य सरकार ने किसी समिति का गठन नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सार्वजनिक सम्पर्क परामर्श मंडल ने अपनी ७ मई, १९६२ की बैठक में एक समिति की नियुक्ति की थी।

(२) समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर बनाये जा रहे नियमों के प्रारूप की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं। विज्ञापन देने का आधार इसमें वर्णित है।

(३) इन नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(संलग्न प्रतिवेदन इत्यादि अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री मुरलीधर व्यास: जो इसके अन्दर सूची है उसमें हिन्दी अखबारों के लिए क्योंकि -- हिन्दुस्तान के वैसे अखबार हैं इसके लिए विशेष प्रावधान इसमें क्यों नहीं रखा गया ?

श्री मथुरादास माथुर: अभी तक इसको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अन्तिम रूप देने के बाद में ही इसके बारे में कुछ कह सकता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास: यह कब तक निर्णय हो जायेगा, क्योंकि आपने गत समय भी घोषित किया था कि बहुत जल्दी ही हो जायेगा और नीति के आधार पर काम चलेगा तो उसमें क्या विलम्ब है ?

Page No 3

श्री मथुरादास माथुर: उस समय मैंने कहा था उस वक्त हमने जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया था उसकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद में बोर्ड ने उसको पास किया और गवर्नमेंट के पास गयी और उसके बाद में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस के आधार पर किया है और अब वह सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही कर दिया जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास: उस नीति को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जो इसमें निर्धारित की गई है?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह।

ठेके पर लिये जाने वाले ट्रक—जयपुर

१६६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जयपुर में दो ट्रक आर. जे. एल. नम्बर ५३२०, ५६०६ सड़कें अथवा सार्वजनिक स्थानों से मिट्टी, मलबा आदि उठाने के लिये ठेके पर काम में लिये जाते हैं?

(२) इन ट्रकों को रोज का कितना किराया दिया जाता है और अब तक कुल कितने किराये का भुगतान कर दिया गया है?

(३) इन ट्रकों में पैट्रोल तथा काम-वाले मजदूरों का खर्चा किस प्रकार होता है और उसका हिसाब कौन और किस तरह मेन्टेन करता है? पैट्रोल आदि तथा मजदूरी पर अब तक किस किस माह में कितना कितना खर्चा हो चुका है?

(४) क्या यह सही है कि इन ट्रकों से कई सरकारी अफसरों के मकानों पर तथा प्राइवेट लोगों के मकानों पर मिट्टी डाली गई है? यदि हां, तो इसकी कीमत ली गई या नहीं और ली गई तो कहां कहां और कितनी जमा कराई गई?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी-शंकर नन्दवाना): (१) जी हां

(२) २८ रु० ७५ नये पैसे प्रतिदिन
३,१७४ रु० ५८ नये पैसे।

(३) विभाग से होता है। विभाग के ओवरसीयर द्वारा हिसाब रखा जाता है। माइलोमीटर का रेकॉर्ड कार्य आरम्भ व सम्पूर्ण पर लिया जाता है।

माह	पैट्रोल	मजदूरी
अप्रेल	११२.३२	३६३.००
मई	१६५.३६	३२५.५०
जून	१४१.६६	३३६.७५
जुलाई	७५.६०	२६२.५०
अक्टूबर	३८.४०	२६.८०
	५३३.६४	७,३५०.५५

(४) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह: ये ट्रक्स पी. डब्ल्यू. डी. रोड्स पर काम करती हैं या म्युनिसिपल रोड्स पर?

Page No 4

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: ये काम करती थी अशोक मार्ग, अजमेर रोड, सवाई मानसिंह हाई वे, महावीर मार्ग, तिलक मार्ग–इन मार्गों पर।

श्री भैरोंसिंह: यह पैट्रोल का हिसाब कैसे रखा जाता है? पैट्रोल डिपार्टमेंट से दिया जाता है या वे खरीदते हैं; वाउचर दे देते हैं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: डिपार्टमेंट से दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह: क्या इनके लॉग कार्ड्स बने हुए हैं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: जी हां।

श्री भैरोंसिंह: ये कार्ड्स निर्धारित पहले किये जाते हैं या बाद में?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: मैंने कहा कि ट्रक्स जितने माईल चलते हैं उस हिसाब से उनको पैट्रोल दिया जाता है और ओवरसियर उसका हिसाब रखता है।

श्री भैरोंसिंह: इसमें कोई सरकारी आदमी रहता है कि इतना पैट्रोल खर्च हुआ या इतने माइल ट्रक ने काम किया या कॉण्ट्रेक्टर ने कह दिया उसी के हिसाब से देते हैं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: वह तो एवरेज देख लिया जाता है कि कितने माइल चलता है और उसी हिसाब से दे दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह: सवाल यह है कि एक दिन में कितने माइल कवर किया, इस बात की जानकारी के लिये डिपार्टमेन्टल मशीनरी कोई है या नहीं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: ओवरसियर उसको चैक करता है। शुरु में गाड़ी काम करती है, उसका माइलोमीटर नोट कर लिया और बाद में भी माइलोमीटर नोट कर लिया जाता है, उससे मालूम पड़ जाता है कि गाड़ी कितनी चली। इसके अलावा अगर आप माइलेजवाइज पूछते हैं तो वह भी बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह: ओवरसियर ने शुरु में माइलोमीटर नोट कर लिया और बाद में काम खत्म होने पर नोट कर लिया तो इस बीच में वास्तव में उसने गवर्नमेन्ट का काम किया है या बाकी के दूसरे स्थान का भी टूर किया है, इस बात की जांच करने के लिये डिपार्टमेन्ट की क्या व्यवस्था है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इधर-उधर का काम किया है तो जांच की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह: जांच करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कैसे करेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने बताया है कि ओवरसियर के सुपरविजन में सारा काम होता है। गाड़ी किस रोड पर काम करेगी तो उसको मालूम होता है कि कितने माइल चलेगी। फिर वह सर्टीफाई करता है।

श्री योगन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या लॉगबुक मेन्टेन की जाती है और साइन की जाती है?

श्री अध्यक्ष: ये सरकारी गाड़ियां नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह: मेरा सवाल यह है कि माइलोमीटर एक दफा ओवरसियर नोट कर लेता है, उसके बाद में लौटने पर फिर नोट कर लेता है तो उस बीच में ओवरसियर तो रहता नहीं, तो कितने माइल कवर किया उसकी जांच करने का क्या सिस्टम है ?

श्री अध्यक्ष: श्री गणपतिलाल ।

श्री भैरोंसिंह: यह बहुत इम्पॉर्टेन्ट है । अच्छा, एक और पूछ लूं । क्या इसके लिए कोई टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: जी हां ।

श्री भैरोंसिंह: क्या इसने लोएस्ट रेट दी थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: एक ही टेन्डर आया था जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया ।

श्री भैरोंसिंह: क्या इसका विज्ञापन कराया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: २८ रु० ७५ न. पै. कोई रेट ज्यादा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह: सरकार ने इसकी कोई जांच की कि जितना खर्च किया उतना इसने काम किया है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: जितनी मिट्टी उठाई है उसके मेरे पास फिगर्स हैं, आप कहें तो बता सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष: यह २८ रु० है या कुछ और है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: २८ ही है ।

प्रश्न सं० १६७

श्री अध्यक्ष: श्री गणपतिलाल वर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सं० १६८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:

(अनुपस्थित)

अजीतगढ़ में पुलिस कैम्प

१६९. **श्री रामकिशन (वैर)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सन् ६० में अजीतगढ़ (जिला सीकर) में अपराधियों का पता लगाने हेतु कोई पुलिस कैम्प लगा था ? यदि हां, तो ऐसे कितने कैम्प कहां कहां पर लगे और कितने अपराधियों का पता लगा ?

(२) इन कैम्पों द्वारा कितने अपराधियों को पकड़ा गया, कितनों का चालान पेश हुआ और कितनों को सजा हुई ?

(३) क्या यह सत्य है कि अजीतगढ़ कैम्प में गढ़कनेत की मीणा स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ बलात्कार किया गया ? अगर हां, तो सरकार ने कितने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(४) क्या इन कैम्पों के संबंध में आदिम जाति सेवक संघ के उपाध्यक्ष श्री भोगीलाल पंड्या द्वारा कोई जांच हुई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संस्था को जांच हेतु क्या सहयोग दिया गया ?

Page No 6

(श्री रामकिशन)

(५) क्या सरकार ने श्री पंड्या की जांच रिपोर्ट की कोई प्रति प्राप्त की है ? अगर हां, तो उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) जी हां, ऐसे कैम्प अन्य ९ स्थानों पर भी लगाये गये, जिनके नाम इस प्रकार हैं :—प्रतापगढ (अलवर), खेड़ली (अलवर), देवली (टोंक), निवाई (टोंक), मांगलियावास (अजमेर), जवाजा (चित्तौड), बांसी (चित्तौड़), चंदबाजी (जयपुर) और बीकानेर ।

इन कैम्पों में १६१ अपराधियों का पता चला ।

(२) इन कैम्पों में १६१ व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया, जिनमें से ९३ व्यक्तियों का चालान किया गया । उनमें से २१ को सजा हो चुकी है ।

(३) जी नहीं ।

(४) जांच के संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है; अतः सरकारी सहयोग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री रामकिशन: आपने जो दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है तो बलात्कार किया था उसकी कोई शिकायत आपके पास में आई थी, क्या उसकी जांच कराई थी ?

श्री भीमसिंह: ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई थी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): ऐसी शिकायत भी की है और आई. जी. पी. ने भी जांच कराई है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): इस सदन में इसका जिक्र हुआ था, उसके आधार पर जांच करवाई गई थी । आपने कहा कि हमारे पास शिकायत आई है तो लिखित शिकायत नहीं आई और सदन में जिक्र हुआ तो जांच करवाई गई तो बलात्कार का जो चार्ज था वह गलत पाया गया ।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं नहीं मानता । सदन में बात हुई थी और लिखित शिकायत भी दी है; शिकायत देने वालों के साथ में मैं भी था ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने सदन में भी कहा था और लिख कर बाद में भी दिया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या एम. एल. ए. साथ में जायं तभी वह शिकायत मानी जाय, नहीं तो नहीं मानी जाय ?

श्री मथुरादास माथुर: सदन में आपने कहा था उसका हमने कॉग्नीजेन्स ले लिया था ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आपके पास में शिकायत क्या तभी होगी जब कि लिखित रूप में दी जाय ?

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना): इस प्रकार की जांच किसने की थी ? वे अधिकारी जुडीशियल मजिस्ट्रेट थे या पुलिस के ही अधिकारी थे ?

श्री मथुरादास माथुर: आई. जी. पी. ने जांच की थी।

श्री भैरोंसिंह: उस जांच का परिणाम क्या निकला?

श्री मथुरादास माथुर: जांच का परिणाम यह निकला कि रेप का जो चार्ज था वह गलत साबित हुआ।

प्रश्न संख्या १७०

श्री अध्यक्ष: श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

अलवर में हैड प्लोमैन का नये ग्रेड में फिक्सेशन

१७१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर में हैड प्लोमैन को अभी तक १९५० के पुराने ग्रेडों के अनुसार ही वेतन मिल रहा है और नये ग्रेड में फिक्सेशन अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि उनकी तनख्वाह का बकाया लगभग ८,५००) रु० जुड़ गया है और उसकी अदायगी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या सरकार बतायेगी कि इन हैड प्लोमैन का नये ग्रेड में फिक्सेशन कब तक हो जायगा और इनके चढ़े हुए वेतन का चुकारा कब तक कर दिया जावेगा?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) अलवर में हैड प्लोमैन की पोस्ट नहीं है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो फर्म्स हैं या उनमें जो प्लोमैन रखे जाते हैं, उनके ऊपर हैड-प्लोमैन भी रखा जाता है?

श्रीमती कमला बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हैड प्लोमैन वगैरह के बारे में पूछा था तो मैंने जवाब दिया है कि हैड-प्लोमैन नहीं है, इसलिये कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि वहां रखे जायं या नहीं रखे जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वहां पर रखे गये हैं या नहीं?

श्रीमती कमला बेनीवाल: यह मैंने बताया है कि नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह फैक्ट नहीं है कि अलवर के प्लोमैन की तरफ से एक रिप्रेजेन्टेशन आया है कि उनकी सेलेरीज का पेमेन्ट नहीं हुआ है और उनका इन्क्रीमेंट जो नये रिवाइज्ड पे स्केल के मुताबिक मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है, और हेड प्लोमैन जिन्हें चौधरी कहते हैं वे चौधरी नियुक्त किये हुए हैं और जिनको दूसरे प्लोमैन से १), २) रुपये ज्यादा देते हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल: जी, यह सही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या रिप्रेजेन्टेशन आपके पास में नहीं आया?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): प्लोमैन की अलग पोस्ट है और चौधरी की अलग पोस्ट है। उनको ३२-१-४० की ग्रेड देते हैं लेकिन रिवाइज्ड पे-स्केल के अन्दर उनको ५० से ८० वाली ग्रेड में उनके फिक्सेशन का केस चल रहा है और उसके होने पर चौधरियों और प्लोमैन का फिक्सेशन किया जायगा। हैड प्लोमैन की कोई जगह नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: चौधरी तो हैं अलवर में ?

श्री नाथुराम मिर्धा: जी हां, मैंने कहा है कि चौधरी और प्लोमैन को नये ग्रेड में फिक्सेशन करने की बात है। उन्होंने कहा कि हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कब से यह मामला पेंडिंग है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: सिर्फ ३-४ महीनों से।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेरा प्रश्न यह है कि सन् ५० के बाद उनको नये ग्रेड के अन्दर फिक्स नहीं किया और यह मामला ५० से पेंडिंग है।

श्री नाथुराम मिर्धा: पहले ग्रेड सन् ५० में रेशनेलाइज हुआ था ३०-१-४० का, वही चला जा रहा था। अब हुआ है ५० से ८० का उसके फिक्सेशन के केस अब चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिराम चौहान।

अलवर में बिजली की दरें

१७२. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कोटा में बिजली के रेट इसी वर्ष से कम किये गये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि अलवर में बिजली के रेट दूसरी जगहों के स्टीम पॉवर हाउस की रेट से अधिक हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि बिजली की रेट कम करने के लिये अनेक बार अलवर की जनता ने भी मांग की है ?

(घ) क्या सरकार कोटा की तरह अलवर में बिजली की रेट भी तत्काल कम करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) राजस्थान राज्य विद्युत मन्डल ने अभी हाल में ही यह निर्णय लिया है कि जयपुर की थर्मल रेट अलवर में लागू कर दी जाय। इस निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाहीं की जायगी।

श्री हरिराम चौहान: इस निर्णय के अनुसार क्या रेट्स हो जायेंगी बिजली और पॉवर के लिए ?

श्री परसराम मदेरणा: जो जयपुर में हैं वे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): वह रिबेट सिस्टम से होगा या ६ आना होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : स्लेब के बेसिस पर नहीं होगा। लाइट के लिये जो ६ आना है वह होगा और पॉवर का ३ आना है, वह (रेट) होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या जयपुर में पॉवर की रेट्स तीन आने से कम नहीं हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री हरीश्चन्द्र) : जो टैरिफ़ जयपुर में लागू हैं वही टैरिफ़ अलवर और भरतपुर में भी लागू होंगी।

श्री हरिराम चौहान : यह जो नये रेट्स हैं, ये कौन से महीने से लागू हो जायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : जिस दिन से निर्णय लिया है उस दिन से।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ये रेट्स सारे राजस्थान में लागू होंगी या सिर्फ़ अलवर में ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलवर का प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : थर्मल के दृष्टि-कोण से सारा राजस्थान एक सा है।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के लिए, तमाम के लिए एक टैरिफ़ कमेटी बैठी हुई है। अभी युनिफ़ार्म रेट्स के प्रोपोजल्स बोर्ड से नहीं आये हैं। टैरिफ़ कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी तो निर्णय लिया जायगा।

श्री दलपत सिंह (आबू) : प्राइवेट कार-ख़ाने वाले हाई रेट्स ले रहे हैं, वह नागरिकों को देना पड़ता है।

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग टैरिफ़ रेट्स हैं। आप कहां का पूछ रहे हैं ?

श्री दलपतसिंह : आबू के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आबू के लिए आप अलग से प्रश्न पूछिये। अलग अलग इन्डस्ट्रीज़ के लिये अलग अलग रेट्स हैं। किस का पूछते हैं ?

श्री दलपतसिंह : आपने कहा है कि एक कमेटी बैठी हुई है जनरल इलैक्ट्रिसिटी के रेट्स फ़िक्स करने के लिए . . . .

श्री परसराम मदेरणा : मैंने युनिफ़ॉर्म करने का कहा है। वे सारे राजस्थान में लागू होंगे। वह टैरिफ़ कमेटी के मामले का प्रश्न दूसरा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो कहा है कि डिफ़रेन्ट इन्डस्ट्रीज़ के डिफ़रेन्ट रेट्स हैं तो क्या अलवर में भी इस प्रकार से मुख्तलिफ़ इन्डस्ट्रीज के लिए विभिन्न रेट्स रखे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : डिफ़रेन्ट इन्डस्ट्रीज़ के डिफ़रेन्ट रेट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ इन्डिविजुअल इन्डस्ट्रीज़ को कन्सेशन ज़रूर है।

श्री दलपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बैठाकर रेट्स रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राजस्थान में प्राइवेट कारख़ाने हैं, बिजली के वहां पर कारख़ाने वाले बहुत ज्यादा हाई रेट दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : प्राइवेट और नान-प्राइवेट के लिए युनिफ़ॉर्म रेट्स होने के

(श्री परसराम मदेरणा)
बाद में वही रेट होगी चाहे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेनरेट करता हो या प्राइवेट कारखाना हो?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): रेट्स किस आधार पर लिये जाते हैं?

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय, युनिफ़ॉर्म रेट्स कब तक तय हो जायेंगे?

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

फेमिली प्लानिंग के लिये सब-कमेटी

१७३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में फेमिली प्लानिंग के लिए किस किस जिले में सब-कमेटी बनाई गई है?

(२) इन सब-कमेटीज़ की मीटिंग कब-कब हुई तथा इस सम्बन्ध में उनकी सफलता सम्बन्धी क्या रिपोर्ट है तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

श्री मुरलीधर व्यास: इस संबंध में जो सूची रखी गई है, फेम्मिली प्लानिंग के लिए जो कमेटियां बनी हैं १२ जिलों में, तो इस में बताया गया है कि ६-१-६३ तक ६ जिलों में कमेटियों ने मीटिंग की और दूसरे जिलों में मीटिंग नहीं की गई, उसका क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री श्री बरकतुल्लाखां: कलेक्टर और दूसरे आफिसर दूसरे काम में व्यस्त रहे, इसलिये उनको मौका नहीं मिला फेमिली प्लानिंग कमेटी की मीटिंग कन्वीन करने का गवर्नमेंट के मेडीकल डिपार्टमेंट ने २५-८-६२ को चिट्ठी लिखी कि साल में कम से कम ४ मीटिंगें होनी चाहिए और इन मीटिंगों को कलेक्टर कन्वीन करता है।

श्री मुरलीधर व्यास: जो कमेटी बनाई गई हैं उन कमेटियों ने मीटिंग बुलाई या नहीं? ६ जिलों में साल भर में फेमिली प्लानिंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, उसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: आप फिर दोहरा रहे हैं। आपने पहले पूछा था तो मंत्री महोदय न उत्तर दे दिया कि कलेक्टर के पास अधिकार हैं। दोहराने से कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री विजयसिंह झाला: (नाथद्वारा): यह कलेक्टर को ही अधिकार क्यों दिया जाता है दूसरे ऑफिसर को क्यों नही दिया जाता है? उदयपुर जिले में मैं सदस्य हूं लेकिन कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती है और कोई कार्य-क्रम नहीं रखा जाता है तो इस तरह की कमेटी बनाने से क्या फायदा?

श्री योगन्द्र नाथ ंडा (रायसिंह-नगर): आपकी ओर से क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री अध्यक्ष: Order please! एक प्रश्न का उत्तर तो आने दो।

श्री अध्यक्ष: सरकार के विचार में है क्या कि कलेक्टर के अलावा और किसी को यह काम देना है या नहीं?

श्री बरकतुल्लाखां: जी नहीं। कलेक्टर को रि वेस्ट की जा रही है कि मीटिंग्ज़ करें।

श्री अध्यक्ष: quest. Ask them to give due impo nce.

श्री विजयसिंह झाला: कलेक्टर को समय नहीं मिलता तो डी. एम. ओ. या दूसरे अधिकारियों को क्यों नहीं यह काम सौंपा जाय?

श्री अध्यक्ष: Belittle firm with officers who are recalcitrant.

श्री मुरलीधर व्यास: दूसरे प्रश्न में यह पूछा था कि दूसरी जगह मीटिंग्ज़ हुई हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: एक मिनिस्टर···

श्री अध्यक्ष: Order please!

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द): यह सब-कमेटी बनने के बाद ग्राबादी का परसेन्टेज किस प्रकार बढ़ा या घटा?

श्री भैरोंसिंह: कुछ सब-कमेटीज़ के मेम्बर्स फ़ेमिली प्लानिंग के प्रिन्सिपल के मुताबिक ग्राचरण नहीं करते हैं, इसके लिये क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: मन्त्रीजी ने पिछली बार ग्राश्वासन दिया था कि सारे प्रोग्राम का इवेल्युएशन करने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। इस बारे में ग्रागे कुछ किया हो तो बतावें?

श्री बरकतुल्लाखां: ग्रध्यक्ष महोदय, फ़ैमिली प्लानिंग के बारे में लास्ट सैशन में चर्चा हुई थी। उसके बाद गवर्नमेन्ट ने इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू किये कि इस काम को ग्रौर तेजी से किया जाय। इसके साथ ही साथ कमेटियों की मीटिंग्ज़ जल्दी से जल्दी बुलाई ग्रौर इसके साथ ही साथ जब कमेटी की रिकमन्डेशन ग्राई थी कि ग्रॉपरेशन कराने वालों को २०) रुपये दिये जायं ग्रौर गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को एक एक्स्ट्रा इन्क्रीमेन्ट दिया जाय वह संकटकालीन स्थिति के कारण नहीं किया जा सका। यह भी तय किया गया था कि साल में एक दिन फ़ैमिली प्लानिंग का मनाया जाय, वह भी संकटकालीन स्थिति के कारण नहीं किया गया। इसलिये कमेटी से तालमेल जारी है। एडवाइज़र्स रखने का जो सुझाव दिया है वे भी रखे जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (ग्रलवर): बीकानेर में खास ग्रावश्यकता है, तो क्यों नहीं एक विशेष ब्रिगेड भेज कर वहां की समस्या हल की जाय?

श्री मुरलीधर व्यास: खालीबीकानेर का ही सवाल नहीं है। प्लानिंग बोर्ड से यह रिपोर्ट ग्राती है कि फ़ेमिली प्लानिंग सफल नहीं हुग्रा। उसके बाद ये कमेटियां बनीं, लेकिन उनमें से ग्रधिकांश की मीटिंग्ज़ ही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: ग्राप भाषण नहीं दें। ग्रापने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का महत्व ग्रापके भाषण से घट जाता है। ग्राप प्रश्न पूछिये।

श्री मुरलीधर व्यास: जहां पर मीटिंग्ज़ हुई वहां से क्या सुझाव आये?

Page No 12

श्री अ.रसिंह (दूदू) : क्या यह सही है कि जो ऑपरेशन हुए वे ज्यादातर असफल रहे ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आप ही बता सकते हैं।

नैक्स्ट क्वेश्चन ।

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) :

अध्यक्ष महोदय, इसकी इत्तिला नहीं आ सकी, इसलिये अगले टर्न पर उत्तर दूंगा।

अजमेर की मारतों में दोषपूर्ण कार्य

१७४. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अजमेर ज़िले में बनवाई गई निम्नलिखित इमारतों में बहुत ही दोषपूर्ण काम हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और किसकी ग़ल्ती से तथा किस प्रकार के दोष पाये गये :—

1. District Court Building,
2. Mir Shali & Police Lines Quarters and Bungalows.
3. Jawahar High School Building and Polytechnic College, Makhupura,
4. Tourist Bungalow, and
5. Police Lines & New Maternity ome.

(२) क्या यह सही है कि एस. ई. ने अपने निरीक्षण नोट में कुछ दोष बताये थे ? यदि हां, तो इन दोषों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

बसवा की जनता की ओर से ग्राम पंचायत के स्थान पर म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना की मांग ।

१७५. **श्री मयुरेश बिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बसवा टाउन, तहसील बसवा व लालसोट में साबिक़ म्युनिसिपल बोर्ड क़ायम थे और सन् १९५९ में उन्हें ग्राम पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया ?

(२) क्या बसवा की जनता की ओर से ग्राम पंचायत हटा कर पुनः म्युनिसिपल बोर्ड स्थापित करने के लिये सरकार के समक्ष आवेदन-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(३) नई जन-गणना के आधार पर बसवा ग्राम व लालसोट की आबादी क्या है और क़ानूनन इस आबादी पर म्युनिसिपल बोर्ड क़ायम किया जाना आवश्यक है या नहीं ?

(४) राजस्थान में कितने टाउन म्युनिसिपल बोर्ड अभी चालू हैं जिनके ग्राम की आबादी चार हज़ार व उससे कम है और किन आधारों पर वहां टाउन म्युनिसिपल बोर्ड स्थापित हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारन) : (१) जी हां।

(२) जी हां। विचाराधीन है।

(३) बसवा की आबादी ८,४६८, लालसोट की आबादी ८,६८७। इस आबादी

(श्री दोलतराम सारण)
पर क़ानूनन म्युनिसिपल बोर्ड क़ायम किया जा सकता है।

(४)	विद्याबिहार	३,४६४
	अनूपगढ़	२,२६४
	इन्द्रगढ़	२,६०८

नगरपालिका इन्द्रगढ़ व अनूपगढ़ ने अपना ऑप्शन नगरपालिका के लिये ही दिया था, अतः उन्हें पंचायत में परिवर्तित नहीं किया गया है। नगरपालिका, विद्या-बिहार शिक्षा सम्बन्धी केन्द्र होने से नगर-पालिका बनाई गई है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आप अभी बतलाया कि २ हजार और १ हजार की आबादी वाली जगहों पर भी म्युनिसिपल बोर्ड हैं तो जहां ८ हजार की आबादी है वहां म्युनिसिपल बोर्ड नहीं कायम करने की क्या वजह है और नियुक्ति में कितना टाइम लगता है?

श्री दौलतराम सारण : पहले नगर-पालिका ने पंचायत में परिवर्तन करने की इच्छा जाहिर की थी, उसके मुताबिक उसको पंचायत बना दिया गया। अब फिर मांग आई है कि पंचायत से नगरपालिका में वापस बदलवाना चाहते हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। लालसोट के संबंध में नोटिफिकेशन ऐतराज का निकल चुका है और बसई के लिये जारी हो रहा है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : उनकी मांग कब आई और कितना अर्सा हो चुका है, दोनों जगहों के लिये लिखें हुए?

श्री दौलतराम सारण : मांग कब आई, इसकी तारीख मेरे पास नहीं है; लेकिन मानना चाहिये कि सन् ५६ में जिस समय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ उस समय नगरपालिकाओं से ऑप्शन मांग लिया था कि जो पंचायतों में कन्वर्ट होना चाहें वे हो सकती हैं। इन दोनों नगरपालिकाओं ने पंचायतों के लिये ऑप्शन दिया, इसलिये इनको पंचायतों में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में प्रेक्टिकल अनुभव से उन्होंने महसूस किया होगा कि पंचायत में होने की अपेक्षा नगरपालिका का होना अच्छा है, तब उन्होंने इसके लिये मांग भेजी होगी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इसको २–३ वर्ष का टाईम लग गया, अब कब तक इनको नगरपालिका बना दिया जायेगा?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, लालसोट के लिये ऐतराज पेश करने के लिये नोटिस निकल चुका है और बसवा के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : लालसोट के लिये नोटिस सन् ६१ में निकल चुका था; उसको स्टे किया गया और अब दुबारा उस पर निर्णय लिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : १८-१-६३ को विज्ञप्ति निकली है। जल्दी कार्यवाही की जा रही है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह दूसरा नोटिफिकेशन आप बता रहे हैं। इससे पहले सन् ६१ में नोटिफिकेशन निकल चुका है जिसको स्टे कर दिया, इसका क्या कारण है?

Page No 14

श्री दौलतराम सारण : उसके बारे में इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : क्या आप जानकारी करके जल्दी निर्णय करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : मैं यह आश्वासन दे चुका हूं कि निर्णय कर लिया गया है, नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जल्दी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक प्रश्न और पूछना है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): २ साल हो गये क्या हम जान सकते हैं कि और कितनी देरी लगेगी ?

श्री दौलतराम सारण : अब जितनी कानूनन जरूरी है उतनी ही देरी लगेगी, ज्यादा देरी नही लगेगी।

स्वायत्तशासन मंत्री: (श्री बरकतुल्लाखां) मैं यकीन दिला सकता हूं कि नोटिस विथड्रा नहीं होगा, जो टाइम नोटिस में लगना चाहिये उससे ज्यादा नहीं लगेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): प्रश्न यह है कि जनता की इच्छा पर निर्भर करता है कि नगरपालिका रखें या पंचायत रखें या जन-गणना के ख्याल से लगाया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बुनियादी बात पूछ ली आपने।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी यही पूछना चाहता था कि नगरपलिका को पंचायत में या पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित होने का कानून के अनुसार है या लोगों की इच्छा पर निर्भर है ?

श्री दौलतराम सारण : सन् ५१ की जनगणना के अनुसार लगभग ८ हज़ार की आबादी तक के क़स्बों को पंचायत बनाने की बात थी और सारी नगरपालिकाएं जो इस आबादी से कम की थीं उनसे ऑप्शन मांगा गया था कि पंचायतों में परिवर्तित होना चाहती हैं या नहीं। जिन्होंने इसके लिये इच्छा ज़ाहिर की उनको पंचायत में परिवर्तित किया गया। इन दोनों नगरपालिकाओं ने पंचायत में जाने की इच्छा ज़ाहिर की थी, इसलिये इनको पंचायत बनाया गया था।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) :— क्या फिर से इनको नगरपालिका बनने का हक़ है ?

श्री अध्यक्ष : **श्री रामानन्द अग्रवाल**:

विद्युत्कनेक्शन संबंधी विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

१७६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): Will the **Minister for Power** be pleased to state:—

(1) How many applications for electric connections are pending with the authorities of the various State Power Houses in Rajasthan and since how long ?

(2) Is the Government aware the statutory provision to provide electric connection within one month of the application ?

(3) If so, what measures the State Government proposes to take to see that State Electricity Board makes a due compliance with the statutory

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
provisions of the Indian Electricity Act ?

(4) When these applications can now be expected to be disposed of ?

उप-मंत्री विद्युत (**श्री** परसराम मदेरना): Information could not be collected. Therefore; it is requested for postponement.

गंगानगर जिले की विभिन्न मन्डियों में चुंगी की दरें

१७७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(क) जिला गंगानगर की विभिन्न मण्डियों–रायसिंहनगर, करनपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सूरतगढ़—में चुंगी कर के क्या रेट हैं ? सूचना सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या चुंगी-कर उपरोक्त मन्डियों में समान रेट से लगता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार चुंगी कर की दरें एक ही रेट से गंगानगर जिले की मण्डियों में लागू करना उचित समझती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) विभिन्न रेटें हैं । नगरपालिकाओं की शिड्यूल काफ़ी बड़ी है इसलिये प्रतियां रखने में बहुत समय और खर्च लगेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने इस सम्बन्ध में सूची मांगी थी वह मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दौलतराम सारण : इसका कारण मैं बता चुका हूं। शिड्यूल राज-पत्र में प्रकाशित की जाती है और सदस्य महोदय कृपया उनका अवलोकन कर सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या कारण है कि उनके रेट्स में समानता नहीं है, एक मन्डी में ६ पैसे लगते हैं और दूसरी में एक पैसा ही लगता है ? क्या कारण है कि उनको एक नहीं कर सकते ?

श्री दौलतराम सारण : स्वायत्त शासन संस्थाओं की स्थानीय आवश्यकता और स्थानीय स्थिति को देखकर रेट्स निर्धारित की जाती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : विभिन्न मन्डियों की विभिन्न दरें क्या न्याय की दृष्टि से उचित हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

बूंदी जिले में सड़क निर्माण के लिये नियत धन-राशि

१७८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि गत वर्षों में बूंदी ज़िले में जितनी सड़कें बनने का प्रावधान रखा गया था उसके अनुसार निर्माण कार्य नहीं हुआ; बल्कि अधिकतर रक़म लैप्स हो गई ?

(२) यदि हां, तो गत वर्ष में होने वाले कौन से निर्माण कार्य में कितनी धनराशि की

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
स्वीकृति की गई थी, जिसमें कितनी की पूर्ति हुई, और कहां कहां की रकम लैप्स हो जाने के फलस्वरूप कार्य नहीं करवाया जासका? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि इस वर्ष जो प्रावधान रखा गया है तथा जिनकी स्वीकृति गत वर्षों से हो रही है उस प्रारम्भ करवा कर पूरा कर दिया जावेगा

(४) यदि हां, तो बूंदी ज़िले में कितनी सड़कों पर डामर करने व कौनसी सड़कों का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने की योजना है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) यह सही है।

(२) सूची प्रस्तुत है।

(३) जो कार्य पहले से चल रहे हैं वे बजट प्रावधान के अनुसार चलते रहेंगे; बाक़ी नवीन सड़कों को अर्थाभाव के कारण हाथ में लेना संभव नहीं होगा।

(४) अभी नवीन कार्य आरम्भ नहीं किये जाने को है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मानसिंह महार (आमेर): सुनाई नहीं पड़ता, मंत्रीजी ज़रा ज़ोर से बोलें।

(प्रश्न का उत्तर दोहराया गया)

श्री हरिप्रसाद शर्मा: पहले के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जो प्रावधान रखा था वह लैप्स हो गया उसके लिये कहा है कि यह सही है। जो रख दिया था वह क्यों लैप्स हो गया? क्या इसका यह कारण है कि ऐसे ठेकेदारों को ठेका दिया था जिन पर कि काम शुरू करने के लिये दबाव नहीं डाल सकते थे; इसलिये काम पूरा नहीं हो पाया?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना: मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि द्वितीय योजना में कुछ रक़म लैप्स हुई है। गत वर्ष की सूची दी है। गत वर्ष में सावधानी रखी है, कि लैप्स नहीं हो। अब देरी का व लैप्स होने का सवाल नहीं है। उस वक्त कान्ट्रैक्टर्स की दिक्क़त थी, मिलते नहीं थे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की गलत सूचना दी गई थी जयपुर रोड के बारे में कि दस हज़ार रुपयों का प्रावधान रखा गया है, लेकिन उस रोड पर दस नये पैसे भी खर्च नहीं किये गये। एक और बार गलत सूचना दी गई थी और करवर इन्द्रगढ के बारे में कहा गया था कि काम चालू है, लेकिन वहां काम चालू नहीं था। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि भारत सेवक समाज को ठेका दिया जाता है लेकिन वह काम नहीं कर पाता है और उसको दबा देते हैं। पिछले वर्ष जो काम किये हैं, क्या आप आश्वासन देते हैं कि वे अगली वर्ष पूरे हो जायेंगे?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): जिन कान्ट्रैक्टर्स की गलती के कारण काम पूरा नहीं हो सकता और रुपया लप्स होगया, क्या सरकार उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ़ एक्शन लेगी?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना: ज़रूर लिया जायगा?

Page No 17

श्री भैरोंसिंह : अभी तक एक्शन लिया गया है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: कुछ के खिलाफ़ एक्शन लिया है, कुछ के खिलाफ लिया जाना है।

श्री भैरोंसिंह : चम्बल समिति के खिलाफ़ एक्शन लिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह किसने काम लिया है, इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी करके उत्तर दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : किसी कॉन्ट्रेक्टर का नाम बता सकते हैं, जिसके खिलाफ एक्शन लिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नाम तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : संख्या बता सकते हैं कि कितनों के खिलाफ एक्शन लिया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: एक-आध के खिलाफ़ लिया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक और आधा तो डेढ़ हो जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक का मामला डेफीनेट नहीं है, आधे का मान लिया है।

श्री विजयसिंह झाला : एक तो हो सकता है, आधा कहां से आया ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न है· ·

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं माननीय उप-मंत्रीजी के पास गया था· · ·

श्री अध्यक्ष : Next question

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मामला है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: मैं मन्त्री महोदय के पास जानकारी करने के लिए गया था। मैंने भारत सेवक समाज की चम्बल समिति के बारे में जानकारी की तो मुझसे कहा, कमरे से बाहर निकल जाओ। यह माननीय उप-मंत्री जी ने कहा।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : मैंने कहा था कि चम्बल समिति ने काम किया है तो उसकी जानकारी की जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैंने लिखित में दिया था, उसकी कॉपी मिनिस्टर महोदय को दी है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :— अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री मैम्बरों से बात नहीं करें, उनको पूरा उत्तर देने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप आदेश देते हैं कि क्वेश्चन देने से पहले माननीय मन्त्री से बात करलें। अगर माननीय मन्त्री इतनी नादिरशाही करते हैं तो सदन में उन्हें पूरा जवाब देना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप जो जवाब चाहते हैं वह जवाब नहीं दिया जा सकता है। आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं जवाब देने के बारे में। सरकार जवाब देती है उसको डिक्टेट करने की कोशिश है यह।

Page No 18

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : अगर वे बात नहीं करना चाहते तो जवाब पूरा दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रश्न पूछने का।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order Sir........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : मैम्बरों को सुनना तो मन्त्री महोदय का फर्ज है। मैम्बरों को सुनना चाहिये था। मन्त्री महोदय नहीं सुनते हैं तो यह अपमानजनक चीज है। अगर सदन का कोई मैम्बर मन्त्री महोदय से मिलता है तो उन्हें उसे आराम से सुनना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसका निर्णय होना चाहिये, अध्यक्ष महोदय। एक माननीय सदस्य मन्त्री महोदय के पास गये, उनके चेम्बर में गये तो उनको निकाल दिया गया। अगर यह सत्य है, ऐसा किया है मन्त्री महोदय ने, तो मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों के लिये यह एक गम्भीर मसला है और उस पर विचार होना चाहिये।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : माननीय सदस्य आये थे, तो मैंने सुना था। निकालने का प्रश्न नहीं है।

श्री मानसिंह महार : आपका नहीं, उप-मन्त्रीजी का है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह इन्सानियत का सवाल है, इन्सानियत का तकाजा है। मन्त्री महोदय का व्यवहार इन्सानियत को चुनौती है, यह इन्सानियत के खिलाफ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : थानेदार जब थाने के बाहर निकाल देता है तब कुछ नहीं कहते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी बात सुन लीजिये। कोई भी माननीय सदस्य मेरे पास आये हों, और मैंने उनकी बात नहीं सुनी हो, यह कोई भी माननीय सदस्य नहीं कह सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका कहना है......

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को क्या वकील नियुक्त किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी कोई गलती हुई हो तो कह दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सड़क बनवाने का अच्छा तरीका निकाला है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई भी माननीय सदस्य मेरे पास आये हों और मैंने उनसे मिलने से इन्कार किया हो या परहेज किया हो, यह कोई भी माननीय सदस्य बतादें। मेरे खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं हो सकती। सदन में यह समझते हों कि सब मिल कर मुझसे कोई झूठी बात कह कर स्वीकार करालें तो मैं स्वीकार नहीं करना चाहता।

श्री मानसिंह महार : बड़ी आपत्तिजनक बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं आपके पास गया; कोई पहली बार गया था, ऐसी बात नहीं है। इस सड़क के बारे में जब चम्बल समिति

Page No 19

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
के बारे में मैंने कहा कि आप कोई काम नहीं कराते हैं तो आपने कहा कि इस बारे में बात मत कीजिये और बाहर चले जाइये।

श्री अब्दुल जब्बार : अगर यह सच है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : चेम्बर में जाते हैं सड़क बनवाने के लिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) If the Hon'ble Dy. Minister has done some such thing as the Honble member alleges, I request the Hon, ble Dy. Minister that he should express his regrets. It is a matter of common desency.

श्री रघुनाथ विश्नोई : (सांचोर) सही हो तो करें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसा है....

श्री अब्दुल जब्बार : ऑन ए पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर....

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कोई भी दूसरे माननीय सदस्य कह दें कि यह बात सही है तो मैं सदन की कोई भी बात मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन खाम ख्वाह चार्जेज लगायें, असेम्बली में चार्जेज लगा कर कोई बात मनवाना चाहें तो मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूं और अधिक से अधिक करना चाहता हूं और ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री जी....

श्री अध्यक्ष : Order Please.

श्री अब्दुल जब्बार : आपने फर्माया, वही बात मैं अर्ज कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने कब कहा कि बात बतायें ?

श्री अब्दुल जब्बार : आपसे स्पष्टीकरण....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

Order please.

Next Question

श्री अब्दुल जब्बार : This is a serious matter........

श्री अध्यक्ष : जब माननीय सदस्य आयें तो शिष्टाचार के साथ चाय पिलवायें माननीय सदस्यों को।

जयपुर में डेरी और दूध-संग्रह की योजना

१७९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर में डेरी और दूध संग्रह करने और बेचने की योजना के कार्य के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

(२) क्या इस साल मशीनें खरीदने का आॅर्डर दिया गया है ?

(३) क्या इमारत बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक चालू होगा ?

Page No 20

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

(४) स्कीम के अन्तर्गत दूध के वितरण का कार्य कब तक जारी हो सकेगा ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) इस योजना के सम्बन्ध में निम्न प्रगति हुई है:--

(क) ईमारत पूरी हो गई है।

श्री रामकिशन (वैर) : सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सुनने की कोशिश नहीं करेंगे तो सुनाई कैसे देगा ?

श्री रामकिशन : आप से नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : आप कहते जाइये ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : (ख) जल की लाइन डेरी तक डाली जा चुकी है । १५,००० गैलन जल के एक टैंक का निर्माण किया जा रहा है ।

(ग) २०० किलोवाट का ट्रान्सफॉर्मर डेरी के कार्य हेतु बिजली देने को लगाया जा चुका है ।

(घ) डेरी के चारों ओर सड़कों का निर्माण कार्य चालू है और प्रायः १ मास में पूरा हो जायेगा ।

(ड.) छः इन्स्युलेटेड डेरी की गाडियों के निर्माण की आज्ञा दिसम्बर, १९६२ में दे दी गई थी । ये भी शीघ्र ही तैयार हो जायेंगी ।

(२) मशीनरी खरीदने का ऑर्डर फरवरी, १९६२ में ही दे दिया गया था ।

(३) इमारत बन चुकी है ।

(४) कुछ आवश्यक मशीनें जुलाई, १९६३ तक विदेश से आने की हैं उनके आते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इस डेयरी के सम्बन्ध में आई हुई मशीनें दूसरे स्थान पर उपयोग में आ रही हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस सम्बन्ध में एक सप्लीमेन्ट्री है, क्या डेयरी की मशीन, जो सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं विभाग के, उनके यहां एन्टीकरप्शन द्वारा पकडी गई है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

महात्मा गांधी रोड़ व स्टेशन रोड़ का रेल्वे क्रॉसिंग गेट, बीकानेर

१८०. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या बीकानेर के महात्मा गांधी रोड व स्टेशन रोड के बीच में आने वाले रेल्वे क्रॉसिंग गेट को शीघ्र हटाये जाने की कोई योजना बन चुकी है ? यदि हां, तो इस योजना में कितना रुपया खर्च होगा ?

(ख) राज्य सरकार उक्त रकम में से कितनी रकम कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ? क्या इस कॉन्ट्रीब्यूशन की रकम राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दे दी है ? यदि नहीं, तो उस रकम के कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

(श्री मनिकचन्द सुराणा)

(ग) इस योजना के अनुसार कार्य कब तक शुरु हो जायेगा और कब तक पूरा होगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) प्रस्ताव विचाराधीन है । एस्टीमेट रेल्वे विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) अभी बातचीत चल रही है । निश्चित तय होने पर बताया जा सकेगा ।

(ग) रेल्वे विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति हो जाने के बाद ही पूरा किये जाने की निश्चित अवधि बताई जा सकेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेल्वे बोर्ड में कब से विचाराधीन है, यह आपको जानकारी है और कब से विचार किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : छः-सात रोज पहले रेल्वे के ऑफिसर आये थे, वे निश्चित कर गये हैं और एस्टीमेट तैयार करवाये जा रहे है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : रेल्वे बोर्ड में कब से विचाराधीन है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट में सवाल पूछा गया था । केन्द्रीय सरकार ने बताया कि राज्य सरकार अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगी तब काम किया जा सकता है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि रेल्वे बोर्ड के विचाराधीन है और कम्प्लीट एस्टीमेट्स फाइनेलाइज कर गये हैं । क्या स्टेट गवर्नमेंट को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वन-थर्ड या जो भी हो वह देने को लिखा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं । उन्होंने फाइनेलाइज नहीं किया है । मैं सही सूचना दे रहा हूं कि वे डिजाइन वगैरह तैयार कर रहे हैं । एस्टीमेट्स तैयार होकर आते ही जो कॉन्ट्रीब्यूशन की राशि होगी और जो वे मांग करेंगे उसके सम्बन्ध में बातचीत से तय करेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मांग रहे हैं, कितना शेयर मांग रहे हैं–यह बताया होगा कि कितना पर्सेन्ट कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : पर्सेन्टेज का सवाल है । इसके लिए चाहते हैं कि एप्रोचेज सरकार बना दे और मेन ब्रिज वे बना देंगे ।

श्री अध्यक्ष : ओवरब्रिज बन रहा है या डाइवर्शन कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ओवरब्रिज के लिए कह रहे हैं कि एप्रोचेज राज्य सरकार बना दे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष, यह भारत सरकार ने जवाब दिया है, आप फाइल देख लें । आपकी जानकारी गलत है । आप कॉन्ट्रीब्यूशन से बचने के लिए उनको जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिये वहां रुकी हुई पडी है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह रहा हूं कि कॉन्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें एप्रोचेज सरकार बनाये और एक्चुअल ब्रिज वे बनायेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एस्टीमेट तैयार हुआ होगा, कितना खर्च होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिप्टी मिनिस्टर साहब ने सूचना दी है कि एस्टीमेट बन रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराणा : वह एस्टीमेट भी बन चुका है, माननीय मंत्री जानकारी करें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नहीं बना है, जानकारी करके बता रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है, पांच साल से, इस बारे में पूछ रहे हैं ? इस समय राजस्थान सरकार ने क्या निर्णय किया है, यह बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : राज्य सरकार तो तैयार है लेकिन रेल्वे बोर्ड स्वीकृत तो करे।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के लेखाओं की जांच।

१८१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या गृह विभाग द्वारा अपने ऑर्डर नं. एफ. १२(३)(२०) एच. बी.।६०, ता. १ जुलाई, सन् १९६० के अनुसार जो एकाउन्ट्स ऑफिसरों का एक स्पेशल यूनिट सार्वजनिक संपर्क कार्यालय के एकाउन्ट्स को चैक करने के लिये लगाया गया था उसने अपना काम पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत कर दी हैं ? यदि हां, तो कब ? उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) यदि नहीं, तो कृपया यह बतावें कि इस यूनिट का काम अब किस स्टेज पर है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अतएव प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) इस यूनिट के पास जो काम था उसका चौथाई हिस्सा काम अभी बाकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस काम के समाप्त होने की आशा है।

श्री भैरोंसिंह : कितने अमाउन्ट का एडजेस्टमेंट किया और कितना बाकी है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि चौथाई बाकी है और ३।४ हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : कितने में से है ?

श्री मथुरादास माथुर : डिफरेन्ट हैड्स में है। अभी चौथाई हिस्सा बाकी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ कर बता देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : पढ दें।

श्री अध्यक्ष : बडा तो नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : बडा तो है। इसमें ऑडिट ओब्जैक्शन्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने तो पहले ही आडिट ऑब्जैक्शन्स की बात कह दी। यह सुनना नहीं है। कितना फिगर था, यह आप बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : टोटल फिगर्स तो मेरे पास नहीं हैं। ऑडिट ऑब्जैक्शन्स थे 299, amounting to Rs. 9,02,06,123 है। अब उसमें से २८४ आइटम्स amounting to 98 lakhs have been completed, and 15 items remain to be done.

(श्री मथुरादास माथुर)
तीन बातें थीं। अगर आप कहें तो मैं पढ कर सुना सकता हूं। यह काम ७ महीनों में पूरा हो जावेगा। चौथाई काम बाकी है।

श्री भैरोंसिह: इसकी एक कॉपी सदन की मेज पर रख दी जावे।

श्री मथुरादास माथुर : yes।

सतवाडी ग्राम के नाले की पुलिया

१८२. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कामां पहाडी क्षेत्र के अन्तर्गत सतवाडी ग्राम के नाले की पुलिया का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

उप–मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना): आशा है सन् ६३-६४ में।

श्री रामकिशन: इसकी क्या पोजीशन है ? आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: पोजीशन यह है कि अगले वर्ष टेन्डर मांगेंगे।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक): एस्टीमेट वगैरह सब पूरा हो गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: जी हां।

श्री अध्यक्ष:Next. Shri Yogendra Nath Handa.

नगरपालिका कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

१८३. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य कर्मचारियों की तरह नगरपालिका कर्मचारियों को मेडीकल सुविधायें नगरपालिकाओं की ओर से दी जाती हैं ?

(२) क्या किन्हीं नगरपालिकाओं ने यह सुविधा दिये जाने की मांग की है ?

(३) अगर हां, तो क्या स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

(४) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण): (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: विकास समितियों में यह दी जाती है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट।

बन्दूकों के लाइसेन्स की फीस

१८४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बन्दूकों के लाइसेन्सों की चार आना सालाना फीस जमा कराने के लिये बन्दूक के मालिकों को जिला हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता है ? यदि नहीं, तो इस विषय पर विस्तार से बताने की कृपा करें।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) क्या यह सही है कि जिला टोंक में बन्दूक मालिकों को चार आना सालाना फीस जमा कराने के लिये ४० मील चल कर जाना पड़ता है और इसके लिये तीन-तीन, चार-चार दिन लग जाते हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि फीस जमा कराने के बाद लाइसेन्स की कॉपियों को काम के बहाने फिर रख लेते हैं, जिनको लेने के लिये फिर कई चक्कर लगाने पड़ते हैं ?

(४) क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) नवीन शस्त्र सम्बन्धी नियम जो अक्तूबर, सन् ६२ से राजस्थान में प्रचलित किये गये उनके अनुसार नवीनीकरण की फीस ५० नये पैसे हैं, न कि २५ नये पैसे। इस सम्बन्ध में सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं कि यह फीस बैंक में जमा कराई जाकर चालान भेजा जा सकता है, मनीआॅर्डर द्वारा या पोस्टल आर्डर द्वारा भी भेजी जा सकती है। फीस जमा कराने के लिये जिला हैड क्वार्टर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं।

(२) उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) फीस जमा होने के बाद बन्दूक मालिकों को यह कह दिया जाता है कि लाइसेन्स आपको तहसील की मार्फत मिलेगा और लाइसेन्स रिन्यू किया जाकर वितरण के लिये तहसीलों में भेज दिया जाता है। इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई शिकायत नहीं आई है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने बताया कि बैंक के द्वारा या दूसरे जरिये से भेज सकते हैं, मगर तमाम डिस्ट्रिक्टों में बैंक हैं नहीं। लोगों को ८ आने जमा कराने के लिये एस. डी. एम. के यहां जाना पड़ता है। वहां उनको एक-दो दिन वहां पैसा जमा कराने में लग जाता है।

श्री भीमसिंह : मनिआॅर्डर या पोस्टल आॅर्डर से भेज सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह एक स्थान का प्रश्न नहीं है, सभी जगह से इस प्रकार की शिकायतें हैं। लोगों को बन्दूकों के लाइसेन्स के लिये बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। आप कहते हैं कि इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई। मैं कहना चाहती हूं कि कई शिकायतें हैं और पिटीशन कमेटी में इसकी शिकायत आई है और जांच कमेटी विचार कर रही है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) दो प्रश्न हैं, एक तो लाइसेन्स देने का और दूसरा रिन्यू करने का। इसके लिये एक प्रोसीजर है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि तीन वर्षों के लिए एक साथ लाइसेन्स दे सकते हैं और पैसा मनिआॅर्डर के जरिये भेजा जा सकता है या बैंक या ट्रेजरी में चालान भर कर भेजा जा सकता है। इस प्रकार सभी सहूलियतें हमने दे दी हैं, और कोई सुझाव हों तो आप बता दें। आर्म्स एक्ट के अनुसार काफी सहूलियतें हमने दे दी हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप न्याय पंचायतों को लाइसेन्स भेज दें ताकि वे उन लोगों को बांट दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): गांव गांव में पटेल रहते हैं। वे लोग उनके पास पैसा जमा करा दें और वहीं से लाइसेन्स रिन्यू होने पर ले लें।

श्री मथुरादास माथुर: यह तो हमने कर लिया है। कई थाने पड़ते हैं वहां पर वे अपनी बन्दूक को दिखा दें और सर्टीफिकेट हासिल कर लें।

श्री मानसिंह महार: ८ आने लाइसेन्स के रिन्यू के लगते हैं और थाने में डेढ़ रुपया लग जाता है। इसलिये यह काम न्याय पंचायतों को दे दिया जावे। न्याय पंचायतों में जाकर दिखा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: यह बैंक आदि की सहूलियत शहर वालों के लिये हो सकती है....

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

कदमाली नदी पर पुल—निम्बाहेड़ा

१८५. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा कदमाली नदी पर पुल नहीं होने के कारण हर साल वर्षा काल में जान और माल का नुकसान होता है?

(२) क्या यह भी सही है कि इसी वर्ष एक पिकअप राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड निम्बाहेड़ा की इसी नदी में डूब गई थी और एक ट्रक मय बकरों के डूब गई और बकरे भी मरे थे?

(३) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि श्री अमरसिंह जैन वकील के दो बैल भी इसी पुल के न होने के कारण पानी में मर गये?

(४) क्या उक्त हालात की बिना पर सरकार यह समझती है कि जनहित में पुल का निर्माण तुरन्त कराया जाय?

(५) पुल के निर्माण का कार्य कब शुरू किया जायगा और समाप्ति की अवधि क्या होगी?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां।

(२) जी हां। बकरों के मरने के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(३) ऐसी इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(४) आवश्यकता महसूस करती है।

(५) कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आशा है वर्ष १९६४-६५ तक पूरा होगा।

श्री अब्दुलजब्बार: ड्राइवर को जो चोटें आई या उसके दिमाग को हानि पहुंची, उसका कोई कम्पेन्सेशन गवर्नमेंट ने उसको दिया है?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

जयपुर शहर के चांदपोल दरवाजे पर ट्राफिक

१८६. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर शहर के चांदपोल दरवाजे के ट्राफिक को हलका करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(श्री स्वरूपनारायण पुरोहित)

(२) क्या सरकार एक-दो स्थान पर परकोटे को तोड़ कर सुगम मार्ग बना कर ट्राफिक को हल्का करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) चांदपोल दरवाजे के ट्राफिक के नियन्त्रणार्थ निम्न उपाय काम में लिये जा रहे हैं:—

(क) चांदपोल बाजार में सर्दियों में सुबह ८ बजे से १२ बजे तक व शाम को ४ बजे से ९ बजे तक, गर्मियों में सुबह ७ बजे से १२ बजे व शाम को ४ से १० बजे रात्रि तक भारी गाडियों का आना जाना बन्द किया हुआ है।

(ख) भारी गाडियां चांदपोल बाजार में सिर्फ एक तरफ से ही अन्दर आ सकती हैं। यानी चौपड की तरफ से।

(ग) ट्राफिक सिपाहियों की संख्या भी दो से सात कर दी गई है।

(घ) बैलगाडियों को भी ज्यादा भीड के समय वाले घंटों में बाजार में न आने दिया जाय, के बारे में चेयरमैन म्युनिसिपल कौन्सिल को सुझाव दिये गये हैं।

(ङ) अनाज मंडी को हटाने की भी कार्यवाही की जा रही है।

(२) अभी नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अनाज मंडी कहां लगाने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): जालूपुरा में।

एक माननीय सदस्य: अभी परकोटा को तोडने का निर्णय नहीं लिया है, तो कब तोडने के बारे में गवर्नमेन्ट निर्णय लेगी ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि प्लॉट्स के पैसे लिये और प्लॉट्स नहीं दिये ?

श्री मथुरादास माथुर: जी हां, यह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह: तो फिर उनको जल्दी से जल्दी पजेशन क्यों नहीं दे दिया जाता ?

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, इसका ट्राफिक से कोई संबंध नहीं है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: मेरा इस प्रश्न को रखने का मतलब यह था कि जिस तरह से सांगानेरी दरवाजे में खाली जगह थी वह रुक गई है उसी तरह से यहां मर भी····

श्री अध्यक्ष: आप बहस नहीं करें।

(विराम)

नेक्स्ट।

नोहर सब-डिविजन में सडक निर्माण-कार्य

१८७. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) नोहर सब-डिविजन में सन् १९५२ से लेकर सन् १९६२ तक कुल कितनी और कहां से कहां तक के लिये सडकों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया गया और उनमें से अब तक कुल कितनी सडकें अधूरी पडी हैं ?

(ख) अगर कोई सडकें अधूरी पडी हैं तो इसका क्या कारण है और वे कब तक पूरी कर दी जावेंगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची प्रस्तुत है ।

(२) फिगर्स सूची में दर्ज हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हरदत्तसिंह : आपने जो सूची दी उसमें लिखा है कि कम्प्लीटेड, वर्क अन्डर प्रोग्रेस तो क्या आप यह बताने की कोशिश करेंगे कि ये काम किस जगह चले हैं ? मैं जानकारी देता हूं कि ये काम यहां चले नहीं हैं ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कौनसी सडक का पूछ रहे हैं ?

श्री हरदत्तसिंह : आइटम नं० ५ नोहर से रावतसर सडक, इसके लिये सूची में दर्ज है Work in progress. मैं जानकारी के लिये इत्तला देता हूं कि वहां ५ साल से कोई काम चालू नहीं है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : काम चालू है ।

श्री हरदत्तसिंह : मैं आपको सूचना देता हूं कि वहां काम चालू नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : 'काम चालू' की डेफिनेशन क्या है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : काम चालू है इसकी डेफिनेशन यह है कि हमने अपनी तरफ से कॉन्ट्रेक्टर को ठेका दे दिया है ।

श्री हरदत्तसिंह : ठेका दे दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां ।

श्री हरदत्तसिंह : किसको ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह नाम तो मेरे पास नहीं है ।

श्री हरदत्तसिंह : आपके पास जानकारी कहां से आई है कि काम चालू है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जानकारी विभाग से आई है कि 'The work is in progress.'

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किस प्रकार का काम हो रहा है ? जब कि यह कहा गया है कि 'The work is in progress' तो he must know the factual position ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं जानकारी बाद में दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैंने एक महीने पहले, नोहर से रावतसर जीप से ट्रेवल किया है । तीन-चार महीने पहले अध्यक्ष महोदय खुद जाकर आये हैं; वहां किसी तरह का काम नहीं हो रहा है । तो यह जो सूचना दी गई है कि "वर्क इन प्रोग्रेस" यह गलत है वहां किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उनके मोटे दिमाग में स्वीकार करना भी तो काम शुरू करना है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमेशा 'जी हां', और 'जी नहीं' में ही जवाब दिया है, आज पकडे गये ।

श्री हरदत्तसिंह : आइटम नं० ७ सूची में दिया है उसमें भादरा से साहवा रोड के

(श्री हरदत्तसिंह)
लिये लिखा है कि एप्रब्ड क्वेरीज में कंकरी एग्जास्ट हो गई है तो यह किस साल हो गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: तृतीय पंचवर्षीय योजना में काम शुरू हुआ। उसमें कंकरी के ठेकेदार की ओर से कुछ झगडा खड़ा किया गया था क्वेरी का, जिस क्वेरी का ठेका लिया था, पत्थर नहीं मिला। पैसों का झगडा चल रहा है। फिर भी इसे शिड्यूल टाइम में पूरा कर दिया जायगा।

श्री हरदत्तसिंह: यह क्वेरी कब समाप्त हो गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इसको साल भर हुआ है।

श्री हरदत्तसिंह: आप कह रहे हैं एक साल से क्वेरी बन्द हुई, पर वहां काम ६ साल से बन्द है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: झगडा पड गया है जिससे बन्द है, मैंने कब कहा कि काम शुरू हो गया है।

श्री हरदत्तसिंह: वहां क्वेरी में कंकरी खत्म हो गई तो कंकरी कहां से लाई जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: दूसरी क्वेरीज से।

श्री हरदत्तसिंह: कितनी दूर है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: यही डेढ़-दो मील दूर हैं।

श्री हरदत्तसिंह: किस जगह ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इतनी डिटेल्स इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

जयपुर शहर की सड़कें

१८८. श्री **स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या शहर जयपुर में अधिक यातायात वाले मार्गों में पत्थर की सडक के स्थान पर डामर की सडक बनाई जाने की कोई योजना है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर शीघ्र कदम उठाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

सांचोर की जल प्रदाय योजना

१८९. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि सांचोर में नल योजना का कार्य जून, सन् ६२ तक पूरा होने वाला था ? क्या यह भी सच है कि वह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हुआ ? ऐसा न होने के क्या क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सच है कि वाटर स्टोरेज टैंक का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? वह कार्य कब तक शुरू हो जावेगा और उसके कब तक समाप्त होने की उम्मीद है ?

(३) क्या यह सच है कि जल-प्रदाय योजना के अन्तर्गत एक बेरे में बोरिंग कराया गया था और वह बोरिंग सक्सेसफुल,

Page No 29

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
नहीं हुआ ? अगर हां, तो अब सरकार ने पर्याप्त जल—नल योजना के लिये—प्राप्त करने के हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं ? क्या यह भी सच है कि मौजूदा बेरों का पानी नल योजना के लिये पर्याप्त नहीं होगा और जब तक बोरिंग स्कीम सफल नहीं होगी नल योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा ?

(४) क्या सांचोर में बोरिंग शुरू कराने के पहले बोरिंग स्कीम के लिये कोई सर्वे कराया गया था ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या सरकार अब पूरा सर्वे करा कर नया बोरिंग कराने का विचार रखती है और यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

(५) अब जल प्रदाय योजना कब तक सम्पूर्ण होकर जनता को पानी मिल सकेगा ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी नहीं। कार्य पूरा होने में समय अधिक अवश्य लग गया; क्योंकि कुंए में बोरिंग करने के बाद पानी की किस्म बदल गई और नया बोरिंग करना पड़ रहा है।

(२) जी नहीं, वाटर स्टोरेज टैंक का काम शुरू होकर १५ फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया है और यह कार्य लगभग दो माह में पूरा हो जावेगा।

(३) जी हां, बोरिंग से पानी की मात्रा तो बढ़ गई, परन्तु पानी कुछ खारा होने से पीने योग्य न रहा। नया ट्यूब वैल गांव के समीप तैयार हो रहा है और पर्याप्त मात्रा में मीठा पानी मिलने की आशा है। मौजूदा बेरों में पानी पर्याप्त नहीं है।

(४) बोरिंग शुरू करने के पहले कोई सर्वे नहीं कराया गया, क्योंकि सर्वे आवश्यक नहीं और अण्डर ग्राउण्ड पानी के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

सर्वे कराने की कोई आवश्यकता नहीं, अतः प्रश्न नहीं उठता।

(५) योजना ६३-६४ तक पूरी होने की आशा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: बोरिंग जो दूसरी जगह हो रहा है उसमें देर का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री भगराज !

सुमेरपुर-भीनमाल बस सर्विस वाया थूर गांव

१९०. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सुमेरपुर तथा भीनमाल के बीच चलने वाली बसों का रूट वाया थूर गांव है ?

(२) यदि हां, तो उपरोक्त बसें वाया थूर गांव होकर नहीं चलने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही है कि थूर गांव की जनता ने उक्त बसों द्वारा बर्ती जाने वाली अनियमितता के बारे में कलेक्टर जालौर व आर. टी. ए. जोधपुर को दर्ख्वास्तें पेश कीं ?

(४) यदि हां, तो अब तक उन दर्ख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितता कब तक दूर की जावेगी ?

Page No 30

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) जी नहीं।

(२) मार्ग अधिक रेतीला यानि मोटर चलने के काबिल न होने के कारण बसें थूर गांव में नहीं जाती हैं।

(३) हां, पंचायत थूर, पंचायत समिति जसवन्तपुरा व विकास अधिकारी की तरफ से दर्ख्वास्तें आर. टी. ए. में जरूर पेश हुईं।

(४) उन दर्ख्वास्तों पर मोटर विहिकल्स इन्स्पेक्टर, जालौर की रिपोर्ट मांगी गई है व मोटर मालिकों को मोटर विहिकल एक्ट की धारा ६० के तहत नोटिस दिया गया है, जिसके जवाब में मोटर मालिकों ने बताया कि रास्ता मोटर चलने काबिल नहीं है। अब यह मामला आर. टी. ए. जोधपुर की बैठक में रखा जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या इस रूट के परमिट में थूर नहीं लिखा है ?

श्री भीमसिंह: है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: जो कन्ट्रावेन्शन किया रूल्स का · · · · · ·

श्री भीमसिंह: इसीलिये नोटिस दिया।

श्री भगराज चौधरी: इन्स्पेक्टर की जो रिपोर्ट आई है वह बिल्कुल गलत है। रास्ता बसेज के आने-जाने के काबिल है, इसलिये गांव वालों ने मांग की थी, सरकार ने उसे माना है, फिर भी लागू नहीं करती है तो यह ठीक नहीं है।

श्री भीमसिंह : आप चाहें तो आपके साथ इन्सपेक्टर को भेजा जा सकता है।

श्री भगराज चौधरी: मेरे साथ जाने का प्रश्न नहीं है। इन्क्वायरी ठीक तरह से नहीं कराई है। इन्क्वायरी ठीक तरह से कराई जानी चाहिये · · · ·

श्री भीमसिंह: इसको री-इन्वेस्टिगेट करवा लिया जायगा। जो मीटिंग आ रही है उसमें आर. टी. ए. ने इसे रखा है।

श्री भगराज चौधरी: ४ साल से यह मामला चल रहा है, गांव वालों को बडी परेशानी हो रही है · · · · ·

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

पॉवर हाउस, जयपुर के मीटर रीडर

१९१. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा): क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पावर हाउस, जयपुर में सन् १९५० से १९६१ तक कौन कौन मीटर रीडर वर्क चार्ज पर काम करते आ रहे हैं ?

(२) सन् १९५० से सन् १९६० तक वर्क पर काम करने वालों में से किस किस व्यक्ति को वर्क चार्ज से हटा कर परमानेन्ट पोस्ट दी गई ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा): (१) केवल ११ व्यक्ति वर्क चार्ज पर काम कर रहे हैं, सूची संलग्न है।

(२) किसी को नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': कितनी परमानेन्ट पोस्ट्स मीटर रीडर्स की हैं ?

Page No 31

श्री परसराम मदेरणा: २४ परमानेन्ट पोस्ट्स अब क्रियेट की गई हैं। ११ पहले थीं और १३ अब हुई हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': वर्क चार्ज पर १० साल तक लगातार काम कर रहे हैं, उनको परमानेन्ट क्यों नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा: १० साल से लगातार नहीं कर रहे हैं। कन्ज्यूमर्स की संख्या में बढोतरी हो गई, परमानेन्ट पोस्ट्स थीं नहीं, इसलिये वर्क चार्ज पर मीटर रीडर्स एंगेज किये, जिन्होंने अलग अलग समय पर काम किया। सन् १९५० से एक ही आदमी काम कर रहा है। अब पोस्ट्स क्रियेट हो गई हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): वर्क चार्ज स्टाफ को कितने अर्से में परमानेन्ट करते हैं, इस बारे में रूल्स बनाये हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात और रह गई है: ११ आदमियों के नाम दिये हैं कि ये टेम्परेरी पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं, पर वास्तव में इनसे ज्यादा आदमी टेम्परेरी पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं, उनके नाम लिस्ट में नहीं दिये हैं, ५० से ६१ तक लगातार काम कर रहे हैं, उनके नाम इसमें नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा: मीटर रीडर्स वर्कचार्ज पर काम करते हैं, उनके नाम पूछे हैं वे दिये हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': ४-५ आदमियों के नाम नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा: आप नाम बता दीजिये, जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री गिरधारीलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय······

श्री अध्यक्ष: I have called for the next question.

देवगढ में बिजली

१९२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला उदयपुर में देवगढ में बिजली लगाने के लिये डीजल ईंजिन लगाने की योजना का क्या हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक सर्वे का काम पूरा होकर इंजिन व अन्य मशीनरी ही उपलब्ध करने का काम बाकी था ?

(३) क्या यह सही है कि इस वर्ष पावर सीमा में पूरी धनराशि उपलब्ध न करने के कारण इस कार्य की रफ्तार में कमी आ रही है ?

उप-मंत्री, विद्युत (**श्री परसराम मदेरणा**): (१) देवगढ का विद्युतीकरण १९६३-६४ की प्रस्तावित योजना में शामिल कर दिया गया है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। योजना के अनुसार यह कार्य १९६३-६४ की योजना में सम्मिलित है।

श्री अध्यक्ष: श्री हीराभाई।

कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़क

१९३. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़क को पक्का डामर रोड बनाने के लिये कुछ धन-राशि मंजूर की जाकर कार्य आरम्भ करने के वास्ते ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो कब और क्या, कुल निर्माण कार्य पूरा हो गया ? अगर नहीं, तो यह सड़क कब तक पूरी बन कर तैयार हो जावेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): जी हां, मास फरवरी, १९६३ में।

जी नहीं। आशा है चतुर्थ योजना में।

श्री हीराभाई: अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि परसों के प्रश्न में कहा गया था कि काम जारी है और आज कह दिया कि ठेका दे दिया गया है, तो कौन से उत्तर को हम सही समझें और कौनसे को गलत ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: पहले दो का सड़कों पूछा था उसके लिये कहा था।

१२.० मध्यान्ह

श्री हीराभाई: वह किस आधार पर कह रहे थे कि काम जारी है, वहां भी डामर रोड का काम था ? इसमें यह है कि ठेका दिया गया है। कब से दिया गया ? अब कह रहे हैं कि टेन्डर लेने ही बाकी हैं; विचार किया जावेगा। कैसे गलत सदन को बताते हैं ? क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: बहुत स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

Excess demands for grants.

श्री मानसिंह महार (आमेर): **स्थगित** प्रश्न का तो जवाब दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: लाखेरी नगरपालिका के फूड इन्सपेक्टर।

स्थगित प्रश्न

२७-२-१९६३

लाखेरी नगरपालिका के फूड इन्सपेक्टर

१९. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका में एक क्लर्क फूड इन्सपेक्टर का कार्य करते है ?

(२) यदि हां, तो क्या वे इस पद के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं ?

(३) लाखेरी नगरपालिका के अन्तर्गत कितने लाइसेन्स इस वर्ष में कब कब बनवाये गये ?

(४) क्या सरकार उक्त फूड इन्सपेक्टर के स्थान पर किसी योग्य फूड इन्सपेक्टर की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां। यह सेनीटरी इन्सपेक्टर का कार्य भी करते हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जनवरी, १९६३ से २४ फरवरी, १९६३ तक ३९ लाइसेन्स बनाये गये हैं।

(श्री दौलतराम सारण)
ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री **हरिप्रसाद शर्मा**: आपने कहा कि फूड इन्सपेक्टर की आवश्यकता नहीं है तो क्यों बना रखा है?

श्री **दौलतराम सारण**: आप लाखेरी के चेयरमैन थे?

श्री हरिप्रसाद: जी हां।

श्री दौलतराम सारण: आपकी सिफारिश पर नियुक्त किया था।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: इसका मतलब यह थोड़े ही है कि वे पक्षपात करें और उनको करने दिया जाय। मर्जी चाहे जिसका चालान दिला देते हैं। सूची दी है वह गलत है। मौजूदा साल की सूची दी है, पिछले साल की नहीं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

(कृपया शेष तारांकित प्रश्नोत्तर ९४, ९५ व ९६ के लिये परिशिष्ट ६ देखिये)।

(१२.३ म. प.)

अधिक अनुदान की मांगें सदन में लेने सम्बन्धी वाद-विवाद।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में जो ग्रान्ट्स से एक्सेस खर्च हुआ है उसकी और मांगें सदन से मंजूर करवाना चाहते हैं। यह आप देखेंगे कि १९५८-५९ के हैं जिनके एक्चुअल सन् १९६० में तैयार किये थे और साधारणतया जब सन् १९६०-६१ के लिए बजट पेश किया गया तो उसके साथ अगर ये वोटेड डिमान्ड से अधिक खर्चा हुआ था तो सामान्यतया यह उसी समय सदन के सम्मुख आना चाहिये था, जो इस समय पेश किया जा रहा है और जो सर्कुलेट हुआ है। उसमें कोई कारण नहीं बताया गया कि दो वर्ष तक इन एक्सेस डिमान्ड्स को क्यों नहीं पेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने जो डिमान्ड्स पास की उनसे अधिक खर्च करना, यह अपने आप में एक अधिक एक्स्ट्रा-ओर्डिनेरी बात है और ऐसी स्थिति में ऐसा कोई कारण न बताया जाय तब तक सदन को इन डिमान्डस पर विचार नहीं करना चाहिये।

श्री **अध्यक्ष**: आपको (वित्त मंत्री से) कुछ कहना है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): On a point of information, Sir ये जो एक्सेस डिमान्ड्स–वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक्चुअल अमाउन्ट कब खर्च किया गया है और क्या कन्सोलिडेटेड फन्ड में से खर्च किया गया है?

श्री **बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे वाकफियत है १९५९-६० की डिमान्ड्स का ब्यौरा आया ए. जी. के यहां से वह उस टाइम के बाद आता है जब एक्चुअल की इन्फोर्मेशन आती है और उसके बाद जब तक कि पी. ए. सी. इन डिमान्ड्स को एक्सेप्ट न कर ले तब तक हाउस के सामने यह चीज आ नहीं सकती, इसलिये यह इत्तला हमारे पास मई, १९६२ में आई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: खर्चा कब हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : उसी समय हुआ। उसको रेगुलराइज् करने के लिए आज सदन के सामने रखा जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कन्सोलिडेटेड फन्ड में से खर्चा हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल: जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): कॉन्टीजेन्सीज में से या कन्सोलिडेट फंड में से ?

श्री बालकृष्ण कौल: कन्सोलिडेटेड फन्ड में से।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल २६३ अपने कान्स्टिट्युशन का यह कहना है कि कन्सोलिडेटेड फन्ड में से कोई भी पैसा जब तक एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट न बन जाय तब तक खर्च नहीं हो सकता है। इस केस में संविधान के उस आर्टिकल का उल्लंघन करके कन्सोलिडेटेड फन्ड में से पैसा खर्च किया गया है और उसके लिए अब एप्रोप्रियेशन बिल माननीय वित्त मंत्री महोदय ला रहे हैं। मेरे अनुमान से यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है। आर्टिकल २०५ जो संविधान का है जिसके अन्तर्गत यह वोटिंग सदन के सामने आते हैं उन पर विचार हो सकता है, वे पारित हो सकते हैं; सारी चीजें अलग हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन इस पर विचार करे। संविधान के अनुच्छेद २६६ का स्पष्टतया उल्लंघन हुआ है और बिना एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट पास किये संविधान के आर्टिकल के विरुद्ध इस धन-राशि को राज्य सरकार ने या भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने सन् ५८-५९ में खर्च किया है। आज जो सदन के सामने आंकड़े पेश किये गये हैं ये आंकडे नहीं लाये गये, सन् ५९-६० के बजट में ये आंकड़े नहीं लाये गये। सन् १९५९-६० के जो आंकड़े इस सदन के सामने प्रस्तुत किये गये हैं उनमें भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने १२.६५ लाख का सरप्लस बजट प्रस्तुत किया था। यदि ये डिमान्ड्स समय पर पेश हो जातीं और एप्रोप्रियेशन बिल सदन से पास करा लिया जाता तो सदन को इस प्रकार का धोखा नहीं होता कि घाटे का बजट सरप्लस का दिखाया जाता। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि सन् १९५९-६० में बजट सरप्लस दिखाया है, सदन का अधिकार सही आंकड़े जानने का है, उनको सही आंकडे न बता कर धोखे में रख कर बजट को सरप्लस बताया गया है, यह सदन के अधिकारों का हनन हुआ है और यह ब्रीच ओफ प्रिविलेज है। लगातार तीन वर्ष तक पता नहीं चला। आर्टिकल २०२ ग्रॉफ दी कोन्स्टिट्यूशन कहता है और मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा।

"202(1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—

(*a*) the sums required to meet expenditure described by this Cons

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

titution as expenditure charged upon the Consolidated Fund of the State; and

(*b*) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of the State;

and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure."

यह आर्टिकल २०२ के (१) और (२) क्लाज हैं उसके बाद एन्युअल फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के बारे में जो बजट ले डाउन करते हैं वह है २०३ कि किस प्रकार का प्रोसीजर होगा। आर्टिकल २०५ कहता है कि एप्रोप्रियेशन बाद में आवेंगे जिनको पास कर दिया गया है। सप्लीमेंटरी एडीशनल और एक्सेस ग्रान्टस की जो व्यवस्था की गई है वह मैं पढ़ देता हूं:–

"205-(1) The Governor shall —

(*a*) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(*b*) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,

Cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statment sh' owing estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be."

मेरे माव के अनुसार, २०५ आर्टिकल के क्लाजेज (ए) (बी) के अनुसार एक्सेस डिमान्ड्स १९५९-६० की प्रस्तुत की जाती है वे ५८-५९ के साल के बारे में थीं। संविधान के आर्टिकल में सप्लीमेंटरी ग्रान्टस प्रस्तुत करने के बारे में साफ उल्लेख है कि वे उसी साल प्रस्तुत की जायगी और पास भी उसी फाइनेन्शियल इयर में हो जानी चाहिये। जहां तक एक्सेस डिमान्ड का सवाल है यह रुपया उस साल में खर्च हो गया और यह खर्च पिछले साल का होने के कारण सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के रूप में नहीं ले सकते। अगले वित्तीय वर्ष में, जहां ज्यादा खर्च हो गया उसके लिये एक्सेस डिमान्ड्स की मांग जो आज आती है वह १९५९-६० में भी आ सकती थी।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि १९५९-६० में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें सरप्लस दिखाया गया था। इस तरह से इन परिस्थितियों को देखते हुए यह बडा भारी धोखा हुआ है। सही आंकडे आर्टिकल २०२ के अनुसार पेश नहीं किये गये। इससे पहले संविधान के अनुच्छेद २०५ (ए) और (बी) के अनुसार एक्सेस डिमान्ड्स किस प्रकार रखी जानी चाहिये उसका भी पालन नहीं किया गया है इसलिये आज वे डिमान्डस पेश नहीं हो सकतीं। इस तरह से यह एक प्रकार से ब्रीच आफ प्रिविलेज सदन के साथ हुआ है। इसलिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की परम्परा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये। इस बारे में मैं ब्रीच ऑफ प्रीविलेज का मोशन मूव करना चाहता हूं जो इस प्रकार होगा . . .

श्री अध्यक्ष : आप उसके बारे में, जो सदन के सामने मोशन नहीं, कुछ न कहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने लिख लिया है, मैं पेश कर रहा हूं . . . .

श्री अध्यक्ष: आप, जो मोशन सामने है उसी पर कहियें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह ब्रीच ऑफ फेथ अवश्य है; ग्रेव इर्रेगुलेरिटी है। ब्रीच आफ प्रिविलेज यह हो सकता है या नहीं, यह तो विधान के पंडित ही बता सकते हैं। लेकिन यह इर्रेगुलेरिटी है और ब्रीच ऑफ फेथ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ब्रीच ऑफ प्रीविलेज मैंने लिख लिया है और मैं वह आपके सामने पेश करूंगा। मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूं।

अब मैं आर्टिकल २१५ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आर्टिकल २१५ में व्यवस्था है सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के बारे में।

इस संबंध में मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ब्रिटिश पालियामेन्ट में इस प्रकार का उदाहरण आया था। ब्रिटिश पालियामेन्ट में चेम्बरलेन ने भाषण दिया था २१ अगस्त, १९२१ को; जिसमें उन्होंने लिखा है :—

"Supplementary estimates are a weak joint in the arm our of any Government."

इसी प्रकार का एक केस कलकत्ता हाई-कोर्ट में भी आया था। जिस पर जस्टिस घोष ने ऑब्जर्वेशन्स दिये हैं; वे भी मैं सदन के सामने पढ़ने की इजाजत चाहता हूं :—

"A figure in an estimate once passed by the Legislative Council cannot be altered except as provided by the statutory rules. If, therefore, Government subsequently find that any item has been inadvertently omitted from the demands for grants, or that demands which could not be foreseen atteht time of presenting the Budget have since arisen or that the provision made for any item is likely to prove insufficient, the same formality has to be gone through as in the case of the original demands and Government has to make a fresh demand known as a supplementary or additional demand and submit a fresh estimate to the Legislative Council. That such should be the case is only natural, considering the fact that the original estimates are framed from 6 to 8 months in advance of the actual occurrence of the facts and the natu re of the charges for which provision has to be made is so vast and varied. As Col. Durell points out in his book on Parliamentary Grants, Chapter I. page 49, it is

Page No 37

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

a sound principle that one, and only one, estimate of national expenditure should be laid before Parliament during each session, for to render Parliamentary control effectual, it is necessary that the House of Commons should have the money transactions of the year presented to it in one mass and in one account, Supplementary estimates are always looked upon with particular jealousy by popular Legislature because they tend to diminish the control of the Legislature, and if for large sums, really amount to a breach of contract between the Government and the Legislature."

They have used the words 'Breach of contract, which according to me, means breach of Privilege.

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज तो मैं अलग से दे ही रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद २०५ (ए) (बी) व (सी) के अन्तर्गत इस प्रकार की एक्सेस डिमान्ड्स न सदन में प्रस्तुत की जा सकती है और न एप्रोप्रियेशन बिल पर सदन में विचार ही किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि जो एक्सेस डिमान्ड्स १९५८-५९ की हैं उनको प्रस्तुत नहीं करने दिया जाय क्योंकि ये बहुत देर से प्रस्तुत हुई हैं। इसी आपत्ति के साथ साथ माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने भी अपनी आपत्ति उठायी है। उन्होंने कहा है कि इसको ब्रीच ऑफ कोन्ट्रेक्ट और ब्रीच आफ प्रिविलेज माना जाय। मैं माननीय सदस्यों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायगा कि बजट किस तरह से सदन के सामने पेश होता है और वह किस तरह से सदन के सामने आना चाहिये।

इसमें दो राय नहीं कि बजट महत्वपूर्ण चीज है। उसमें केवल सरकार का हिसाब किताब या लेखा-जोखा ही नहीं, सारे राज्य का आर्थिक तंत्र होता है। देश और प्रान्त की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वह भी उसमें होती है। इसलिये इसका बड़ा महत्व होता है। इसलिये सबसे उपयुक्त तो यह होता है कि बजट एक बहुत सही तरीके से बनाया जाय और जो एस्टीमेट्स हैं, जहां तक हो सके अच्छी तरह से बना कर सदन के सामने प्रस्तुत किये जायं। इसलिये कम-ज्यादा खर्च करने का प्रश्न ही पैदा न हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारे साल के दौरान में ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है और उसके लिये हमारे संविधान में प्रावधान हैं। उसके लिये सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स प्रस्तुत होती हैं और जब अनुपूरक अनुदान पेश न हों और कई साल के बाद पता चले कि बजट प्रावधान से ज्यादा खर्च हो गया था तो उस स्थिति में एक्सेस डिमाण्ड्स पेश की जाती हैं और उनको पास किया जाता है। उसके लिये मैं कुछ स्पष्टीकरण करने के लिये संविधान के अनुच्छेद २०५ जो इससे संबंध रखता है सदन के समक्ष पढ कर सुनाना उपयुक्त समझता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

आर्टिकल २०५ (ए) इससे संबंधित नहीं है। इसका भाग (बी) इस प्रकार है:—

"The Governor shall—

....

(*b*) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.'

यह सही है कि कन्सोलिडेटेड फण्ड से कोई पैसा बगैर सदन की अनुमति से नहीं लिया जा सकता इस संबंध में प्रावधान है २६६ का।

२६६ (३) में लिखा है :—

"(3) No moneys out of the Consoliated Fund of India or the Consolidated Fund of a State shall be appropriated except in accordance with law and for the purposes and in the manner provided in this Constitution."

इसका संविधान में प्रावधान किया गया है कि एक्सेस और सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स किस तरह से और किस स्थिति में सदन के सामने आएंगी। इस स्थिति में ऐसा होता है कि जिस साल का पता चल जाय कि इस साल में ज्यादा खर्च हो गया तो उसके लिये उसी साल सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स आ जाती हैं। लेकिन ए० जी० की रिपोर्ट के बाद जब पता लगता है कि जो मांग स्वीकृत की गई थी सदन के द्वारा उससे ज्यादा खर्च हो गया है। तो वह ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के सामने जाती है कि किस तरह से इसको रेगुलराइज किया जाय। राजस्थान विधान सभा १९६२-६३ का पहला प्रतिवेदन तीसरी विधान सभा के पृष्ठ २९, पैरा ५१ जो इसके बारे में है वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"अंकेक्षा प्रतिवेदन १९६० के पैरा ८ और ९ में बताये गये अतिरेक के अंकों से यह स्पष्ट है कि संबंधित विभागों द्वारा व्यय पर जैसा नियंत्रण रखा जाना चाहिये था वह नहीं रखा गया। यद्यपि समिति की राय में अतिरेक नहीं होने देने चाहिये थे या कम से कम वर्ष की समाप्ति से पहले इन कार्यों के लिये और राशि ले लेनी चाहिये थी, फिर भी वह सिफारिश करती है कि इन मामलों को भारत के संविधान की धारा २०५ के अन्तर्गत नियमित करा लिया जाय।"

और इसी जनलेखा समिति की सिफारिश के अनुसार यह रेगुलराइज़ कराने के लिये यहां पर एक्सेस डिमाण्ड्स फोर ग्रान्ट्स आई हैं। इसलिये इसमें कोई वैधानिक आपत्ति हो, ऐसी बात नहीं है।

पर जैसा मैंने शुरु में कहा कि बजट पेश करते समय ध्यान से पेश करना चाहिये और अच्छा बजट वही है जिसमें बहुत कम हेर-फेर हो, ताकि बाद में न सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स लानी पड़ें और न एक्सेस डिमाण्ड्स के लिये कुछ कहना पड़े। लेकिन सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स पेश करते समय तक अगर इनकी जानकारी न हो सके तो यह भयंकर स्थिति है। पता भी न लगे और ज्यादा खर्चा

(श्री अध्यक्ष)

हो गया और इसका पता भी तब लगे जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आए। इसलिये आपत्ति को अस्वीकार करते हुए यह मैं अवश्य कहूंगा कि जैसा श्री सतीशचन्द्र ने कहा कि इस बजट में सरप्लस दिखाया गया था और डिमाण्ड्स आई हैं २३५ लाख से ज्यादा की। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि सरकार किस तरह से बजट तैयार करती है और किस तरह से बजट के अनुमान लगाये जाते हैं और उनके एस्टीमेट्स कितने गलत साबित होते हैं। इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट बनाते वक्त ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जावे और बजट जो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है हमारे प्रदेश के लिये और राष्ट्र के लिये उसको जितनी ज्यादा सावधानी से तैयार करना हो उतनी सावधानी से करें, ताकि सदन के समक्ष और देश के समक्ष हमारे यहां की बजट की सच्ची तस्वीर सरकार के फाइनेन्सेज़ की और संबंधित बातों की आ सके।

अन्त में इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि वे अपनी मांग पेश करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir, one point has remained unanswered, and that point is whether this House is, under the Constitution, competent to discuss it. It is not a question of regularising or.......

श्री अध्यक्ष: अगर माननीय सदस्य मुझे ठीक तरह से सुनते तो मालूम पड़ता कि मैंने संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख किया है। अब सदन को यह अख्तियार है कि जिस तरह से वह चाहे उस तरह से इनको पास करे।

(१२२.७ म.प.)

अधिक अनुदान की मांग संख्या ८७––स्टाम्प्स

श्री बालकृष्ण कौल: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८७, मुख्य शीर्षक ९-स्टाम्प्स के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,७५७) तक की राशि प्रदान की जावे।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:––

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मांग संख्या ८७, मुख्य शीर्षक ९–स्टाम्प्स में १) रु० की कटौती की जाय। (स्टाम्पों को बेचने में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु।)]

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, स्टाम्प्स की बिक्री की जो व्यवस्था सरकार द्वारा इस समय की हुई है, उससे संबंधित प्रश्न को मैं इस कट मोशन के द्वारा पेश करना चाहता हूं।

पहले इस प्रकार का प्रबन्ध था कि स्टाम्प बेचने के लिये स्टाम्प वेन्डर्स थे और सभी स्टाम्प उन्हीं के जरिये पब्लिक को दिये जाते थे व उनको कमीशन मिलता था। अब सरकार ने इस व्यवस्था में हेर फेर कर दिया है और स्टाम्प वेन्डर के पास कुछ एक मात्रा तक के स्टाम्प बेचने को दिये जाते हैं। बाकी ऊंची कीमत के ट्रेजरी से जाकर खरीदने पड़ते हैं और इस तरीके से आम पब्लिक को बहुत असुविधा

Page No 40

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होती है । कई बार एक-एक, दो-दो रोज केवल स्टाम्प लेने में लग जाते हैं । सरकार का इरादा शायद इसमें एक ही हो सकता है कि जो मामूली स्टाम्प वेन्डर्स थे और जो पचास-साठ रुपया माहवार इससे कमाते होंगे उनसे वह कमीशन बचा कर राज्य की आमदनी को पूरा करने का दृष्टिकोण दिखता है या शायद हमारी सरकार ने समाजवादी समाज कायम करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अनुसार इस धन्धे को भी सबसे पहले नेशनलाइज़ करने की ओर सरकार ने यह पहला कदम उठाया मालूम पड़ता है ।

मेरा यह ख्याल है कि जितनी आमदनी इस तरह से सरकार ने बचाई है उसके मुकाबले में जितनी छोटी-छोटी आमदनी के लोगों की आमदनी को छीना है सरकार ने और उससे भी अधिक जितनी बड़ी मात्रा में आम पब्लिक को इससे असुविधा होती है उसमें कहीं बहुत ज्यादा अन्तर है और इसलिये मैं कहूंगा कि सरकार अपने इस निर्णय में तब्दीली करें और व्यवस्था इस प्रकार की करें कि जिससे आम स्टाम्प वेन्डर्स से ही जनता को स्टाम्प सब तरह के मिल जावें और सरकार उनसे कमीशन बसिस पर जैसा पहले था वैसे कुछ तय कर ले ताकि आम जनता को अपना अमूल्य समय और श्रम तथा धन भी व्यर्थ में नष्ट न करना पड़े ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो उत्पन्न हुआ है वह इस बात के लिये है कि माननीय सदस्य मौजूदा स्टाम्पस् की बिक्री की व्यवस्था में कुछ तरमीम चाहते हैं ।

इस बारे में मैं इतना अर्ज कर दूं कि सरकार ने जो यह नीति बनाई है इसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि स्टाम्प के हिसाब में कुछ ऐसा गोल-माल न हो जिससे सरकार को आगे चल कर नुकसान हो ।

दूसरी असुविधा की बात कही तो इसमें यह देखने की बात है कि बड़े कीमती स्टाम्प आम तौर पर बड़े शहरों में बिकते हैं इसलिये वहां असुविधा का सवाल नहीं पैदा होता है और फिर अब तक सरकार के सामने इस किस्म की कोई बात नहीं आई है कि जिससे असुविधा जाहिर हो । लेकिन माननीय सदस्य ने जो असुविधा की बात रखी है उस पर सरकार जरूर विचार करेगी और देखेगी कि सरकार के पास कितनी ऐसी शिकायतें आई हैं असुविधा की । मैं उनको आश्वासन दिलाता हूं कि अगर वाकई जैसी असुविधा बताई है वैसी है तो उस पर विचार किया जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पिछले साल भी यह सवाल रेज किया था उस वक्त भी आश्वासन दिया था ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने तो नहीं दिया, न मेरे पास कोई शिकायत आई ।

श्री अध्यक्ष: अब तो कर रहे हैं न ?

श्री बालकृष्ण कौल: देखूंगा कि शिकायतें कितनी आई हैं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने पिछले साल भी कहा, इस साल भी कहा, यह भी शिकायत ही है ।

Page No 41

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि मंन्त्री महोदय के पास में कोई लिखित रूप में प्रति–वेदन, शिकायत या रिप्रेज़ेण्टेशन न आया हो। पर मैं इस बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके स्टाम्प बेचने का तरीका जो ट्रेजरी में है उसके अनुसार बड़ी २ जगहों पर भी ट्रेजरी अफसर तीन बजे स्टाम्प जो चालान भर कर दिये जाते हैं उसके स्टाम्प निकाल कर देते हैं और इस तरह से तीन बजे जब स्टाम्प मिलते हैं तो उधर सब रजिस्ट्रार का दफ्तर बन्द हो जाता है। कोई बेचवाल कुछ मोर्टगेज या और कोई रजिस्ट्री कराना चाहता है तो वह उस रोज नहीं करा पाता। स्टाम्पस एक्ट के नीचे, रजिस्ट्री एक्ट के नीचे इतनी सैंक्टिटी है कि एक आदमी ११ बजे रजिस्ट्री कराना चाहता है, किसी को डीड कराना चाहता है, अपनी जायदाद देना चाहता है, मोर्टगेज करना चाहता है, अपना वसीयतनामा रजिस्ट्री कराना चाहता हैं और इस कारण नहीं करा पाता और शाम के चार बजे मर जाता है, कहीं चला जाता है या उसका विचार बाद में बदल जाता है तो आपके नियम के अनुसार क्योंकि स्टाम्प लेने में कम से कम चार घण्टे लगते हैं तो रजिस्ट्री दूसरे या तीसरे दिन करानी पड़ती है तो इन सब की असुविधाओं की कल्पना हम और आप सब कर सकते हैं। इस व्यवस्था में जो आज है, कम से कम दो दिन कोर्ट के चक्कर लगाते हैं तब रजिस्ट्री होती है।

श्री अध्यक्ष: आपका सुझाव क्या है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इसमें यह हो सकता है कि आज स्टाम्प वेण्डर को छोटे डिनोमिनेशन के स्टाम्प के लिये १।) रुपया सैकड़ा कमीशन देते हैं। अब सरकार यह सोचे कि अगर वह एक दिन में २००) रु० का एक स्टाम्प बेच दे तो एक मुश्त उसे ढाई रुपये देने पड़ते हैं और अगर यह ज्यादा लगे सरकार को तो यह किया जा सकता है कि स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से ऊपर के स्टाम्पों के लिये कमीशन कम कर सकती है।

उनको १। परसेन्ट की जगह ६५ न. पै. दो सौ रुपये के स्टाम्प पर दें लेकिन इससे जनता की बहुत बड़ी दिक्कत दूर हो जायेगी और जनता को हर वक्त स्टाम्प वेन्डर से स्टाम्प मुहैया हो सकें, चाहे वह कितने भी मूल्य का हो, इससे बहुत बड़ी सुविधा नागरिकों को मिलेगी और जो अनावश्यक तकलीफ पैदा की है इस रजिस्ट्रेशन के कराने में, स्टाम्प के बेचने के तरिके में, एक आदमी चक्कर निकाले और ट्रेजरी आफिसर को हाथ जोड़े कि मुझे आज का आज ही रजिस्ट्रेशन कराना है, इन सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। मेरा सुझाव यही है कि स्टाम्प वेन्डर्स के जरिये ही बेचावें तो लोगों की तकलीफ दूर हो सकती है।

श्री मुकुट बिहारी लाल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी है इस संबंध में, क्योंकि नियम ये बना दिये गये हैं कि बड़ी से बड़ी मात्रा का स्टाम्प काम में लाया जाये। जैसे मानो ८००) रुपये के टिकट लगाने है तो उसमें यह है कि अगर कोई आदमी पचास पचास रुपये के १६ स्टाम्प लगा दे तो उसे मान्यता नहीं दी जाती नियमों के अंतर्गत। तो परेशानी कहां पैदा होती है कि जहां यह हो कि ८००)

Page No 42

(श्री मुकुट बिहारी लाल)
रुपये के स्टाम्प्स लगाने हैं तो पहला ५००) रु० का, दूसरा २५०) रुपये का और तीसरा ५०) रुपये का होना चाहिए ; तो जहां इस प्रकार के प्रावधान हैं वहां परेशानी पैदा होती है । इसका नतीजा यह होता है कि किसी को आज ही दावा पेश करने की आखिरी मयाद है और आज ही दावा पेश हो जाना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो कल उसकी मयाद निकल जायेगी या फिर जैसे आज ही अपील पेश हो जानी चाहिये अगर नहीं हुई तो उसकी मयाद निकल जायेगी और बड़ी मात्रा के टिकट लगाने हैं तो उसी प्रक्रिया से उसको जाना होगा कि पहले वह कलेक्टर को दरख्वास्त दे, ट्रेजरी चालान भरे और फिर उसको वह मिले । तो मेरा ख्याल है कि इस मुसीबत को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए कि जिससे स्टाम्प्स के प्राप्त करने में असुविधा दूर हो सके । एक बात मेरे एक माननीय सदस्य ने और कही । उसमें यह बात साफ है कि कभी कभी यह होता है कि रजिस्ट्री वगैरह होती है वहां बड़ी भारी चक-चक होती है, जायदादों के मामले होते हैं । एक घन्टे बाद ही दूसरे व्यक्ति के चक्कर में फंस सकते हैं । तो होता यह है कि उसका विचार बदल जाता है और झगड़े टन्टे होते हैं और अन्नेसेसरी लिटिगेशन्स बढ़ते हैं । तो मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि इस असुविधा की तरफ ध्यान दिया जाकर उचित व्यवस्था की जावे ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, जो आपने असुविधायें बताई वे वाकई सोचनीय हैं और मैं फिर आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं उस पर विचार करूंगा और जो कुछ मुमकिन हो सका जिससे लोगों को तकलीफ न हो वह किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८७, मुख्य शीर्षक ६ स्टाम्प्स के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,७५७ रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८७ स्वीकार की गई ।

(१२.३४ म.प.)

अधिक अनुदान की मांग संख्या ८८–
वाहनों पर कर

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदानों की मांग संख्या ८८, मुख्य शीर्षक १२-वाहनों पर कर के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६९५ रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मांग संख्या ८८, मुख्य शीर्षक १२–वाहनों पर कर में १) रु. की कटौती की जाय (ट्रांसपोर्ट विभाग के Inspection कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)]

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, इस मांग में तो 'तक की' नहीं होना चाहिए । यह तो डेफिनिट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अमाउन्ट हैं । लेकिन खर्चा कम हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : यह फ्ज्योलोजी ऐसी होती हैं कि इस मांग में इस तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिसका अमाउन्ट बिल्कुल फाइनेलाइज हुआ सप्लीमेन्टरी में या ओरिजिनल डिमान्ड में इसके अन्दर, इसलिए एग्जेक्ट अमाउन्ट होना चाहिए । फिर भी इसमें गवर्नमेन्ट यह रखना चाहती है, फिर एक्सेस और सेविंग की सूची और पेश करे तो वह गुंजाइश तो हम नहीं छोडना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है; जो इन्सपेक्शन विभाग ट्रान्सपोर्ट का है उसके संबंध में है । वैसे तो आज इस विभाग में चारों तरफ एक अजीब ही हालत है, लेकिन क्योंकि अभी संबंध इन्सपेक्शन विभाग से है अतः उसी की हालत की ओर में थोड़ा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वह यह हैं कि इन्सपेक्शन विभाग की एक परम्परा सी बन गई मालूम पड़ती है कि जो फिटनेस सर्टीफिकेट्स दिए जाते हैं उनकी बाकायदा रेट्स मुकर्रर हैं । जिस तरह बाजार में ज्वार और बाजरा की रेट्स का कोटेशन होता है उसी तरीके से हर साल जब इस प्रकार से गाड़ियों का इन्सपेक्शन होता है तो उनमें फिटनेस सर्टीफिकेट वगैरह दिया जाये इस तरह से वह काम किया जाता है । अलवर के बारे में मुझे जानकारी है कि वहां पर इन्सपेक्शन डिपार्टमेन्ट का बाकायदा एक नॉन-आफिशियल दलाल रखा हुआ है । उसकी बाकायदा एक दूकान है और उस दूकान के जरिये यह सब कार्यवाही उसके यहां से होती है । और अब तो आम लोगों को यह आदत पड़ गयी है कि सीधे जाने से दिक्कत आयेगी इसलिए फलां की दूकान पर चले जाओ, उसके थ्रू काम निकल जायेगा, उसको पैसा दो और वह फिटनेस सर्टीफिकेट ला देगा । यानी एक तरीके से ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट और इन्सपेक्टर के बीच में वह एक कड़ी का काम करते हैं । तो ऐसी हालत में पिछले साल भी इस बात पर विचार किया था और इसका जिक्र आया था ।

(१२.३८ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

साल में ट्रक ओनर्स मीटिंग करके कभी ११ रुपये फी गाड़ी चुका देते हैं और कभी ८ रुपये के भाव से चुकाते हैं । तो इस तरह से कभी ११) रु. का भाव रहता है और कभी ८) रु. का । इस तरीके से यह इन्सपेक्शन डिपार्टमेन्ट काम करता है । उसका नतीजा क्या होता है कि कुछ गाड़ियां तो इतने ओल्ड मोडल की मन्जूर कर दी जाती हैं कि जिससे आम जनता को सेफ्टी को भी खतरे में डालते हैं और कुछ लोग जो यह समझते हैं कि हमारी गाड़ियां अच्छी हैं, हम क्यों पैसा दें, क्यों हम इस तरह के शिकार बनें तो वे बेचारे चक्कर काटते रहते हैं । गाड़ियों का मामला ऐसा है कि उसके तमाम कल पुर्जे देखें जायें तो कोई न कोई नुक्स आसानी से निकाला जा सकता है । तो इसलिए बाल की खाल खींचकर उनको इधर-उधर दौड़ाया जाता है और जो कुछ यह रास्ता अपनाते हैं उसको दुखी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर लेते हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात की आवश्यकता है कि इस सिस्टम को बदला जाये, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाये और यह एक इन्सपेक्शन का काम कम से कम जो नई गाड़ियां हैं, जो नये मॉडल खरीदे गये हैं तो उनका भी इन्सपेक्शन एनुअल हो, यह जरूरी नहीं होना चाहिए। कुछ पीरियड तो कम से कम इतना होता है कि जिसमें वह सामान्यत: ठीक चले। यानी आइडिया यह है कि कुछ वर्ष तक वह उस करप्शन से बचे।

इस डिपार्टमेंट की जो इस प्रकार की स्थिति है इसके अन्दर सुधार करने के लिये या तो किसी किस्म की हर डिस्ट्रिक्ट पर कोई एडवाइजरी कमेटी टाइप की बननी चाहिए जिसके पास वहां के ट्रान्सपोर्टर्स अपनी शिकायत रख सकें, यानी इस प्रकार के इन्सपेक्शन का जब एन्युअल प्रोग्राम बने तो उस एडवाइजरी कमेटी की सलाह मशविरे से बने। उस एडवाइजरी कमेटी के सहयोग से यह इन्सपेक्शन का काम हो तो मैं समझता हूं कि इस करप्शन को रूट आउट किया जा सकता है, वर्ना जिस तरह का मौजूदा प्रावधान है उसमें तो तमाम ट्रान्सपोर्टर्स की गर्दन इन्सपेक्शन विभाग के हाथों में होती है। अच्छी बात होती अगर पब्लिक की सेफ्टी की दृष्टि से तमाम कार्य करते और इससे अधिक सख्ती भी होती और बहुत ज्यादा नियमों के अनुसार चलने की बात होती तो उसमें कम से कम हमारा एक्सीडेन्ट का पर्सेन्टेज तो घटता, लाइफ की सिक्योरिटी तो अधिक होती। लेकिन हालत यह है कि बावजूद इस इन्सपेक्शन डिपार्टमेंट के जो दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं की तादाद किसी रूप से घटी नजर नहीं आती, बल्कि बढ़ती ही दिखाई पड़ती है। तो ऐसी हालत में यह जो इन्सपेक्शन डिपार्टमेंट है, जो उसका पर्पज है उस पर्पज को भी हल नहीं कर रहा है। तो मेरा सुझाव यही है कि एडवाइजरी कमेटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जायं जो इन्सपेक्शन के काम को प्रोग्राम के मुताबिक करें। इस तरह से इस विभाग में से करप्शन को रूट आउट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ बातें कही गईं....

श्री उपाध्यक्ष: You have no cut-motion of your own.

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं उन पर सरकार अवश्य गौर करेगी, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि करप्शन के बारे में सदन में काफी चर्चाएं हुई हैं और इस तरह की तस्वीरें रखने की कोशिश की जाती है, या की गई है कि सरकार जो है इस तरफ कोई तवज्जह नहीं देती और जो है सरकार की देखरेख में करप्शन होता है। यह मैं नहीं कहना चाहूंगा कि करप्शन नहीं होता है, लेकिन यह भी साथ साथ कहना चाहूंगा कि सरकार हमेशा जागरूक है कि जहां तक हो सकेगा जो २ बातें उनके सामने आईं और जिस तरह के मेथड्स एडॉप्ट किये जायं जिनके जरिये

(श्री हरिश्चन्द्र)
से भ्रष्टाचार कम हो उसके लिए सरकार जागरूक है।

आपने, अभी एक सुझाव दिया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के सिलसिले में भ्रष्टाचार होता है, और वहां पर अलवर में कोई दलाल है। मुझे ताज्जुब है कि माननीय सदस्य ने हालांकि साल भर हो गया उनको यहां आये हुए लेकिन एक मर्तबा भी उन्होंने मुझे यह नहीं कहा कि इस तरह का कोई दलाल वहां अलवर में है। अगर मुझसे पहले वे कहते तो उनकी सहमति से मैं आदमी वहां भेजकर, इसकी जांच करवा सकता था, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को लिख सकता था और उसके बारे में जांच करवा सकता था, लेकिन आखिर में डेमोक्रेसी के अन्दर रूल्स और रेग्युलेशन्स से बन्धे हुए रहते हैं। यह अगर माननीय सदस्य सोचें कि आपने यहां पर कह दिया उसके आधार पर मैं किसी को सस्पेन्ड कर दूं, या डिसमिस कर दूं, तो वह बात नहीं है, जो गवर्नमेन्ट है वह भी रूल्स और रेग्युलेशन्स के आधार पर ही चल सकती है और उसके अनुसार ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो उस पर्व्यू के अन्दर आप किसी सुझाव को रखें कि जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो सकता है तो मैं सरकार की ओर से यह कह सकता हूं कि सरकार जागरूक रहेगी और उन सुझावों का समर्थन करेगी।

आपने यह भी कहा कि मैकेनिकल इन्सपेक्शन आफ वेहीकल्स के साथ साथ कुछ ऐसी कमेटी बना दी जाय कि उस कमेटी के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं हो और भ्रष्टाचार की रोकथाम हो सकती है। इस तरह की बात मेरी निगाह में चल रही थी; तो चन्द दिन पहले ही हमने यह ऑर्डर निकाला है कि जो भी ए. आर. टी. ओ. और आर. टी. ओ. हैं इनको कम्पलसरिली जिला परिषद् की मीटिंग्ज अटेन्ड करनी पड़ेगी और वहां पर जो भी मसले आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्योंकि वहां पर एम. एल. एज. भी होते हैं, प्रमुख भी होता है या प्रधान भी होता है तो जो भी मसले आपके ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के हों जिसकी सूचना हमारे पास आ सकती है और उसके ऊपर हम कदम उठायेंगे। जो ऐसी चीजें हैं जिसकी सूचना आर. टी. ओ. के पास जानी चाहिए और लीगल तरीके से उनका निराकरण हो सकता है उसकी सूचना जो है आर. टी. ओ. या ए. आर. टी.ओ. के पास जानी चाहिए। इसलिये मैं समझता हूं कि उनके वहां जाने से और परिषद् में बैठने से जो समस्याएं डिस्ट्रिक्ट की हैं, क्योंकि ऐसे सवाल यहां आते हैं कि कहीं ट्रान्सपोर्ट की बस नहीं चलती है, आज ही इस संबंध में एक-दो क्वेश्चन्स उठाये गये हैं तो उनके मामलों के ऊपर तुरन्त वहां पर निर्णय हो जाय इसलिये यह निर्णय लिया है।

इसके अलावा, अगर आप यह समझते हैं माननीय सदस्य, कि इन्सपेक्शन के अन्दर भी किसी चीज की जरूरत है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है, तो उस पर बैठकर विचार कर सकते हैं। तो जो उचित कार्यवाही लॉ के अनुसार हो सकती है तो सरकार वह करने को तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Rama Nand Agarwal, would you like to withdraw your out motion;

श्री रामानन्द अग्रवाल : Yes, I beg leave to withdraw my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि श्री रामानन्द अग्रवाल अपने कट मोशन को विदड्रा करें।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल: I withdraw my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८८, मुख्य शीर्षक १२–वाहनों पर कर के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६९५) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८८ स्वीकृत हुई।

(१२.४९ म. प.)

अधिक अनुदान की अतिरिक्त मांग संख्या ८९–साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्ध अन्य राजस्व व्यय

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८९, मुख्य शीर्षक १८-साधारण राजस्वों से अर्थ-प्रबन्ध अन्य राजस्व व्यय के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१६,५९४) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्योपत सिंह।

इस मांग पर निम्नलिखित कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

१. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़): मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १८-साधारण राजस्वों से अर्थ-प्रबन्ध अन्य राजस्व-व्यय में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की सिंचाई योजनाओं में मरम्मत और उनको चालू रखने पर अपव्यय पर बहस करने हेतु)।

२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १८-साधारण राजस्वों से अर्थ-प्रबन्ध अन्य राजस्व व्यय में १) रु० की कटौती की जाय (मरम्मत पर किये जाने वाले व्यय पर सही कन्ट्रोल न रखने पर बहस करने हेतु)।

३. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर): मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १८-साधारण राजस्वों से अर्थ-प्रबन्ध अन्य राजस्व व्यय में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की सिंचाई योजनाओं में मरम्मत और चालू रखने पर किये गये ग़लत खर्च पर बहस करने हेतु)।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १८–सरकार की सिंचाई योजनाओं की मरम्मत और उनको चालू रखने के अपव्यय के सम्बन्ध में है। जब शुरू शुरू में सन् ५६ में भाखरा की नहर हमारे इलाके में आई थी उस वक्त के वहां मौजूद इन्जीनियर यह चाहते थे कि जो भी नहर बनाई जाय, जो भी बैंड्स हों वे मज़बूत हों लेकिन उस हालत में उनकी राय के मुताबिक़ ५६ में पानी नहीं ले सके लेकिन

(श्री श्योपतसिंह)

उसके बाद सरकार यह चाहती थी हम पानी लें। उस समय के इन्जीनियर की मान्यता को ध्यान में नहीं लाकर मि. एस. सी. गुप्ता को नियुक्त किया गया और उन्होंने जो भी नहरें बनाईं वे बडी कमज़ोर थीं और जब भाखरा की नहर में पानी आया तो नहर में पानी चलना मुश्किल हो गया। यह तो सिंचाई मन्त्रीजी बतायेंगे कि भाखरा नहर में पानी आने के बाद कितनी जगह से टूटी है और उसकी क्या हालत हुई है और उसकी क्या हालत है? आज उस कमज़ोरी को लेकर उस पर अनापशनाप रुपया ख़र्च हो रहा है। जगह जगह से कट हो जाता है, ब्रीच हो जाता है और सरकार द्वारा हज़ारों रुपये दुबारा लगाये जाते हैं। इसको बनाने-वालों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि मज़बूत नहर बनाई जाय। आज इस तरह का अपव्यय हो रहा है, जवाब देते समय मन्त्री महोदय बताने की कोशिश करें कि आज तक भाखरा नहर कितनी दफ़ा टूटी है और क्या हालत है? रिपेयरिंग के मामले में लाखों रुपये खर्च हुए जो वहां की जनता पर पड़ेंगे। इसके साथ साथ रिपेयरिंग के मामले में मैं सरकार को और ख़ास कर सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ के पास नयी बस्ती आबाद हुई उसके आगे कुछ टुकड़े प्रोटैक्शन बैंक के नाम से, अगली नहर को बचाने के लिये, एक बांध बनाया गया लेकिन वह इतनी जल्दी में बनाया गया कि उस पर हज़ारों रुपये ख़र्च हो गये। मैं यह मानता हूं कि उसको बनाने की ज़रूरत थी। साथ ही साथ यह ध्यान देना ज़रूरी था कि जब बांध बनाया गया उस समय वहां पर मज़दूरों से या मशीनों के ज़रिये मिट्टी डाली जाती और उसको मज़बूत किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण जब बाढ़ आती है तब हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। यह इस बात का सुबूत है कि पिछली बार जब नाली आई उसके बाद में इसको मज़बूत करने में ताकत लगाई गई। इसके साथ ही साथ एक अजीब नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। हनुमानगढ़ के ऊपर चार-पांच गांव पड़ते हैं; फ़तहपुर, ढालिया, चक भूरसिंह वहां पर प्रोटेक्शन डैम के लिये सरकार ने ५२,००० रुपये मन्जूर किये। वह चुनाव का मौका था और कुछ वोट्स हासिल करने थे हमारे वहां के मन्त्रीजी को इसलिये ५२ हज़ार का बजट मन्जूर किया, लेकिन चुनाव के बाद जब रिज़ल्ट फ़ेवरेबिल नहीं हुआ तो उसको बीच में छोड़ दिया और जो चार-पांच हज़ार रुपये ख़र्च हुए उसकी कोई परवाह नहीं की। उस समय तो उसका ठेका दे दिया और बाद में इन्कार कर दिया और जो मिट्टी वहां पर डाली गई वह बेकार गई। आज हालत यह है कि दूसरा बांध नहीं बन सकता।

इसी तरह से माननीय सिंचाई मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि कहीं तो इस तरह से खर्चा हो रहा है कि जहां ज़रूरत नहीं है वहां खर्चा लगाया जा रहा है और जहां ज़रूरत है वहां सरकार की तरफ से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा है और भाखरा क्षेत्र में कहीं पर नहर टूट जाती है तो उसके साथ साथ नहर से पानी मिलना बन्द हो जाता है और उससे लोगों को नुकसान होता है। एक तरफ़ तो फ़सल के लिये पानी की ज़रूरत पड़ती है, किसान चाहते हैं कि पानी लगे और उपज ज्यादा हो और दूसरी ओर थोड़े से रुपये के लिये सरकार ध्यान नहीं देती। उदाहरण के तौर पर

(श्री दयोपतसिंह)

एस. टी. जी. ४२, आर. टी शार्दुलगढ़ के पास मंडी एरिया के पास नहर टूट जाती है और वहां पर जो खाली जमीन पड़ी है वह पानी से भरी रहती है और तालाब हो उस तरह की शकल बन रही है। वहां पर आये दिन नहर टूटती रहती है और टूटने पर नहर से पानी मिलना बन्द हो जाता है और जिनके खेत बीच में पड़ते हैं वे हजारों लोग बिना पानी के बैठे रहते हैं क्योंकि जब तक दुबारा बांध बन कर तैयार होता है और पानी शुरू होता है और थोड़े समय के बाद फिर टूट जाता है। इस तरह की हालत आये दिन रहती है। इस तरह से जहां रुपये लगाने की जरूरत नहीं होती है वहां लगाया जाता है और जहां जरूरत होती है वहां नहीं लगाया जाता है। इस तरह की लापरवाही है; मेरा यही विरोध है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष जी

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं इनके सपोर्ट में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने २ लाख और १९ हजार की अतिरिक्त मांग सिंचाई विभाग के लिये मांगी जा रही है मैंने कुछ देखने की कोशिश की, आखिर यह अधिक पैसा कहां खर्च हो गया और क्यों हो जाता है यह अतिरिक्त पैसा खर्च। तो बहुत गंभीर हालत इस विभाग की मेरे सामने आई। उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है इस विभाग की जिसके फलस्वरूप आज जो बजट ग्रान्ट थी या सप्लीमेंट्री ग्रान्ट मिली केवल उससे ही खर्चा पूरा नहीं हो सका और दो वर्ष बाद और रुपया मांगा जा रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि वास्तव में कोई ऐसा खर्चा सामने आ गया था जो उस वक्त नजर नहीं आ सकता था। इसका कारण यह नहीं कि कोई ऐसा आइटम इस डिपार्टमेन्ट ने अपने हाथ में लिया जिसे उस समय वे देख नहीं सकते थे। लेकिन इसका वास्तविक कारण यह है कि इस विभाग में पैसा पानी की तरह बहता है। विभाग भी पानी का है इसलिये पैसे का भी दुरुपयोग उसी तरीके से किया जाता है। कहीं पर बांध बना दिये और बाद में उसी साल टूट गया; फिर दुबारा बनवाया गया लेकिन फिर दुबारा टूट गया और डिपार्टमेन्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं। कैसा दुःख का मामला है। यदि विभाग के अध्यक्ष ने यह रिकमन्ड भी कर दिया कि पर्टिकुलर ऑफिसर की इसमें गलती है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये तो हमारी सरकार ऐसी महरबान है कि करप्शन का अम्ब्रेला ऊपर किये हुए है, करप्शन का अम्ब्रेला तान करके अपने तमाम लोगों को यह सरकार छिपाने की कोशिश करती है और आप आश्चर्य करेंगे कि विभागाध्यक्ष ने जिस ऑफिसर के खिलाफ यह रिकमन्ड कर दिया कि उसकी गलती है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये लेकिन हमारी सरकार उसको भी छोड़ देती है, वहां यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें उनकी गलती है। मैं स्पेशल इन्सटान्सेज भी उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने रखूंगा। इस तरह के मामले भी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि कन्ट्रेक्टर्स से टेन्डर्स ले लिये जाते हैं और जब यह देखा जाता है कि कम्पीटिशन में टैण्डर किसी ने मिलने वाले से नीचे दे दिये और उसको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यदि मंजूर कर लिया जायगा तो उसमें घाटा पड़ेगा। तो उसको इतने अर्से पेंण्डिग रखा जाता है कि उसकी मयाद निकल जाय ताकि उस कान्ट्रेक्टर का उस टेन्डर से निकलने का मौका मिल जाय और फिर दुबारा रेंडटेपिज्म में चला जाय; भाई, इसलिए देरी लगी कि ऊपर से सैंक्शन नहीं आई, या डॉक्यूमेन्ट नहीं आये। और फिर दुबारा टैण्डर मांगे जाते हैं। दुबारा टैण्डर मांग कर हाई रेट्स पर टैण्डर मंजूर किया जाता है। हजारों रुपयों का इस तरह से नुकसान होता है, उपाध्यक्ष महोदय। इस प्रकार के इन्स्टान्सेज भी सामने आये हैं जिनमें अगर किसी ठेकेदार ने देखा कि भाई, इस काम में मुनाफा नहीं हो रहा है तो उसका किसी बहाने बीच में ही काम खत्म कर दिया। बीच में एक काम को सस्पेंड कर दिया, और दुबारा टैण्डर मांग लिये और हाई रेट्स पर कान्ट्रेक्टर को कॉन्ट्रेक्ट दे दिया और हजारों रुपया एक्सचेकर का इस तरह से दिया जाता है ····

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री): कौनसा केस है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: अभी मैं निवेदन करूंगा आपके सामने।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक चन्द्रभागा प्रोजेक्ट में मिट्टी उठाने के टेन्डर मांगे गये। टेन्डर में शर्त रखी गई कि पन्द्रह चैन की लीप से मिट्टी आये। कुछ ठेकेदारों ने यह कह कर टेन्डर दिया कि पांच चैन की लीप से मिट्टी आये तो हम लो रेट पर मिट्टी दे सकते हैं। लेकिन विभाग से यह इन्सिस्ट किया गया···

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

कि नहीं, पन्द्रह चैन की लीप की मिट्टी फलां जगह से मंगवानी है। चुनांचे एक कान्ट्रेक्टर का टेन्डर मंजूर हो गया। उसको चिट्ठी लिखी गई, तो उस चिट्ठी में, जो उसके साथ टेन्डर की जिस तरह की ओरीजिनल शर्त थी, उस पर मंजूर हुआ, जिस पर इतना डिस्कशन हुआ, कि पांच चैन की लीप से मिट्टी लाई जाय। लेकिन ऑफिस से एक स्लिप लगा दी गई कि पांच चैन की लीप से मिट्टी जायगी। जब कॉन्ट्रेक्टर ने बिल मांगा तो उसमें कहा कि मुझ पर पांच चैन की लीप से मिट्टी लाने की कन्डीशन थी लेकिन मुझसे एक्चुअल मिट्टी मंगाई गई है वह तेरह चैन की लीप से मिट्टी मंगाई गई है इसलिए आठ चैन की लीप का अधिक खर्चा हुआ है वह मुझे सरकार से मिलना चाहिए। इतनी बहस और मुवाहिसे के बाद, इतने झगडे-टंटे के बाद यह किया गया जिसके बारे में रिफ्यूजल था कि नहीं, जो लोएस्ट टेन्डर है पांच चैन की लीप से मिट्टी लाने का वह मंजूर न करके हायर रेट पर पन्द्रह चैन लीप से मिट्टी लाने का मंजूर किया। ठेकेदार ने एक लाख कितने हजार रुपये का सरकार पर दावा कर दिया। इलेक्शन के दिन शायद नजदीक आ गये थे इसलिए हमारी सरकार ने बगैर अदालत में गये कम्पाउन्ड कर लिया और ८२ हजार रु० हमारे खजाने से उस कॉन्ट्रेक्टर को दे दिये। साफ तौर पर यह शर्त थी कि ओरीजिनल कन्डीशन के मुताबिक पन्द्रह चैन की लीप से मिट्टी लाकर डालेगा। उससे कम्प्रोमाइज करके उसको ८२ हजार रुपये और दे दिये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाऊं कि एक बांध जून, १९५६ में बनाया, हमारे इस इरिंगेशन डिपार्टमेन्ट ने ६ लाख ६० हजार ४३५ की लागत उसमें लगाई और एक महीने के बाद जून, १९५६ में वह कम्प्लीट हुआ और ९ जुलाई, १९५६ को वह टूट गया, जिसमें ८२ हजार और ५०० रुपये हमें और खर्च करने पडे। फिर वही बांध जो जुलाई, १९५६ में साढे बयासी हजार और लगा कर ठीक कराया गया था फिर जुलाई १९५७ में दुबारा टूट गया और उस पर ८५ हजार रुपया हमको फिर दुबारा खर्च करना पडा। यह बांध जब पहली बार टूटा तब तो हमारी सरकार ने यह सोचा कि भाई, आखिर हमारा डिपार्टमेन्ट जैसा, उसमें बांध टूट जाता है तो कोई इन्क्वायरी कराने की जरूरत नहीं समझी लेकिन जब दुबारा टूटा तो उसकी इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई, इसकी जांच करने के लिये, कि भाई क्या बात है, यह क्यों टूटा। तो उस कमेटी ने, इन्क्वायरी कमेटी ने यह रिपोर्ट की, ऑफिशियल्स की यह इन्क्वायरी कमेटी थी, उसने अपनी यह रिपोर्ट दी कि इसमें किसी भी ऑफिसर की रेस्पोन्सिबिलीटी नहीं है, इसमें यह मिट्टी ऐसी थी, यह सैलाइन वाटर था, इस तरह की टैक्नीकल बातें बता कर उसे रफा-दफा करने की कोशिश की। अक्टूबर, १९५७ में एक दूसरी इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई और उस कमेटी ने क्या किया अभी तक उसकी मुझे कम से कम जानकारी नहीं है। इस प्रकार····

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री): नाम क्या है उस बांध का, जिस बांध का आप जिक्र कर रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर):—बांध तो मैं ही बहुत बता दूंगा।

श्री भीखाभाई: जो बांध टूट गया, दो बार टूट गया, उसका नाम क्या है?

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं समझता हूं, ऑडिट ने ये आब्जेक्शन्स लिख कर भेजे हैं और यह शिकायत की है कि उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री भीखाभाई: मैं बांध का नाम पूछना चाहता हूं। बांध कितने ही टूटे हों, यह बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि बांध कौनसा है?

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह १९६० की ऑडिट रिपोर्ट में है।

फिर, सभापति महोदय, एक दूसरे बांध का मामला है, जो जुलाई १९५६ में बनाया गया और उसी महीने में, जिस महीने में बनाया गया था, १३ जुलाई को यह टूट गया। २६ हजार लगा कर दुबारा इस बांध की मरम्मत कराई गई और फिर यह सलाह दी गई कि भाई, इसके अन्दर एक नाला पडता है, इसको हम बन्द करें तब ही यह बांध रह सकता है। तो ७२ हजार रुपये उस नाले को ठीक कराने के लिए लगाये। अब उसके बारे में एगजीक्यूटिव इन्जीनियर ने अपनी यह रिपोर्ट दी कि इस बांध के टूटने में असिस्टेन्ट इन्जीनियर की गलती है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमारी मिनिस्टरी ने कहा कि नहीं, यह गलती साबित नहीं होती और उसको एक्ज़ोनरेटे कर दिया गया। जिसके लिए विभागाध्यक्ष ने यह कहा कि इनकी गलती

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
है और गवर्नमेन्ट ने उसको एक्जोनरेटेड कर दिया ? सभापति महोदय, आप यह आश्चर्य करेंगे कि हमारा यह डिपार्टमेंन्ट इतना मशगूल रहता है जन सेवा में कि जो मेटीरियल कन्स्ट्रक्शन वगैरह के लिए आया, उसकी बिल्टियां छुडाने की फुर्सत नहीं मिलती बेचारे को काम करते करते और ३१,२४६) रुपये का इस साल में डेमरेज देना पडा, इस वजह से कि वक्त के ऊपर माल नहीं छुडवाया गया और डिपार्टमेन्ट की तरफ से यह दलील पेश की गई कि हमारे ओवरसियर इतने विजी रहते थे काम के ऊपर कि स्टेशन यह पूछने के लिए नहीं जा सकते कि माल आया है या नहीं आया है। एक दफा यह कह दिया कि हमारे पास बिल्टी नहीं आई। उन्होंने कहा इन्डेम्निटी बोंड देकर क्यों नहीं छुडवाया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। कायदा यह है, साधारण दूकानदार जो हजार, दो हजार का काम करता है वह जानता है कि बिल्टी न पहुंचे तो एक रुपये का इनडेम्निटी बोंड देकर माल ले लेगा और डेमरेज नहीं लगेगा। लेकिन हमारे विभाग को इसकी चिन्ता नहीं। एक तो केस यहां तक है, सभापति महोदय इसी तरह से एक मामले में सरकार को डेमरेज देना पड़ा और जिस समय डिपार्ट-मेंन्ट से पूछा गया तो डिपार्टमेन्ट कहता है कि उनको सामान लाने के लिये मजदूर नहीं मिलते हैं। मैं यह कहूंगा कि हमारे राजस्थान में यह नहीं माना जा सकता कि राजस्थान जैसे प्रान्त में जहां पर बेकारी बहुत है, वहां पर आपको मजदूर सामान लाने के लिये नहीं मिले। किसी दूसरे व्यक्तिगत व्यापारी को नहीं मिले तो बात मानी जा सकती है मगर सरकार को नहीं मिले यह माना नहीं जा सकता। यह कोई कन्विन्सिग बात नहीं है। लेकिन ३१ हजार से ज्यादा रुपया केवल हमारी सरकार ने डेमरेज में खर्च कर दिया।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक दो मैं और उदाहरण दूंगा। एक्सकेवेटर्स बनानें के लिये सरकार ने टेण्डर्स मांगें और ये टैण्डर्स आये उनका चार महीने तक कोई फैसला नहीं किया गया। आपने जून ५७ में टेण्डर्स मांगें और चार महीने तक आपनें उस पर कोई फैसला नहीं किया ? चार महीने बाद आपनें लोएस्ट टैण्डर वाले को आदेश दिये और उस समय लोएस्ट टैण्डर वाले ने इन्कार कर दिया काम करने के लिये। इसके कारण दुबारा टैण्डर्स मांगे गये और दुबारा टैण्डर में १,११,३३२ रुपये का नुकसान रहा। इस संबंध में डिपार्टमेन्ट का यह कहना है कि ऊपर से चीफ इंजीनियर के यहां से कोन्करेन्स नहीं आई, फॉर्मल मंजूरी नहीं आई, इसलिए काम नहीं दिया जा सका। नीचे के टैण्डर वाले को इस वजह से काम का ऑर्डर नहीं दिया और जिस समय दुबारा हाई टैण्डर वाले को, जिसका टैण्डर मंजूर किया गया उसको फाइनल मंजूरी होने से पहले ही आर्डर दे दिया गया। टैण्डर मंजूर होते हैं जनवरी ५८ और अप्रेल ५८ में। ऊपर से फोर्मल सैंक्शन नहीं आई उससे पहले ही काम का आदेश दे दिया जाता है जो लो टैण्डर वाले को नहीं दिया गया। हायर टैण्डर वाले को इस उम्मीद में, आर्डर दे दिया गया कि मंजूरी आ जावेगी। जब आपने हायर टैण्डर वाले को प्रिजम्पशन पर काम करने का ओर्डर दे दिया तो लो टैण्डर वाले को भी आप दे सकते थे।

श्री भीखाभाई : आपका कट मोशन इस पर नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट मेन्टीनेन्स के लिये की है।

श्री भीखाभाई : आपने जो नोटिस दिया है उसमें केवल मरम्मत की बात है। हमने जो मांग रखी है हम उस पर तैयारी करके आये हैं। यहां पर सारे इरिगेशन को लेकर अलग अलग पहलुओं पर बात हो रही है। इसलिए में सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो अमेन्डमेन्ट का नोटिस दिया है उसी पर डिबेट हो तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि उस पर जवाब दिया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने रिपेयर्स और मेटीरियल के बारे में जो अनियमितताएं हुई हैं उनका उदाहरण दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऑडिट डिपार्टमेन्ट ने सन् ६० की रिपोर्ट में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : यदि आप स्पेसिफिकली अपने कट मोशन के जरिये कोई बात कहते तो उस पर तैयारी करके आते। अब आप इसके लिये कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में भी ये बातें छपी हैं। यह तो हो नहीं सकता कि उसका जवाब भी इसी जगह दे दिया जावे। आपको तो ये बातें फैक्ट्स पढ़ने से मालूम हुई हैं। हमारे सामने फैक्ट्स नहीं हैं। आपने कट मोशन दिया है वह जनरल मामलों के लिये है। अगर जनरल मामलों के बारे में कहें तो ठीक है। अगर आप इसके लिये पहले से कहते तो इस पर भी तैयारी करके आते। इसलिये अगर कोई दिक्कत है तो यह ही है कि इसका जवाब नहीं दे सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, आम तौर पर यही तरीका अपनाया जा रहा है। इस पर जवाब नहीं दिया जा सके तो भी कोई बात नहीं। मगर मैंने तो यह बात इसलिये रखी है कि खर्चा मेटीरियल्स और रिपेअर्स पर ज्यादा क्यों होता है ? मैं यह नहीं कहता कि उन्हीं की वजह से खर्चा ज्यादा होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनरल तरीका है और डिपार्टमेन्ट को चलाने वाले हैं उनके जरिये से यह अपव्यय होता है। आप इसका जवाब भले ही न दें, मगर आप किसी ऑडिट रिपोर्ट को उठा कर देख लें तो आपको मालूम होगा कि हर रिपोर्ट में आपको उससे भी ज्यादा केसेज इस तरह के मिलेंगे।

सभापति महोदय, कई ऐसे काम होते हैं जिसमें डिपार्टमेन्ट अपनी तरफ से काम कराते हैं। उसमें कई ऐसे केसेज नोटिस में आये हैं जिसमें जमीन खुदवाने के काम सरकार की तरफ से किया उस पर ८५ लाख की मशीनरी थी उसमें जितना काम किया वह उससे कम पैसों में प्राइवेट लोगों से करवाया जा सकता था। इसके बमुकाबले सरकार की तरफ से इस पर ३,६१,०००) से ज्यादा खर्च हुआ। पता लगाने पर मालुम हुआ कि उसका हिसाब नहीं है। इस बात का हिसाब नहीं कि पेट्रोल कितना लिया जाता है, उसके कन्ट्रोल का पूरे तरीके से हिसाब नहीं। मरम्मत कराई गई उसमें कोई रेकॉर्ड नहीं कि वास्तव में वहां मरम्मत कराई गई। एंजिन के बोरिंग कराये गये और अगर कराये गये तो वास्तव में जरूरत के आधार कराये गये या नहीं, यह कहीं पता नहीं लगता। मगर खर्चा लिख दिया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहे विभाग ने कॉन्ट्रेक्टरों द्वारा या विभाग द्वारा काम किया सभी जगह इस प्रकार की गडबडियां हिसाब में हैं और सरकार का रुख उनके प्रति लीनियेन्सी का रहा है, सरकार का रुख उनको खुले छोडने का है, उन पर कोई एक्शन नहीं लेने का है। कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, उनका काम पैसे ठगने का है। जैसा ८२ हजार के टेन्डर का केस है। कॉन्ट्रेक्टर से १५ से १३ चैन का लीप लिया और सरकार ने उसको ८२ हजार रुपये और दे दिये। यह बात मैं सरकार के सामने लाना चाहता हूं। यदि सरकार इन बातों पर ज्यादा ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि हमें एक्सेस डिमान्ड्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम पैसे बचा सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): सभापति महोदय, २,१६,५९४) रुपये की एक्सेस (Excess) मांग मरम्मत के सिलसिले में पेश की गई है। चूंकि यह डिमान्ड इर्रिगेशन से ताल्लुक रखती है और इर्रिगेशन का मसला वह मसला है जो देश से संबंधित मसला है, इसलिये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसलिये इसकी समस्या बहुत गंभीर है और राजस्थान में इर्रिगेशन को देखते हुए यह बहुत आवश्यक भी है। मैं आपके सम्मुख इस दायरे में किस प्रकार गलत व्यय किया जाता है। वास्तव में, जहां आवश्यक खर्च करने होते हैं, वहां पर खर्च नहीं किये जाते और जहां अनावश्यक है वहां पर बहुत अधिक खर्च किये जाते हैं। इसकी एक जीती जागती मिसाल गंगानगर की आपके सामने रखता हूं। सन् १९२८ में यह गंग नहर बनी और सन् २८ की रविवार को गंग नहर आई। उससे ९ लाख से अधिक जमीन सिंचित होती है और आज ३० वर्ष हो गये उस नहर को चालू हुए। उस समय उस नहर के लिये जितनी सालाना रकम मेन्टीनेन्स के लिये रखी हुई थी उतना ही बजट अभी भी लगातार चला आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूं कि यह गंग नहर भारतवर्ष में सबसे अच्छी और साइन्टिफिक नहर बनी है और फिर एक एक बूंद इसका पानी का अच्छी तरह से उपयोग होता है। लेकिन साइन्स के कुछ नियम हैं और उनको तोडने के बाद उसके नियमित रिजल्ट नहीं हो सकते।

सभापति महोदय, आज ३० वर्ष हो गये गंगनहर के रेगुलेटर्स, आउट लैट्स हैं उनका कोई रीमोडलिंग नहीं हुआ है कि कौनसा रेगुलेटर कितना पानी खींच रहा है। ३ लाख रुपयों का बजट इस नहर के रिपेयर के लिये है और आज हालत यह है कि नहर में जगह जगह सिल्ट नहीं निकाले जाते हैं और रेगुलेटर जगह जगह पानी खींचते हैं, उनकी हालत खराब है और इण्डो-पाक वाटर ट्रीटी के बाद इस केनाल का पानी कम हो गया है और जगह जगह इसकी नहरें सूखी पडी हैं। इसका २७ क्यूसेक्स था वहां एक हजार क्यूसेक्स पानी रहता है वहां आज नहर सूखी रहती है। अध्यक्ष महोदय ने गंगनहर का दौरा किया था तो मैंने बताया था कि डाबला का स्केप चल रहा था और गंगनहर सूखी पडी थी। आर. ए. सी. की हमारी पोस्ट्स हैं, जिसके मुकाबले पर पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं, पर हमारी उन पोस्ट्स के ऊपर पानी नहीं पहुंचता, तीन तीन सौ टेलिग्राम्स दिये गये, गंगनहर के बोर्डर पर स्थित सारे गांवों में यह हाल है। एक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तरफ लगातार पाकिस्तान की कार्यवाहियां चल रही हैं, हर पोस्ट पर वायरलैस लगा हुआ है रीएन्फोर्समेंट किया गया है वहां सडकें बन रही हैं, दूसरी तरफ हमारे इन गांवों में लोग पानी से बेजार बैठे हैं, उनको पीने को पानी नहीं मिलता, इनके खेत सूख रहे हैं। इरिगेशन मिनिस्टर का ध्यान इस ओर दिलाया गया, चीफ इन्जीनियर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, लेकिन गंगनहर की स्थिति बडी विकट है, वह एक दूकान बन रही है, वहां एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर कोलेरा हैं पर लोग उनके नाम का हिन्दी अनुवाद करके हैजा साहब कहते हैं, तो उन मिस्टर हैजा ने खुली दूकान शुरू कर रखी हैं।

मैं एक टेबल पेश करूं, सभापति महोदय। आप उस पर गौर फरमाइय कि किस तरह गगनहर में पानी चलता है; किसी में २० दिन, किसी में १४ दिन, किसी में १० दिन और किसी में १६ दिन पानी चलता है, इसका वहां खुला बाजार है। नहर के गांव गांव के ४० मील के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और मिस्टर हैजा को देते हैं और वहां नहर ज्यादा दिन चलाते हैं। जिला परिषद् में यह प्रस्ताव पेश किया था और वहां के मेम्बरों ने यह मांग की थी, प्रचन्ड मांग की थी कि नहरों की रिपेअर न करा कर प्रोडक्शन को जो व्यक्ति इतना बडा धक्का पहुंचाता है उसको डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट में गिरफ्तार कर लेना चाहिये। गृह मंत्री महोदय वहां दौरे में गये तो वहां के गांवों के हर व्यक्ति ने बिलबिला कर कहा कि हमें पानी नहीं मिलता, एक तरफ पाकिस्तान की फसलें कैसी लहलहा रही हैं और दूसरी ओर हिन्दुस्तान की फसलें मुरझाई हुई हैं। इरिगेशन विभाग द्वारा लोगों के दिलों पर इस प्रकार का असर गिरा कर क्या चीज पैदा की जा रही है, क्या वह राजस्थान के लिये, राष्ट्र के लिये एक इनसिक्योरिटी की अवस्था पैदा नहीं कर रही है ?

सभापति महोदय, आगे कट मोशन्स आयेंगे तो मैं और बातें रखूंगा। अब मैं रिपेअर्स को भाखरा क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। नहर के सम्बन्ध में मैं अर्ज करूं कि वहां रिपेअर्स की क्या हालत है, जितने मोगे लगे हैं वे आठ आठ फीट ऊंचे लटक रहे हैं और पानी नीचे बह रहा है, क्या बाल्टियों के जरिये पानी गिरा कर लिफ्ट इरिगेशन चलाने का सरकार का इरादा है ?

मैं एक नहर बताऊं। इरिगेशन मिनिस्टर इसकी जांच करें, वह है टी. के. डब्लू.। जब से भाखरा की नहर बनी है यह घोषणा हो चुकी है कि भाखरा की नहरों में बराबर पानी चालू है पर टी. के. डब्लू. के एक मोगे में भी पानी नहीं चला है और रिपेअर चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं।

यदि ब्रीचेज की सिल्ट पेश करूं और बताऊं कि क्या हो रहा है तो आपको बडी हैरानी होगी। आज भाखरा और विशेष कर गंग नहर क्षेत्र में सिल्ट्स की खुदाई के लिये पैसा, शेष वसूल कर लिया जाता है, सिल्ट की खुदाई गांव वाले करते हैं। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास पैसा जब तक नहीं पहुंचा देते तब तक सिल्ट की खुदाई नहीं होती। मंत्री महोदय वहां पधारे थे तो उनको पांच नहरें दिखाई गई थीं, सरकार के आदेश के अनुसार वहां पर सिल्ट की खुदाई नहीं हो रही थी। कॉन्ट्रेक्टर को कॉन्ट्रेक्ट दे दिया जाता है, वह कॉन्ट्रेक्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की राशि ले लेता है और कोई सिल्ट नहीं खुदाई जाती। कॉन्ट्रेक्टर, एस. डी. ओ. और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की मिली भगत में वह राशि चली जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): कॉट्रेक्टर का नाम क्या है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं नाम नहीं लेना चाहता, व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं कहना चाहता; फिर भी यदि आप चाहेंगे तो नाम पेश करूंगा।

राजस्थान केनाल के कान्ट्रस्क्शन के सम्बन्ध में, रिपेअर्स के सम्बन्ध में और जितनी इसकी नहरें बन गई हैं उनके रिपेअर्स के सम्बन्ध में, मैं एक तथ्य पेश करूंगा राजस्थान केनाल से सम्बन्धित मंत्री खुद जाकर जांच कर सकते हैं। राजस्थान केनाल की मैन फीडर आर. डी. १५ और २० के बारे में मुआयना राजस्थान केनाल मंत्री करें, स्पेसिफाइड डिजाइन से इसका लिफ्ट बैंड ५ फीट नीचा है और इस केनाल की चौडाई ५ फीट कम है, इसका सब पेमेंट किया जा चुका है। मसीतावाली रेगुलेटर का केस रखूं, १९ लाख रुपये में यह बनाया गया, पर यह इतना कमजोर है कि एक फुट पानी भी चला जाय तो छिन्न-भिन्न हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य क्षमा करें। अभी बजट सामने है, उस समय मंत्री महोदय से जानकारी चाहेंगे तो पूरी जानकारी दे दी जायगी। इतने इम्पॉर्टेन्ट फैक्ट्स इस समय रखेंगे तो इस समय इनका उत्तर नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि इसके लिये यह अवसर नहीं होता। इसलिये माननीय सदस्य बजट के समय इतने इम्पॉर्टेन्ट फैक्ट्स रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं मुख्य मंत्रीजी की बात स्वीकार करता हूं। पर फिर भी यह निवेदन करूंगा कि इनसे भी ज्यादा इम्पॉर्टेन्ट फैक्ट्स मेरे पास हैं, उनको मैं इस समय पेश नहीं कर रहा हूं, इस समय तो मैं सेकिन्ड हैंड फैक्ट्स ही यूज कर रहा हूं इस समय इन्हीं को सुन कर संतोष कर लें। इनका फिर से रिपिटिशन नहीं होगा, इनसे अधिक सीरियस फैक्ट्स उस अवसर के लिये मेरे पास हैं, यह तो हल्की किस्म के रख रहा हूं, जब वे रखूंगा तो आप गहरे सागर में उतरेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): माननीय सदस्य हल्के किस्म के क्यों रख रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप जरा शन्त ही रहें, आपकी सेहत कमजोर है; कहीं असर नहीं पड जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल: "That we are keeping in reserve.

श्री सभापति: I woud draw your attention that the debate on exoess Demand is only confined to the item in question and not department as suoh.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं सिर्फ रिपेअर्स की; फैक्ट्स डील कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: Where is Rajasthan Canal?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: राजस्थान केनाल की भी रिपेअर्स शुरू हो गई हैं क्योंकि आपका यह नियम है कि इधर बनना शुरू

Page No 56

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
होता है और उधर रिपेअर्स शुरू हो जाते हैं, यही राजस्थान केनाल का हाल है।

अब मैं भरतपुर का एक केस, अजाना-डेम का केस सदन के सामने रखूंगा कि वहां के इरिगेशन अधिकारियों ने किस प्रकार की धांधली की ....

श्री मोहनलाल सुखाडिया: सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन करूं कि जिस डिमान्ड पर बहस हो रही है उसमें न गंग केनाल ही आती है और न राजस्थान केनाल आती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: रिपेअर्स के बारे में डिमान्ड है, यह इसमें मेन्शन नहीं किया है कि किन्हीं रिपेअर्स की डिमाण्ड पेश की है।

तो मैं भरतपुर के अजानडेम का केस रख रहा था। सभापति महोदय, इस बांध का पानी भरतपुर के इरिगेशन अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के गांव, उतुदम, सहारा, सावरी, मोम्मदपुर, खैरा सौंदी, बन्धपुरा, पतसाल, सोमा और भानपुर में भेज दिया, उत्तर प्रदेश और आगरा के गांवों में और अपने क्षेत्र के गांव मुला, सोनारी, भानमेर आदि यों ही रह गये, इनको पानी नहीं मिला। चिकसाना नहर जो इस बांध से निकलती है इस बांध से १०२७ मूल बांध को फोर्स से काट दिया। अजान डेम का है। धरती की सिंचाई लागू नहीं कर सके। इन ब्रीचेज के कट्स के लिए बाकायदा ग्रान्ट्स से पैसा लेकर की गई रिपेयर्स आदि। इससे ८-९ पंचायत समितियों की भूमि सिंचित हो सकती थी। इन पंचायत समितियों का दुर्भाग्य देखिये पिछले साल बाढ के अन्दर पंचायत समितियों का क्षेत्र डूबा हुआ था और १ रु० २ आना सिंचाई दर उन लोगों से वसूल की जा रही है पिछले वर्ष अतिवृष्टि से और इस वर्ष कम वृष्टि से वे लोग पीडित हैं।

मुख्य मंत्री महोदय बार बार इन्टरवीन कर रहे थे और वे चाह रहे थे कि डूंगरपुर और उदयपुर की बात भी रखी जाय कि वहां बांधों का क्या हाल है। तो मैं उनकी यह मनोकामना पूरी किये देता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मेरी इच्छा तो नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह एक ऑडिट आब्जेक्शन है, क्लीयर कहता है ४६ वर्क्स जो दो लाख के थे वे सारे बजट प्रोविजन के बिना एग्जीक्यूट हुए हैं। ५ परसेन्ट एक्सेस बजट हमेशा यूज किया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं बांधों का केस रख रहा था।

श्री सभापति: Mr. Handa, I would once again draw your attention. Please resume your seat.

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक्सेस डिमान्ड के बारे में जिस आइटम से जो सम्बन्ध रहता है उसके बारे में ही फैक्ट्स रखे जा सकते हैं। मेन्टीनेन्स और रिपेयर्स की जो डिमान्ड्स हैं उसके संबंध में मिसयूज हुआ है तो रख सकते हैं। मैंने पहले भी ध्यान आकर्षित किया था और मेरा अनुमान है कि आप उस दिशा में आगे बढेंगे और उस दिशा में तथ्य रखेंगे तो उपयुक्त होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह डिमान्ड रखी गई है उसमें यह तखमीना नहीं दिया गया है कि किन किन रिपेयर्स में खर्च होंगे। इस सदन के माननीय सदस्य कोई ज्योतिषी नहीं हैं कि उनको पता लग जाय कि किन किन रिपेयर्स में खर्च किये हैं, इसलिए अपनी कॉमन सेन्स का उपयोग करते हुए राजस्थान भर में जितने रिपेयर्स के काम हुए हैं उनको रख सकता हूं। कोई लिस्ट होती तो मैं बता सकता था।

श्री सभापति : यह राजस्थान केनाल और भाखरा केनाल की रिपेयर्स का रेवेन्यू एक्सपैन्डीचर है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां। वह गंग केनाल में ली है, भाखरा केनाल में हैं। रिपेयर्स ऑफ केनाल एक मद है, और नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have to draw the Chair's attention to Appropriation Accounts 1958-59 page 57, Grant No. IX. As a matter of fact, this grant was originally under grant No.9. This was a major-head in that year, "VI. Other revenue expenditure for maintenance etc." This was major head No. 18 under Demand No. IX irrigation in the budget estimates of 1958-59 and so 23 lacs were provided for maintenance and repairs. This expenditure was for all the irrigation works. So now the demand which is being made is for maintenance and repairs of irrigation works, which were originally under Demand No. IX. Therefore the Hon. member is prefectly in order while referring to various irrigation projects.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मांग तो है नहीं, आप कहते जाइये आगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे वर्क्स की तरफ दिलाऊं जो कि अभी पूरे नहीं हुए हैं और जिनको सन् १९५७ के अन्दर पूरे हो जाने चाहिये था और उनके ऊपर रिपेयर्स का पैसा भी खर्च होना शुरू हो गया है।

भीमसागर बांध है जो कि १२.०९ लाख रुपयों के खर्च से बनाया गया और १५,९८६ एकड़ धरती इसके द्वारा सिंचित होनी थी....

श्री भीखाभाई : This is not a repair.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रिपेयर्स आ रही हैं, घबराइये नहीं।

श्री भीखाभाई : अभी बांध बना ही नहीं और वह भी रिपेयर्स में आ गया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या बातें हो रही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

सन् १९५७ में यह बांध पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन आज तक कन्सट्रक्शन चल रहा है और मुनासिब है कि रिपेयर्स भी चल रही हों।

दूसरा ले लीजिये। उदयपुर और चित्तौड़ का उपस्थित करता हूं। उदयपुर के नवाना

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
बांध को लीजिये । इसके एक्चुअल और एस्टीमेटेड रिटर्न्स को देखिये । ४.९ एस्टीमेटेड थे और एक्चुअल ८२ प्रतिशत बाकायदा खर्चा हो रहा है । गम्भीर डेम को ले लीजिये । ५.२ एक्चुअल थे और ०.९५ प्रतिशत एस्टीमेटेड रिटर्न हो रहा है । ऐसे भी बांध मौजूद हैं जैसे भीलवाडा का खारी डेम ले लीजिये । इस पर ६.७ परसेन्ट एस्टीमेटेड रिटर्न था, लेकिन .५ हो रहा है ।

श्री भीखाभाई : All these are repairs.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कुनबा परस्ती कहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Don't you maintain one which you have already ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूं कि इस प्रकार ऊटपटांग तरीके से सरकार ने एक नकली चित्र सामने रखा है । सिंचाई मंत्री का दिल दुखता है, लेकिन एमर्जेन्सी को देखते हुए जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने भी कहा है कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल है और उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो हर क्षेत्र में प्रोडक्शन को बढाया जाना चाहिये । सिंचाई विभाग का यह प्रमुख काम है कि राष्ट्र के प्रोडक्शन में पूर्ण तरीके से योगदान दें, किसी भी प्रकार की इस प्रकार गडबडियां बर्दाश्त करने काबिल नहीं हैं और इसके लिए कतई राष्ट्र क्षमा नहीं करेगा क्योंकि इनका संबंध अधिक उपजाऊ से है । इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि सदन इसको गम्भीर रूप से ले और आपके द्वारा ट्रेजरी बेन्चेज और इर्रिगेशन मंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन तथ्यों पर पूरी तरह से विचार करें । आज देश में अधिक उपजाने की आवाज है और देश की आज की स्थिति को वे पूरी तरह से समझें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप इन कटौती प्रस्ताओं के विरोध में बोलना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : विरोध में भी और समर्थन में भी; जैसा होगा ।

श्री सभापति : It all depends upon strategy.

श्री गिरधारीलाल व्यास : जैसा कि अभी खारी बांध के सम्बन्ध में माननीय श्री हांडाजी ने निवेदन किया था कि इसका रिटर्न .६ परसेन्ट होना चाहिये लेकिन .५ हो रहा है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि खारी बांध जब से बंधा है और जितनी केपेसिटी मानी गई उतनी उसकी केपेसिटी नहीं रही है । इसका कारण ? इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट के सर्वे और इन्वेस्टीगेशन ब्रांच के अनुसार जितनी केपेसिटी होनी चाहिये थी उसके विपरीत गलत केपेसिटी लगाकर और उसके साथ जितनी नहरें नहीं बननी चाहिये थीं उतनी नहरें बनाई; इस पर जो नहर बनायी गई है वह करीब तीस मील के करीब पडती है । जब कि इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट ने महसूस कर लिया है ज्यादा से ज्यादा ११.१२ मील से आगे

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पानी नहीं दिया जा सकता । इसकी जो केपेसिटी मानी गई थी वह कम है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो पानी इसमें आता है और जो जमीन इसके नीचे पड़ती है उसके नीचे एक–दो मील के आसपास हजारों बीघा जमीन पडी हुई है, उसमें पानी नहीं दिया जाता । जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था उसके नीचे जमीन है उस पर पहले पानी दिया जाना चाहिये और वह पानी तब दिया जा सकता है जब कि पानी स्लूस को नीचा बनाया जाय, ताकि रिटर्न उसका ज्यादा बैठे । आसीन्द के पास यह बांध बंधा हुआ है और स्लूस भी नीचा किया जा सकता है और आसीन्द के आस पास जो जमीन पडी हुई है उसको पानी मिल सकता है लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं इस बारे में एडीशनल चीफ इन्जीनियर से मिला था मगर वे कहते हैं कि जितनी नहरें बना दीं उसमें तो पानी देंगे, भले ही आसीन्द के पास की जमीन पडी रह जाय । न्याय की दृष्टि से देखा जाय जब कि बांध के नीचे जमीन पडी हुई है बीस मील दूर पर पानी देते हैं और आसपास के एरिया में पानी नहीं मिलता । बांध के नीचे जो जमीन पडी हुई है उसको पानी न देने की जिद् पर एक तरह से आपके अधिकारी अडे हुए हैं । यह रिटर्न तभी ठीक हो सकते हैं जब स्लूस नीचे किया जाय और आसीन्द के पास जो हजारों बीघा जमीन पडी हुई है उसमें पानी दिया जाय । ये नहरें तीस मील की दूरी तक बनी हुई हैं, इसमें पांच-सात लाख का अपव्यय हुआ है । जहां तक नहरें बनी हैं वहां तक पानी नहीं पहुंचा है क्योंकि एक बात तो यह है कि जो बांध बन्धा हुआ है वह स्केयर्सिटी एरिया में बन्धा हुआ है जो पूरा नहीं भरता । सात-आठ साल हो गये बन्ध के बने, सिर्फ एक या दो बार यह पूरा भरा होगा तब भी तीस मील की नहर तक पानी नहीं पहुंचा । मेरा निवेदन यह है कि इसका रिटर्न अगर ठीक बैठाना है तो इसके स्लूस को पांच-छः फीट नीचा किया जाय। इसके बिना रिटर्न नहीं बैठ सकता और उसके बिना बांध के नीचे जो हजारों बीघा जमीन है वह सिंचित नहीं हो सकती । इसलिये यह जो काम है वह अत्यन्त आवश्यक है ।

इसके संबन्ध में ईरिगेशन डिपार्टमेंट के पटवारी, इन्सपेक्टर आदि रहते हैं, एक बड़ा भारी स्टाफ रखा जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह काम रेवेन्यू पटवारी कर सकता है। जो स्टाफ रखा जाता है उसमें ये लोग हर माइन पर इस प्रकार के आदमी मुकर्रर करते हैं जो नाजायज पैसा इकट्ठा करके लेते हैं; यह आम शिकायत है। इस संबन्ध में सरकार सावधानी से काम करेगी। इस प्रकार की शिकायत होती है कि एक खेत में पानी दे दिया जाता है, एक गांव में दे दिया, दूसरे में नहीं दिया जाता; इस प्रकार की आम शिकायत है। इसको रफा किया जाना चाहिये, तब तक इस बान्ध का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनायें होती हैं बिना सोचे समझें नहरें बना दी जाती हैं । उन टैक्नीकल आदमियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। यही मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, जो मांग पेश की गई है

Page No 60

(श्री भीखाभाई)
उस मांग के संबन्ध में थोडा सा निवेदन करना चाहता हूं। यह जो मांग पेश की गई वह "80-Other revenue expenditure financed from ordinary revenue." के बारे में है। जब कि यहां पर जो चर्चा हुई, वह चर्चा सब प्रकार की रही। मैं एक शब्द में यह कह सकता हूं कि सारे के सारे इरिगेशन विभाग पर, नये बांधों का सवाल, उसको दुरुस्त करने का सवाल, और भी दूसरे दूसरे सवाल, इसके साथ जोड दिये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वे प्रोजेक्ट्स समाप्त नहीं होते जब तक कि उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता। तभी उसका खर्चा इसमें चार्ज होता है। जहां प्रोजेक्ट बनते हैं उसके बाद नहरें बनाने का सवाल आता है। उस असनाय में कहीं ब्रीच हो गया वह भी खर्चा होगा, रिपेयर्स मेन्टीनेन्स में चार्ज नहीं होता। ऑर्डिनरीली मैं निवेदन करूं इरिगेशन में दो प्रकार के काम होते हैं। एक कॉमर्शियल और दूसरा नोन कॉमर्शियल इस तरह से मैंने नोन कॉमर्शियल की डिटेल्स आपके सामने बतायी हैं। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, और श्री श्योपतिसिंहजी ने जो बातें बतायीं ब्रीचेज के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान नहर का कोई भाग टूटता है उस पर खर्च होता है उसका संबन्ध इस बन्ध के साथ नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंग केनाल को आप क्या मानते हैं?

श्री भीखाभाई : गंग केनाल का इससे संबन्ध है। सभापति महोदय मैं यह निवेदन करूं, इसके डिटेल्स इस प्रकार के हैं जो हमारा ओरीजिनल रुपया मन्जूर हुआ था वह २३ लाख था। पांच लाख का सप्लीमेन्टरी बजट और एक्सेस में १,४६,७८६ रुपया रिपेयर्स के लिये हैं। दूसरा रुपया वह रुपया है, जो इसमें और लगेगा वह तीन लाख के करीब है। इसकी विगत इस प्रकार है। इस संबंध में यह बात कही जाय कि अमुक जागीरदार को ठेका दे दिया गया, टेन्डर आमन्त्रित किये गये उसमें लोअर टेन्डर को नहीं माना गया, यह एक प्रकार से इससे संबंध नहीं रखता· · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : मैं अर्ज करूं, मैंने यह स्वीकार किया है आपका तीन लाख का बजट है, वह रिपेयर्स का बजट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपेयर्स का कितना कार्य किया गया, कितने रेगुलेटर्स रिमोडल किये गये, कितने आउट, लेट्स चेन्ज किये, आप यह तो बतलाइये, जिससे तीन लाख को जस्टिफाई किया जा सके। मैं तो कहता हूं कि यह तीन लाख रुपया बहुत कम है। रियासत के जमाने में तीन लाख रुपया रखा जाता था जब कि भाव बहुत नीचे थे। आपको तो बीस लाख रखना चाहिये। आज हम देखते हैं, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है। कई चक्स को पानी नहीं मिल रहा है।

श्री भीखाभाई : I am sorry for the information given by me just now that the Gang canal is not covered under the Demand because that also comes under the commercial work.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Are you definite or depending upon the information slip in your hand?

श्री भीखाभाई : Of course, we have to depend upon the information given by the officials.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : But you should know yourself ? You are Irrigation Minister.

श्री सभापति : Why do you enter into a controversy ? Go on with your debate.

श्री भीखाभाई : तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह कुल मिलाकर, जो (२,१६,५९४) रुपया हुआ, जो जीर्णोद्धार के और सस्पेन्स के खाते में है। इसलिये जो बढ़ा है वह १.४५ के अन्तर्गत बढ़ा है और यह जो रुपया रिपेयर के लिये है हर जिले में जो जिलों के अन्दर वर्क्स कहलाते हैं, कॉमर्शियल वर्क्स को छोड़ कर, उसके लिये हर साल अलॉट होता है। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर कन्सर्न्ड डिविजन के देखते हैं और इसके बाद यह अलॉट किया जाता है।

यह सही है कि उसमें कुछ फर्क पड सकता है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें रुपये का ताल्लुक जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक दम हुआ और सरकार ने उसमें एडवोकेट जनरल की राय के बाद इस बात का फैसला किया कि कॉम्प्रोमाइज किया जाय और वह कराया गया कलेक्टर और कमिश्नर के मार्फत और रुपया मिला। ब्रीचेज के बारे में उन्होंने बात बताई, पर इसका सम्बन्ध भी इसके साथ नहीं है।

चूंकि उन्होंने प्रश्न उठाया है इसलिये मैं निवेदन कर दूं कि जहां ब्रीचेज का सवाल है तो जैसा कल ही निवेदन किया था मैंने इस सदन के सामने कि इसके लिये इन्वेस्टीगेशन और सर्वे का विभाग है राजस्थान सरकार के पास और यह विभाग इसलिये खोला कि छोटे छोटे बन्ध बहुत थे और उनके टूटने से सरकारी मनी का बहुत नुक्सान होता था और अन्न उत्पादन में भी धक्का लगता था; इसलिये इस विभाग की स्थापना की और इस सर्किल को मजबूत बनाया गया। इसके लिये कमेटियां स्थापित कर रखी हैं जिनमें टैक्नीकल इन्जीनियर होते हैं और वे इन ब्रीचेज की देखभाल करते हैं तो माननीय सदस्य महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जो कारण बताये वे अब नहीं हैं। फिर भी मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह टैक्नीकल कमेटी यह भी सिफारिश करती है कि किस ब्रीच में किस अधिकारी का दोष है तो उसे सजा भी दी जाती है। पर जो बेगुनाह हैं उनको सजा देना वाजिब नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपके यहां कोई ड्रेनेज एक्ट नहीं है जिसके तहत आप ब्रीच के लिये जिम्मेदार को पुलिस में इन्फोर्मेशन देकर उसके हवाले कर सकते हैं और उसका प्रोसीक्यूशन कर सकें। यह एक्ट भी है। गंगानगर जिले में तो रियासत के जमाने से इफेक्टिव था। ब्रीच हो तो उसे कॉग्नीजेबल ब्रान ओफेन्स में लिया जाता है।

श्री भीखाभाई : मैंने जो निवेदन किया उसे माननीय सदस्य ने विपरीत समझा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा था एक बन्ध के बाबत कि वह कई बार टूटा ; पहली बार टूटा तो इतना नुकसान हुआ और दूसरी

(श्री मीखाभाई)

बार टूटा तो इतना नुक्सान हुआ। मैं इस के सम्बन्ध में अर्ज कर रहा था कि एक टैक्नीकल कमेटी बनी हुई है और वह जांच कराती है और ब्रीच के बारे में जांच को एग्जामिन भी करती है। पर गंगानगर वालों ने इसे केवल चैनल फीडर का ब्रीच समझा। इसके सम्बन्ध में तो ब्रीच करने वाले के खिलाफ कार्यवाही पुलिस में दर्ज होती ही है। यह तो कानून में लिखा है।

तो सभापति महोदय, इस समय जो प्रश्न उठाया गया इस डिमान्ड से कोई इसका सम्बन्ध नहीं है, यह तो कुल मिलाकर ग्रदर वर्क्स से सम्बन्धित है मेन्टीनेन्स से और रिपेयर्स से। डिटेल भी मैंने बताई जो २९ लाख मिलती है। वह रुपया देने के पश्चात भी कभी २ ज्यादा देना पड जाता है तो इस मांग में केवल २,१६,५९४ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मांग रखी है, माननीय सदस्य उसे स्वीकार करके अनुगृहीत करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८०, मुख्य शीर्षक १८–साधारण राजस्वों से अर्थ सम्बन्ध अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में जो मांग है उसमें कटौती के प्रस्ताव सर्व श्री श्योपतिसिंह और रामानन्द अग्रवाल और योगेन्द्रनाथ हांडा ने रखे हैं वे स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८९, मुख्य शीर्षक १८–साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्ध अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१६,५९४ तक की राशि प्रदान की जावे। की मांग जो सिंचाई मन्त्री ने प्रस्तुत की है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(१.५८ म० प०)

अधिक अनुमान की मांग संख्या ९०–कारागृह तथा बंदी बस्तियां

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९०, मुख्य शीर्षक २८-कारागृह तथा बन्दी बस्तियों के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,९७६ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

[इस मांग पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : ७. मांग संख्या ९०, मुख्य शीर्षक २८-कारागृह तथा बन्दी बस्तियां में १००) रु० की कटौती की जाय (किशनगढ़ जिला अलवर के किसान आन्दोलन में गिरफ्तार किये गए बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार पर बहस करने हेतु)।

श्री सभापति : श्री हरिराम चौहान।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सभापति महोदय...

श्री मथुरादास माथुर : यह जो राशि है यह पैट्टी एक्सपेन्सेज जो अन्डर डिफरेन्ट सब-हैड्स के अन्तर्गत एक्युम्युलेट हुए हैं, के लिये हैं। इसमें दो कट मोशन्स आये हुए हैं; एक है माननीय हरिरामजी का। उन्होंने कहा है कि ५८ के अन्दर किशनगढ़ के बन्दियों के साथ सख्ती हुई किसान आन्दोलन के सिलसिले में। दूसरा है जैल डाइट के बारे में। जैल डाइट के हैड में एक्सैस डिमान्ड की मांग नहीं रहा हूं तो इसलिये टैक्नीकली यह कट मोशन कवर नहीं होता है। पर बन्दियों के साथ संकेत है इसलिये वह तो आप कवर कराना चाहें तो करवा लीजिये। मुझे आपत्ति नहीं है। जनरल हैड है।

श्री सभापति : आपको आपत्ति नहीं है, तो मुझे तो होने वाली नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो उनका कट मोशन ऐसा है कि एक हैड के नीचे तो नहीं आ सकता है।

श्री सभापति : आप (श्री चौहान) रखिये अपना प्रस्ताव।

श्री हरिराम चौहान : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि यह जो कारागृह के अन्दर आम कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसकी तरफ इस कट मोशन द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं। आज कोई फर्क १५ सालों की आजादी के बाद भी हमने जैलों की हालत में नहीं देखा। जो हालत राजाओं और सामन्तों के जमाने में थी, जो कानून इसके उस वक्त थे वे ही आज भी हैं। हम सब उम्मीद करते थे, आम लोग यह उम्मीद करते थे, पोलिटिकल पार्टियां यह उम्मीद करती थीं कि अब सरकार चूंकि हमारी है तो जेलों के अन्दर की हालत बदलेगी और यहां उनके लिये अब शिक्षा का इन्तजाम, कला का इन्तजाम होगा, उनके सुधार का प्रबन्ध होगा; ताकि बाहर अपराध भी करके वहां जावें तो वहां अन्दर के वातावरण से कुछ न कुछ वे ठीक होकर बाहर निकलें; इस तरह की उनको वहां प्रेरणा मिलेगी कि वे अपने अपराधों को, अपनी अपराध की मनोवृत्ति को छोड देंगे। लेकिन जब अन्दर से देखते हैं तो हालत कुछ उलटी ही नजर आती है।

(२. म० प०)

यहां तक देखने को मिलता है कि आम लोगों के साथ-आम लोग जितने भी कैदी हैं उनके उसी पुराने जमाने की बेडियां डालते हैं, उसी तरह के कडे डालते हैं और उसी तरह की पोशाक है। किसी को ६ महीने या साल भर की सजा हो जाये और कुछ कमीवेशी की सजा हो जाये तो जो भी सजा के हकदार कैदी हैं उनको इस तरह के कपडे दिए जाते हैं कि जिससे बिलकुल इन्सानियत ही बदल जाती है, उसकी शकल ही बदल जाती है बल्कि बन्दर जैसी शकल, कार्टून जैसी शकल बन जाती है। ऐसी हालत में जो पहले चलती थी उसी तरह की हालत आज भी है। उसके अन्दर सरकार की तरफ से कोई सुधार नहीं हुआ है। उसी तरह से जो सिस्टम है, रिवाज है कि जेलर साहब आयें तो तमाम के तमाम कैदियों को खडा होना पडेगा और अगर किसी गलती की वजह से कोई खडा नहीं होगा तो उसकी बुरी तरह से पिटाई की जायेगी और उसको सजा दी जा सकती है। उसी तरह के नियम बने हुए हैं। उसी तरह से काल-कोठरी की सजा, किसी को जनानखाने में रखा जाता है किसी को पागलखाने में रखा जाता है। इस तरह की चीजें आज भी मौजूद हैं। यह मैं

(श्री हरिराम चौहान)

समझता हूं कि किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के लिए जो जनता की सरकार कहलाने का दावा रखती है, और हमारे गृह मंत्री महोदय, तो अपने आपको बहुत ही प्रोग्रेसिव कहते हैं, अपने आपको बहुत ही पुलिस के अन्दर सुधार करने के लिए नये नये नारे देते हैं और वे कहते हैं कि मैं जेल का भी निरीक्षण करके आया हूं, अलवर में भी गये हैं। मैं नहीं समझता कि अलवर की जेल के अन्दर जिस तरह के हालात हैं जिस तरह की वहां अनियमिततायें हो रही हैं, जिस तरह की मनमानियां हो रही हैं, गृह मंत्री जी उस नतीजे पर पहुंचें या नहीं, मालूम नहीं; लेकिन मुझे तो यहां तक मालूम हुआ है कि अलवर जेल के अन्दर कैदियों की बात छोड दीजिए पुराने आन्दोलन का किस्सा बाद में बताऊंगा लेकिन मुझे यहां तक मालूम हुआ है कि कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कैदियों के साथ मार पीट और गाली गलोच करने का अवसर आ ही जाता है लेकिन एक स्टाफ के सन्तरी को नीम के बांध कर वहां के अधिकारियों ने पीटा और उसी के ऊपर मुकदमा यह चलाया गया कि वह छुरा लेकर मारने के लिए आया था। तो इस तरह की भी मुझे शिकायतें सुनने को मिली हैं और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि गृह मंत्री महोदय, अपने कुछ विचार भी रखेंगे कि वे वहां क्या देख कर आये हैं। वह सारा किस्सा हमको बतायेंगे और हमारी जानकारी को पूरी तरह से मजबूत करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जेल के अन्दर हम यह उम्मीद करते हैं कि कोई भी पोलिटीकल पार्टी के लोग अन्दर जायें तो उनके साथ पूरी तरह से राजनैतिक हैसियत का व्यवहार किया जाय, उनके साथ किसी भी तरह की मनमानी नहीं की जाये। वहां पर हमने देखा कि किशनगढ आन्दोलन के अन्दर हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्त्ता थे उनको अन्दर बुलाकर सोडे के चौक में-वहां सोडे का चौक बहुत मशहूर है पिटाई के लिए-जो पढे-लिखे कार्यकर्त्ता थे, बहुत होशियार थे किसी तरह से इस चीज से उनका संबंध नहीं था, इस तरह से उनकी पिटाई की गई कि उनको एक जगह ठहरने नहीं दिया गया। किसी को कालकोठरी में डाल दिया गया और किसी को और छोटी कोठरियों में डाल दिया गया। इस तरह का जो व्यवहार किया गया मैं यह समझता हूं कि इस तरह के व्यवहार की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इस तरह का व्यवहार किसी भी राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के साथ हो यह इस सरकार के लिए और मैं समझता हूं कि उन अधिकारियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। कोई भी राजनैतिक पार्टी के लोग वहां पर जायें और उनको इस तरह से पीटा जाये, यह कतई शोभा की बात नहीं है। जहां तक सहूलियतों का सवाल है उनको बीडियों तक की सहूलियत नहीं देते, केवल ६ बीडियां देते हैं। दो बंडल, एक बंडल जो आदमी पीने वाला हो वह ६ बीडी में कैसे अपना काम चलायेगा। सरकार को घर से देनी पडता नहीं। बाहर से पहुंचायें तो उसके ऊपर भी पाबन्दी है। आम कैदियों को गुड नहीं दिया जाता, अगर बाहर से उनके रिश्तेदार पहुंचायें तो उसके ऊपर भी पाबन्दी है और इसी तरह से पीली वर्दी के जो लोग अन्दर रहते हैं जिनको पुराने कैदी कहते हैं उनको इन्होंने कुछ अधिकार दे रखे हैं। उन अधिकारों का वे दुरुपयोग कराते हैं। वहां के पुलिस के अधिकारी हैं वे अगर किसी तरह से उनको कहने सुनने को इन्कार

(श्री हरिराम चौहान)

करें या और किसी तरह की इच्छा जाहिर करें तो बुरी तरह से उनको पीटने का काम इन पीली वर्दी वालों को सौंपा हुआ है। वे पूरी तरह से उनकी सी० आई० डी० करते रहते हैं और उनको दबाकर रखने का सिस्टम जैसा बाहर हमें दिखाई देता है; जैसे पुलिस का सिस्टम है कि वह जनता को दबाकर रखे, जनता को पूरी तरह से कसकर रखे–इसी तरह से वहां पीली वर्दी के लोग उन भोलेभाले लोगों के ऊपर शासन करते हैं और उनको, बजाय सुधरने के अपराधी बनने का ज्यादा मौका दिया जाता है ताकि वे बेगुनाह लोगों की पिटाई करते रहें। इन तमाम बातों को बदलने की जरूरत है, जेल के तमाम कानूनों को बदलने की जरूरत है, जेल के जितने भी सिस्टम हैं उनको बदलने की जरूरत है। आज हम देखते हैं एक कैदी बीस साल तक जेल में रहता है और अगर वह सरकार का काम करता है तो उसका हिस्सा उसको कुछ नहीं मिलता है। मैं यह समझता हूं कि हमको इसके ऊपर भी विचार करके कुछ नियम बनाने चाहिए कि अपनी कमाई का उसे बहुत बड़ा हिस्सा मिले। मैं समझता हूं कि साल दो साल के लिए भी कोई जेल में रहता है उसके लिए भी इस तरह का सिस्टम जारी रखना चाहिए ताकि उनकी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ सके और वह ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सके और उनकी कुछ दिक्कतें भी दूर हो सकें; इस तरह का भी कुछ सिस्टम करना चाहिए। तो मैं यह समझता हूं कि गृह मंत्री महोदय पूरी तरह से इसके ऊपर विचार करेंगे और तमाम राजस्थान के अन्दर जैसी भी हालत है, हमारे अलवर की जिस तरह की हालत है, मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान के अन्दर इसी किस्म की हालत होगी और उसको पूरी तरह से सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे।

श्री सभापति: श्री कुमारानन्द।

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) माननीय सभापति महोदय, जेल के राशन की व्यवस्था के बारे में जो कटौती प्रस्ताव

श्री सभापति: राशन के बारे में प्रस्ताव नहीं है।

श्री हीराभाई: राशन के बारे में भी है।

श्री सभापति: नहीं, वह अब नहीं रहा।

श्री हीराभाई: मैं थोडा सा जो जेल में अव्यवस्था है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ......

श्री सभापति: कहां पर है अव्यवस्था?

श्री हीराभाई: कारागृह में।

श्री सभापति: कहां पर?

श्री हीराभाई: पूरे राजस्थान में।

श्री सभापति: वह कटौती का प्रस्ताव नहीं है। कटौती प्रस्ताव किशनगढ़, जिला अलवर के बारे में है।

श्री हीराभाई: वहां की मिसाल भी तो दे सकता हूं।

श्री सभापति: कटौती प्रस्ताव है किशनगढ़ जिला अलवर के किसान आन्दोलन में गिरफ्तार किये गए बंदियों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में।

श्री हीराभाई: उस संबंध में जेलों की बात तो कह सकता हूं।

श्री सभापति: उस संबंध में आपके पास कोई जानकारी है तो दे सकते हैं।

श्री हीराभाई: उस जानकारी के तहत ही और जगह व्यवहार हो रहा है उसकी शिकायतें होती हैं · · · ·

श्री सभापतिः नहीं, वह नहीं चलेगा।

श्री हीराभाई : माननीय चेयरमैन महोदय, वह वही है जो कारागृह किशनगढ़ के बन्दियों के बारे में है। लेकिन मैं थोडा सा किशनगढ़ के साथ साथ उदयपुर की जेल का भी जिक्र करुंगा आपकी अनुमति हो तो· ·

श्री सभापतिः मुझे सख्त अफसोस है कि मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(श्री अब्दुलजब्बार से) निम्बाहेडा के बारे में बोलेंगे या अलवर के बारे में ?

श्री अब्दुलजब्बार : (निम्बाहेड़ा) कारागार के बारे में जो मांग की गई है उसके आधार पर बोलना चाहता हूं, जनरल प्रिंसिपल जो हैं उन पर। वैसे इन्स्टान्स अलवर जैल का ही रख दूंगा।

सभापति महोदय, जेल इसलिए बनाये जाते हैं कि कोई व्यक्ति कानून के अनुसार जुर्म करता है तो एक निर्धारित समय के लिए उसको दूर रख दिया जाय, सोसाइटी और उसके संस्कारों को बदलने की कोशिश की जाती है। इसके लिए जेल होती है। लेकिन आज समाज की स्थिति यह है कि जेल में गया हुवा व्यक्ति जब छूटकर आता है तो एक तरह से नफरत की निगाह से देखा जाता है। उससे हेट (hate) की जाती है। आज समाज का वातावरण ऐसा बना हुवा है कि हमारे समाज में पूंजी की महानता है और जिसके पास पूंजी है उसके गलत कर्मों पर पर्दा डाला जाता है। मैंने पर्सनली जयपुर में खुद देखा है जेलों में कैदियों द्वारा बनाया गया सामान बाजार में लाते हैं और मैंने उनसे बातचीत की है और घन्टों बात करने लगता हूं अब भी जहां मिल जाते हैं। उनसे मैं टॉवल वगैरह भी खरीद कर लाया हूं। उनसे मालूमात की गई तो मालूम हुआ है कि उनको कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता है। जो माल वे बनाते हैं उस पर कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता है और यह लाजमी चीज है कि जिस दिन जेल की सजा पूरी करके बाहर निकलते हैं तो उनके पास एक पैसा भी नहीं होता है और घर पर आते हैं तो घर इस काबिल नहीं होता है क्योंकि अगर घर इस काबिल होता तो वे जुर्म ही नहीं करते, क्योंकि आम तौर से यही देखा जाता है कि गरीब इन्सान जिनके पास में पैसा नहीं है या काम-धन्धा नहीं है वह जुर्म करता हुआ पाया जाता है जब जेल से बाहर निकलता है; लेकिन पास में एक पैसा भी नहीं होता है और समाज में वह दुत्कारा जाता है, जिसका फल यह होता है कि वह एक के बाद दूसरा जुर्म करने को तैयार हो जाता है। जेलों में उन पर संस्कार ऐसे डाले जायं कि वे बाहर निकलने पर एक अच्छे नागरिक बनें और अपने देश और प्रान्त की सेवा कर सकें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस किस्म की जो मांग खर्च करने की आती है वहां वास्तव में इस प्रकार का सुधार किया जाय, चाहे ज्यादा पैसा खर्च करना पडे। इन कैदियों से जो भी काम लिया जाय तो काम लेने के बाद नियत तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाय और उसमें से कुछ हिस्सा उनको वहां खर्च करने के लिए दे दिया जाय और जो बाकी बची हुई रकम है उसको या तो जेल में जमा रखा जाय या उसको सैविंग बैंक में रखा जाय; यानी उसको २) रु० रोज मिलते हों तो एक रुपया पर डे के हिसाब से सेविंग में जाय। तो ३०) रु० पर मन्थ के हिसाब

Page No 67

(श्री अब्दुलजब्बार)

से सेविंग कर लेगा और साल भर में वह ३६०) रु० बाहर लेकर निकलेगा तो आराम से २ साइकिल भी लेकर मोहल्ले में बैठ जायगा तो २) रु० रोज कमा सकता है। साथ ही साथ सरकार जो उस कैदी पर खर्च करती है वह उनको वापिस भी मिल जायगा और जो कुछ माल वे बनायेंगे वह माल बाजार में बिकेगा तो जो कुछ मुनाफा आयेगा वह वापिस सरकार के खजाने में जायेगा और सरकार को जो बडी रकम जेल के लिए खर्च करनी पडती है और जिसका कोई रिटर्न नहीं होता है उसमें कुछ कमी होगी। हमारे यहां ५-६ ही ऐसी जेलें हैं जिनमें काम होता है। अधिकांश जेलों में काम नहीं होता है। वहां पर बाल्टी बनाई जाय, निवार बनाई जाय, मोटा कपडा बनाया जाय, टॉवेल बनाये जायं लेकिन जो काम करने वाले कैदी हैं उनको उसी तरह से पे किया जाय जिस तरह से कि पेड सर्वेन्ट होते हैं। उनको इस तरह से मौका दिया जाय और तनख्वाह दी जाय तो लाजिमी चीज है कि समाज में उनका आदर होगा और लोगों की जो उनके प्रति भावना है वह दूर हो जायगी, और राज्य में जरायम पेशा व्यक्तियों की जो संख्या बढ रही है वह कम होती हुई नजर आयेगी। इस तरह से इससे समाज में रिफॉर्म किया जाय तो जेलों का जो तसव्वुर यह निकालते हैं कि वहां इन्सान को हैवान बनाया जाता है वह नहीं निकाल कर यह तसव्वुर निकालेंगे कि हैवान यहां से इन्सान होकर निकलेगा। कोई यहां पर हैवानियत ले आता है लेकिन जब वह जाता है तो वह समाज के हित में काम करने वाला हितकारी व्यक्ति साबित हो।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): माननीय चेयरमैन महोदय, मैं, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों से शत-प्रतिशत, सेन्ट पर्सेन्ट एग्री करता हूं और जेल विभाग के अमूमन हमारी डिमान्ड्स की जो प्रायोरिटी मुकर्रर की जाती है उसमें नहीं आने की वजह से सरकार को भी और माननीय सदस्यों को भी इसके बारे में चर्चा करने का कम अवसर मिलता रहा है। मुझे इस बात की बडी खुशी है कि निम्बाहेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने, मुनासिब जो जेल की एक विचारधारा होनी चाहिए वह रखी है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनकी जो भावना होती है, उस भावना से हम बडे आभारी हैं। हम यह चाहते हैं कि आज के दिन जेलों में सुधार की जो प्रवृत्ति है जो देश भर में सोचा जा रहा है और राजस्थान में भी हम चाहते हैं कि जेलों में जो भेजे जायं वे 'as Punishment' भेजे जावें 'and not for punishment'। यह आज के सोचने का तरीका है। आदमी सजा के रूप में जेल में भेजा जाता है न कि सजा के लिये जेल में भेजा जाता है, ताकि जेलों में जाकर अच्छा नागरिक बन कर निकले। आजकल दुनिया में जितने भी जेल सुधारक हैं उनके सोचने का तरीका है। आज भी भारत भर में यह नीति है कि कोई ऑफेन्स करने के कारण कोई इन्सान सरकार की कस्टडी में ५-७ साल तक रहे और फिर समाज के लिए अच्छा नागरिक नहीं बने तो सरकार के कन्धों पर बहुत बडी जिम्मेदारी है। इस भावना को हम खुद समझते हैं। उसके फलस्वरूप हमने राजस्थान में एक जेल कमीशन की नियुक्ति की है। जेल कमीशन बराबर काम कर रहा है। उसकी २-३ इन्टरिम रिपोर्ट्स भी सरकार के पास में आ चुकी हैं और मैं आशा करता

(श्री मथुरादास माथुर)

हूं कि २-४ महीने में फुल रिपोर्ट आने के बाद में उसके ऊपर कार्यवाही की जायगी । मेरे ख्याल से सन् १९२० के बाद में राजस्थान सरकार ही पहली सरकार है जिसने इस तरह का कमीशन जेलों में सुधार के लिए मुकर्रर किया है और अभी तक जनता, समाज और सरकार का ध्यान जेल-सुधारों की ओर नहीं गया था जितना कि जाना चाहिए था, और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान खींचा है ।

मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारे राजस्थान में दो तरह की जेलें हैं । जहां तक यह बात कही गई है कि जेलों में इन्डस्ट्री चालू की जाय, तो ६ जेलें; जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर जहां कि ५०० बन्दियों से लेकर १००० तक बन्दी रह सकते हैं उनमें, लेकिन छोटी जेलों में पूरे जेल-सुधारों को लागू कर देना कठिन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि सोश्यल वैलफेयर ऑफिसर या प्रिजनर्स वैलफेयर ऑफिसर हर जेल में रख सकें ।

श्री हरिराम चौहान : अलवर को छोटी जेल बना दिया ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें बनाने की कोई बात नहीं है । अलवर सब-जेल है ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सब-जेल हैं उनके अन्दर जिस तरह की बातें इन बड़ी बड़ी जेलों के अन्दर होती हैं जहां कि ५०० से ज्यादा बन्दी रहते हैं, वह नहीं कर पाते हैं । वहां पर न तो कोई इन्डस्ट्री लगा सकते हैं और न उसका रिटर्न ही कुछ आयेगा । यह ठीक है कि वहां पर खेल खेलने के साधन; जैसे वॉली-बाल है या और इन्तजाम हैं, मोटी मोटी चीजें हैं वे करते हैं । मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि क्योंकि अलवर जेल के लिये जो कमेटी बनाई है उसमें उनको भी नोन आफिशियल विजिटर बनाया है · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have no intimation of this.

श्री मथुरादास माथुर : आ रही है । पहले जो कमेटी बनी हुई थी उसकी मयाद खतम हो गई, उसके स्थान पर नयी कमेटी बनाई गई । उसमें आप भी सदस्य हैं । आप जाइये जेल में, वहां देखिये, कैदियों की तकलीफें सुनिये और कोई भी सुझाव देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुझावों के अनुसार जहां तक बन सकेगा करने को तैयार रहेंगे ।

निम्बाहेडा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि कैदियों को कुछ मिलना चाहिये । हमने अजमेर जेल में प्रिपेरेटरी तौर पर शुरू किया है । वहां जो कैदी काम करते हैं, ८ घंटा नोर्मली काम किया जाता है उसके बाद फिलहाल चार आना रोज उनको तनख्वाह देते हैं, जिसको वे घर भेज सकते हैं, वहां काम में ला सकते हैं, डाइट को सप्लीमेन्ट कर सकते हैं ।

गुड के लिये कहा गया । गुड बैरक में नहीं रख सकते; लेकिन जेल में १० सेर गुड घर वाले जमा करा सकते हैं और उसमें से उनको हर रोज डाक्टर की एडवाइस के अनुसार २ छटांक दिया जाता है · · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : १ छटांक देते हैं । हम तो रहे हैं जेल में ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं भी रहा हूं। छटांक भर नहीं, अब दो छटांक देते हैं।

श्री रामकिशन : मैं पिछले साल की बात कहता हूं छटांक भर देते थे . . .

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस साल की कह रहा हूं। पिछली बार मैं इस हैसियत में नहीं था लेकिन अब गुड और मक्खन साथ साथ देने की हैसियत में हूं और देता हूं . . .

श्री रामकिशन : अबकी बार आप और हम साथ साथ चलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां बहुत से लोग नजरबंद हैं; जिस तरह आप हुए थे, उसी तरह काफी लोग नजरबंद हैं। उनको अच्छा खाना दिया जाता है . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक तो ७ दिन तक भूखों मरे थे . . .

श्री मथुरादास माथुर : कौन ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मि. गौड।

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल झूठ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे हॉस्पिटल में भूखे रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं पोलीटिकल प्रिजनर्स की बात कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह नहीं तय हो सका सात दिन तक कि हास्पिटल का खाना खावें या घर का खावें।

श्री मथुरादास माथुर : जब कोई कैदी अस्पताल में भरती होता है तो उसको अस्पताल की डाइट मिलती है। उनको अस्पताल की डाइट मिलती रही और वे कहते रहे कि अस्पताल की सफीशियेन्ट नहीं है। इसके लिये लिखा-पढी चली। अस्पताल वाले कहते रहे कि हम अपनी स्केल से देंगे और वे कहते रहे कि वहां की नहीं मिलनी चाहिये। अस्पताल में भरती होने के बाद डाक्टरों के हाथ में है, हम इससे कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में मुझे मालूम है। पोलिटिकल मामला उलझा हुआ था।

अभी लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं। अब तो जेलों में, जो बडी हैं, वहां पर फिजीकल ट्रेनिंग होती है, राइफल ट्रेनिंग भी दी गई है तीन-चार महीनों में। जेलों में स्पोर्ट्स होते हैं। यह कहा जाता है कि जेलों में पढाई नहीं कराई जाती है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर एडल्ट क्लासेज चल रही हैं, बडी बडी जो ६ जेलें हैं उनकी बात कह रहा हूं . . .

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : किशनगढ का आन्दोलन . . .

श्री मथुरादास माथुर : किशनगढ में पोलिटिकल प्रिजनर्स किसी मुद्दे को लेकर गये सन् ५८ की बात में मैं नहीं पडना चाहता क्योंकि आपके जजबात को ठेस पहुंचने का खतरा है, इसलिये उसमें मैं नहीं पडना चाहता। आप लोग जेल में गये उसकी मेरे पास रिपोर्ट है। आप चश्मदीद हैं, कह सकते हैं कि रिपोर्ट गलत आई। वहां से रिपोर्ट आई उसके अनुसार वहां नारेबाजी करने लगे, डिसिप्लिन बिगडने लगा, वहां पर नेताओं को बैरक में साथ रखा गया था उनका सेगरेगेट करने का फैसला किया और जब उनको वहां से ले जाने का फैसला किया तो

(श्री मथुरादास माथुर)
बाकी सब कैदी हाथ में हाथ देकर खड़े हो गये और यह कहने लगे कि नहीं ले जाने देंगे तो उनको जबर्दस्ती ले जाया गया । लेजाने में धक्कम धक्का हुआ उस संबंध में आपको शिकायत है यह ठीक है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा पहलू भी आपके सामने रखा है · · · ·

श्री हरिराम चौहान : जेल में नारे लगाना जुर्म है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : राजनैतिक कैदी कुछ भी समझें, लेकिन जेल का डिसिप्लिन है। जेल मैन्यूअल के अनुसार रात में नारे लगाना, दूसरे कैदियों को जगाना मैन्युअल के खिलाफ है। किशनगढ़ की जो बात आपने कही मैं उसमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहता । सरसरी तौर पर मैंने निवेदन किया, जब बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां जाते हैं तो नारे भी लगाते हैं, हल्ला भी करते हैं, दूसरों को बहकाते भी हैं, सब चलता है, स्वाभाविक है । दूसरे लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिये एक्शन लेना भी स्वाभाविक चीज है । इसलिये ५८ में वहां पर क्या हुआ, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने ठीक समझ कर किया होगा । मैंने कटौती प्रस्ताव के संबंध में जो और बातें कही हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं । आपके सुझाव के बाद यह भी फैसला किया कि पहले जो पैरों में कड़े या फेटर्स डाले जाते थे अब एक भी कैदी नहीं है जिसके पैर में कड़े डाले गये हों । अब फैटर्स उसके डाले जाते हैं जिसके बारे में कोर्ट ने डेन्जरस डिक्लेयर किया हो, या एस्केपीज हों, या कंडेम्ड हों उनके फैटर्स डालते हैं । आप आज भी चले जाइये जयपुर जेल में जहां ९००-१००० कैदी होंगे उनमें से आपको २०-२५ मुश्किल से मिलेंगे जिनके पैरों में फैटर्स डाले हुए मिलेंगे । इसके अलावा गरमी के दिनों में उनको आंगन में सोने की इजाजत देते हैं उनको लोक-अप में जाने की जरूरत नहीं है सिवाय उनके जो पागल हों एस्केपी हों या कोर्ट ने जिनको डेन्जरस डिक्लेयर किया हो ।

जहां तक ड्रेस का सवाल है, पुराने कपड़े फाड़ कर तो डाले नहीं जा सकते । जहां तक कपड़ों का संबंध है हमने फैसला किया है कि जेल के अंदर कैदियों के कपड़ों में धारी नहीं रखी जायगी · · · ·

श्री रामकिशन : यह आपने अच्छा किया ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : जेल के नजरबंदों को कितना डेली अलाउन्स देते हैं ? पूरी पूरी खुराक देते हैं क्या ?

Those who are detained under the Defence of India Rules, how much is paid to them as daily allowance ?

श्री मथुरादास माथुर : They are treated as 'B' class prisoners.

खर्चा कितना लगता है, यह प्रश्न नहीं है । भाव ऊंचे-नीचे हो सकते हैं । बी. क्लास प्रिजनर्स के लिये गजट में निकला है, आप देख लीजिये · · · ·

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ए. और बी. क्लास ही हैं या सी. क्लास भी है ।

श्री मथुरादास माथुर : ऑडिनरी कन्विक्टस जितने भी हैं वे 'सी' क्लास के हैं ।

श्री कुमारानन्द : मैं पूछता हूं कि डेली ग्रलाउन्स कितना देते हैं। मैंने सुना है १।।) रु० देते हैं उसमें खाना, बीडी, तमाखू ग्रादि सभी शामिल हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम उनको डेली ग्रलाउन्स नहीं देते हैं। स्केल राशन का प्रेस्क्राइब्ड है। भावों के कारण चार ग्राने, ग्राठ ग्राने बढ़ जायं तो उसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है····

श्री कुमारानन्द : हमको खबर मिली है कि पूरा पूरा राशन उनको नहीं मिलता।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल) : स्वामीजी ग्रापका कटौती प्रस्ताव ग्राया था उस समय ग्राप ग्रनुपस्थित थे इसलिये सारी सूचना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : धारी कैदियों के कपडे से हटाने का फैसला कर लिया है उनको थ्री फोर्थ पैंट मिलते हैं उनके स्थान पर फुल पेंट ग्रौर ट्राउजर्स देने का फैसला कर लिया है। जेल में कुछ कैदी ऐसे हैं जो एसकेपी हैं, डेन्जरस हैं उनका डिस्टिंक्शन कपडों से नहीं किया गया है बल्कि उनकी टोपी चेन्ज की जायगी। काली होगी या लाल होगी····

श्री रामकिशन : लाल टोपी होगी ?

श्री मथुरादास माथुर : हां। लाल टोपी पी. एस. पी. वालों ने एडॉप्ट करली है इसलिये दूसरा रंग सिलेक्ट करने के बारे में सोचना पडेगा। ग्राल इंडिया पैटर्न में काली है या ग्रौर रंग की है, लेकिन ग्राप लाल टोपी पहन कर बैठते हैं····

श्री मुरलीधर व्यास : सफेद टोपी में काला दाग रखा है वह कैसे रखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : सफेद टोपी में तो काला दाग है ही नहीं। देखने का फर्क है।

श्री रामकिशन : दाग तो है।

श्री मथुरादास माथुर : जेल में ग्रासमानी टोपी, काली ग्रौर लाल टोपी हैं। लेकिन लाल टोपी के लिये विचार करना पडेगा।

श्री रामकिशन : लाल टोपी को तो बदलना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बहुत विचार करके दूसरा निकालूंगा जिसका किसी पर ग्रसर नहीं पडे।····

श्री रामकिशन : पीली रख दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : पीली है। कन्विक्ट वार्डनर्स पहिनते हैं। लाल के लिये दूसरा विचार करेंगे।

मैं यह भी चेयरमेन महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि बीडी के लिये भी कहा गया। हमारे मेडिकल डाक्टरों के हिसाब से ६ बीडी से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिये। डाक्टरों ने कहा कि हैल्थ के इन्ट्रेस्ट में ज्यादा बीडी नहीं देनी चाहिये।

दूसरा यह भी कहा कि कैदियों को पागलखाने में रखा जाता है, पागलखाने में उनको रखा जाता है जिनके बारे में डाक्टर्स कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैदियों की भीड़ ग्रा जाती है ग्रौर जगह नहीं हो ग्रौर पागलखाने में जगह खाली पडी हो उस समय किसी को वहां रख दें तो यह नहीं कि वे पागल हो गये। टम्पोरेरी तौर पर

(श्री मथुरादास माथुर)

रखा जा सकता है । इसलिये पागलखाने से घबराने की आवश्यकता नहीं है ।

उसके साथ साथ, माननीय सभापति महोदय, जो कुछ भी सुझाव दिये हैं, और एक कटौती का प्रस्ताव जो रखा नहीं गया, राशन के बारे में था, मैं कह सकता हूं, अकोर्डिंग टू नेशनल स्टेन्डर्ड तीन हजार केलोरीज होनी चाहिए राशन में, हमारे यहां ढाई हजार या छब्बीस सौ केलोरीज की संख्या होती है । यह मुद्दा जेल कमीशन के विचाराधीन है कि राशन में किस तरह तब्दीली की जाय कि तीन हजार केलोरीज राशन में मिल जाय । उस पर कमीशन विचार कर रहा है और डॉक्टरों को एग्जामिन कर रहा है । उस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद विचार करके मैं कुछ न कुछ कर दूंगा ।

मैं समझता हूं कि इन सब बातों के डिस्कस होने के बाद, और जो किशनगढ़ जेल के आन्दोलन में धक्का-मुक्की हुई, उसको तो मैं अब नहीं हटा सकता, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरी एक बात कि आपकी और हमारी राय एक है कि जेलों में सुधार होना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि जेल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया जा सकेगा । मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य जेल रिफॉर्म्स के बारे में जो सुझाव दे रहे हैं · · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : आपने इतना आकर्षक खाका रखा है कि जेल जाने की तबीयत हो रही है ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : काल कोठरी का जो प्रबन्ध चालू है, उसका उपयोग क्या आप बन्द करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : काल कोठरी; जेल के अन्दर जो कैदी इन्डिसिप्लिन करता है, चोरी करता है जेल में सोलिटरी सेल्फ में दस-पन्द्रह दिन के लिए जेल मैन्युअल के अन्डर में ट्रायल होकर रखा जाता है । जेल के अन्दर जो जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, वे मजिस्ट्रेट हैं, वे मेन्युअल के अन्डर में ट्रायल करके सोलिटरी सेल्फ में भेजते हैं । ट्रायल के बाद काल कोठरी में उसी को रखा जाता है जो जेल के अन्दर गलती करता है, बाकी किसी को नहीं रखा जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता है ?

श्री सभापति : श्री हरिराम चौहान; आप अपना कटौती प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं ?

श्री हरिराम चौहान : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : वापिस ले रहे हैं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक २८, में जो कटौती का प्रस्ताव श्री हरिराम चौहान ने रखा है, उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री हरिराम चौहान : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक २८–कारागृह तथा बन्दी बस्तियों के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६७६ रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(२.३३ म. प.)

अधिक अनुदान की मांग संख्या ९१–पुलिस

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, अधिक अनुदान की मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक २६–पुलिस के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,७०,५७१) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक २६–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों के Unified Pay Scales में गलत तौर पर वेतन निर्धारित किये जाने पर बहस करने हेतु]

श्री सभापति: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए समय का ध्यान रखें। एप्रोप्रियेशन बिल भी आयेगा, उस समय बाकी के सदस्य बोल सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, इस संबंध में ६,७०,५७१ रु० की ऐक्सेस डिमान्ड सदन के सामने आई है । यह डिमान्ड रिवाइज्ड यूनिफाइड पे स्केल्स के सम्बन्ध में उपस्थित की गई है । यूनिफाइड पे स्केल्स के सिलसिले में इतनी राशि अधिक दी गई, लेकिन यह ठीक है कि पुलिस कर्मचारी, जिनमें विशेष तौर पर आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के सिपाही, आर. ए. सी. के सिपाही हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है; और विशेष तौर से आर. ए. सी. की जो कि इस कार्य के लिये बनी है कि वे हमारी बाउन्डरी की सुरक्षा रखें । उनकी तनख्वाह बहुत दुर्लक्षपूर्ण है । यदि हम राजस्थान को छोड कर भारतवर्ष के और बाउन्डरी प्रोविन्सेज की तरफ देखें, तो उनके अनुपात के अन्दर यह तनख्वाह बहुत कम है। आज जब कि राष्ट्र-रक्षा का प्रश्न उपस्थित है, सीमा के प्रहरी की बहुत बडी जिम्मेदारी है, और सारे राजस्थान, सारे भारतवर्ष के नागरिकों की सुरक्षा उनके कन्धों के ऊपर निर्भर है। यदि आप यह कल्पना करें, हालांकि सरकार प्राइस इन्डेक्स नहीं छापती, लेकिन प्राइस इन्डैक्स को देखें, तो उसके हिसाब से ६५ रुपये के अन्दर यह कल्पना करें कि एक सिपाही त्याग कर देगा तो यह सम्भव नहीं है । जनवरी, फरवरी, मार्च की घटनाओं को उठा कर देखिये । वे आपका ध्यान इस ओर दिलायेंगे कि क्या हमारी पुलिस, क्या हमारे सिपाही इस चीज के अन्दर कामयाब हुए हैं ? खुद गवर्नर महोदय के अभिभाषण में इस चीज का उल्लेख आया है कि बाउन्डरी के ऊपर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब रही है और आम तौर पर राजस्थान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं रही है। बाउन्डरी क्षेत्र को खुद-सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार और आई. जी. पी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लोकवाणी के अन्दर, हिन्द समाचार एजेन्सी द्वारा जो सूचना प्रकाशित हुई है उसको यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इतनी घटनायें हुई हैं–बाउन्डरी क्षेत्र में १४ डकैतियां, तीन चोरियां, ३२ अपहरण काण्ड, ६० ऊंट और ३६ पशु बाउन्डरी क्षेत्र के चोरी गये हैं। यहां तक कि आर. ए. सी. की पोस्ट के ऊपर तक हमला हुआ है। गृह मंत्री जी ने जनवरी के प्रथम सप्ताह के अन्दर बाउन्डरी क्षेत्र का दौरा किया। मैं उनके दौरे की तारीफ करूंगा। मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्दर वे पहले गृह मंत्री हैं जो बाउन्डरी के हर सिपाही से मिले और हर सिपाही के दुखों को उनके पास जा जाकर सुना। खुद आर. ए. सी. के सिपाही के लिए यह आश्चर्यजनक चीज थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं खुद उनके दौरे के समय उनके साथ था। जो स्थिति राजस्थान के बाउन्डरी के सिपाहियों की देखी वह काबिले दयनीय से दयनीय है। उनको किस प्रकार से बीमार होने के बाद भी छुट्टियां नहीं दी जातीं, किस प्रकार उनके पास जर्सी नहीं है, किस प्रकार उनके पास कम्बल नहीं हैं। जब गृह मंत्री ने पंजाब में प्रवेश किया और पंजाब की पोस्ट देखी, वहां के सिपाही और पुलिस को देखा, जिनको दुगुनी तनख्वाह मिलती है, जिनको बढ़िया राशन मिलता है, जिसके पास अधिक अच्छी वर्दियां हैं, जिसके पास रिहायश के लिये अच्छा प्रबन्ध है, जिसके पास पक्की पोस्ट्स हैं। सभापति महोदय, आज हम पाकिस्तान की तरफ दृष्टिपात करें, पाकिस्तान के क्षेत्र की तरफ देखें, तो पाकिस्तान के क्षेत्र के अन्दर पोस्ट्स का नम्बर ज्यादा है, उनकी हर पोस्ट पर वायरलेस सैट है, पाकिस्तान के उस क्षेत्र में हर पोस्ट के पास टेलीफोन सैट्स हैं, और बाउन्ड्री पर लगातार सडकें हैं। अगर पाकिस्तान का वाच स्क्वैड सुबह····

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि बाउन्डरी के रेफरेन्स से इस सदन में इस प्रकार वाद-विवाद करना क्या उचित होगा? मेरे ख्याल से बाउन्डरी पर कहां कहां क्या क्या पोजीशन है, उसकी इस सदन में चर्चा करने के बजाय अगर माननीय सदस्य के दिमाग में कोई बात जैसा उन्होंने कहा वे स्वयं दौरे पर साथ थे, तो वे बात मंत्रीजी को सुझा सकते हैं बजाय इसके कि हर डिटेल के अन्दर जायं कि क्या क्या पोस्ट्स पर क्या बातें हैं, क्या नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सभापति महोदय, मैं अपना यह पवित्र कर्त्तव्य समझता हूं गृह मंत्रीजी को मैं सुझाव दे सकता हूं, वे मैंने दिये हैं, लेकिन मैं अपना पवित्र कर्त्तव्य समझता हूं कि सदन के १७६ सदस्यों को, जिनकी उतनी ही जिम्मेदारी है–जितनी मेरी है, वास्तविक स्थिति से सूचित करूं ताकि मेरी आवाज में वे अपनी आवाज मिलायें। इस स्थिति के अन्दर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है।

श्री मथुरादास माथुर: सभापति महोदय, पब्लिक इन्टरेस्ट में यह डिजायरेबल, होगा क्या कि बाउन्डरी की सिचुएशन को इक्विपमेंट को, बाउन्डरी पर हम क्या कर रहे है, ये सब बातें यहां पर डिसकस की जायं? यह आप बता दीजियेगा। मैं नहीं मानता कि

(श्री मथुरादास माथुर)

यह माननीय सदस्य का अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य जो बतलाते रहे हैं, उसे हम अमल में लाते रहे हैं, उनके सुझावों को मानते रहे हैं। इसके अलावा हम जो करते हैं वह उन्हें मालूम है। इसलिये बाउन्ड्री सिचुएशन पब्लिक इन्टरेस्ट में डिस्कस करना क्या एडवाइजेबल होगा? मैं समझता हूं, ऐसे सवाल आये थे–जिसमें ऐसी बातें पूछी गई थीं। स्पीकर महोदय को हमने लिख कर भेजा था; in the public interest it is not desireable to discuss this on the floor of the House: इसलिए रिजेक्ट किये हैं। वही बात दूसरी शक्ल में आती है।

यह पर्टिक्यूलर डिमान्ड यूनीफाइड पे स्केल्स के सिलसिले में है, इसके अन्दर जो कट मोशन रखे हैं, वह है यूनीफाइड पे स्केल्स में कुछ लोगों का फिक्सेशन नहीं हुआ है, यह पोइन्ट है; या पे स्केल्स में इर्रेगुलर फिक्सेशन हो गया है, वह पोइन्ट आउट करें तो बात समझ में आती है। स्पीकर महोदय के समक्ष सब मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर हमारे लीडर से बात करें, आपस में बैठ कर बात करें, केमरा में डिस्कस करें कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है, और मैंने क्या किया है। वर्ना आप कह देंगे और मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। नतीजा यह होगा कि उसका कोई रिजल्ट नहीं हो सकता।

In the national interest and public interest I appeal to you not to discuss this thing but to discuss only the unfied pay scales. वह डिस्कस करना है तो अध्यक्ष महोदय से व्यवस्था लेकर इस पर डिस्कस किया जा सकता है We are completely in the hands of the House. वह किस तरह से करें, वह स्पीकर से व्यवस्था ले लें।

श्री सभापति: जो एक्सेस डिमान्ड है, it is in connection with arrears of claims in the unified pay scales. युनिफाइड पे स्केल्स के सिलसिले में यह धन राशि मांगी गई है और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि युनिफाइड पे स्केल्स के संबंध में कोई इर्रेगुलेरिटीज हुई हों और कोई केसेज ऐसे हैं जो उनके सामने हैं उनको रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सभापति महोदय, युनिफाइड पे स्केल्स में जो देना तय हुआ है वह काफी नहीं है जिससे कि एक सिपाही वास्तव में सिपाही की हैसियत से काम कर सके। गृह मंत्री ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं कि बोर्डर की स्थिति पर विचार प्रकट न किये जावें, मैंने भी इस बात पर गंभीरता से सोचा है और कोई गलत बात नहीं कहूंगा जो हानिकारक हो। मैं तो केवल ऐसे तथ्य आपके सामने ला रहा हूं जिसकी जानकारी सभी को है और ऐसे तथ्यों को जिनकी जानकारी मुझे है लेकिन उनको यहां लाने को तैयार नहीं और संकटकालीन स्थिति को देखते हुए उन बातों को यहां लाना भी नहीं चाहता। मैंने गृह मंत्रीजी से बात भी की है और भविष्य में भी जरूरत होगी तो गृह मंत्री से बात भी करूंगा।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था कि बार्डर पर जो घटनायें हुई हैं उसमें पुलिस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का जो रवैया है, उसका जो मोरल रहा है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं करेंगे उनका मोरल नहीं बढेगा । मैंने थानेदार और सिपाहियों के ग्रेड को देखा । आप फिक्सेशन ऑफ पे स्केल्स को पंजाब के ग्रेडों से मुकाबला करके देखें तो आपको मालूम होगा कि आज पंजाब के सिपाही के सामने हमारा थानेदार सिपाही सा नजर आता है ।

श्री मथुरादास माथुर: ऐसी बात नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा बिल्कुल ऐसी ही बात है । मैं एक ऐसे इलाके से आ रहा हूं जो पंजाब के आसपास ही है । और वहां थाने भी पास ही हैं ।

इसका, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सिपाहियों के मोरल कैसे हैं । कांकरोल की ढानी पर डाका पडा । उसका पहले से पता तो मुखबिरों ने दिया कि फलां जगह डाका पडने वाला है । उस समय सिक्स्थ बटेलियन के ६ जवान रवाना हुए । सभापति महोदय, मैं अदब से निवेदन करूंगा कि आज उन डाकुओं के प्रति जब उनका मुकाबला करने का मौका आता है तो उन सिपाहियों के सामने उनके बच्चों की दशा की दृष्टि आजाती है । जिस समय सिपाही लोग किसी डाकू को मारते हैं तो नाम तो एस.पी. या डी.एस पी. का होता है सिपाही का कोई नाम नहीं होता; आखिर उन सिपाहियों को उन भयानक और दर्दनाक डाकुओं का सामना करना पडता है जिनको आम नागरिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उस समय उसको अपने बच्चों का दृश्य सामने आता है । उन डाकुओं का मुकाबिला ६५) ८० पाने वाला एक सिपाही करे । डाकू गांव को लूट रहे हैं उस समय . . .

श्री मथुरादास माथुर: एक पोइन्ट और है। We are discussing unified pay scales. We are not discussing revision of pay scales. The revision of pay scales is fundamentally different thing for which the Police Commission is there.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह घटना थोडी सी रह गई है । अगर आपके पे स्केल में फिट नहीं होती है तो फिर भी कभी काम आवेगी । ६ सिपाही उसका मुकाबला करने के लिये गये । गांव लूटा जा रहा है । दो डाकू और उनके ऊंट भी वहां खडे थे । उस समय ५ सिपाही आगे नहीं बढे, केवल एक गढवाली सिपाही आगे बढा । ५ सिपाहियों की हिम्मत ने जवाब दे दिया । गढवाली सिपाही ने पेड की आड में एक बच्चे से जो छुपा था पूछा कि माल लूटने वाला डाकू कौनसा था । बच्चे ने बताया और उसमें एक डाकू को और दो ऊंटों को मार दिया और जब एक डाकू और उसकी सवारी मारी गई तो और सिपाही भी आगे बढे और उन्होंने डाकुओं को रोका । सरकार जरूर कहेगी कि पांच सिपाही डाकुओं के मुकाबले में थे । माननीय सभापति, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि पांच सिपाहियों का कोई कुसूर नहीं है । उनको उस समय बच्चों की बात याद आती है । राजस्थान सरकार ने उनको मोरल और हिम्मत नहीं दी । पुलिस मजदूरों और किसानों को लूटती है या रात को पट्टा लगा कर सोते हुए लोगों को ठोकरों से मारती है । मगर जिस समय डाकुओं से मकाबिला होता है उस समय उनके बच्चों का चित्र उनके सामने होता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है । उनकी जिन्दगी का जोखम होता है । उनका मोरल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
ठीक नहीं रहता इसलिये लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति भयंकर हो गई है। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो कटौती का-प्रस्ताव रखा है उसके लिये मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बोर्डर स्थिति का साथ साथ दौरा किया उसके संबंध में दो शब्द कहे और उन्होंने स्थिति को समझा इसलिये भी उनका आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि पंजाब और हमारे यहां पर कुछ अन्तर है। अगर आर. ए. सी. के सिपाही को तनख्वाह मिलती है वह पुलिस के दूसरे सिपाहियों से ज्यादा मिलती है। उनसे ज्यादा मेस एलाउन्स भी मिलता है। सिपाही को ५ रुपये मेस एलाउन्स के मिलते और आर. ए. सी. को २५) रु० मिलते हैं। इसके अलावा लाइन का प्रश्न है। अब लाइन बन चुकी है। यह ठीक है कि उनको तकलीफें रही हों, लेकिन जैसे आपने कम्बल की बात कही मैं यह कहूंगा कि उनको कम्बल दे दिये गये हैं और उनको जर्सियें भी दे दी हैं, ऊंट भी दिये गये हैं। इसके साथ साथ जब वे छुट्टी जाते हैं तो उनको एक तरफ का किराया ही दिया जाता था। लेकिन अभी जब गवर्नर पूगल गये थे उसके बाद से दोनों तरफ का किराया उनको मिलेगा। इसके साथ साथ उनको पहले छुट्टी कम मिलती थी और वह १० दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी और उनको ५ दिन अपने घर आने-जाने में लग जाते थे इसलिये उनको अपने घर पर रहने का बहुत कम अवसर मिलता था। इसको देखते हुए हमने उनकी छुट्टी भी जितनी निकलती हो देने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम सिपाहियों को ज्यादा पैसा दे सकें। यह ठीक है कि पंजाब में ज्यादा पैसा उनको मिलता है मगर इतना नहीं मिलता जितना कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है; उतना नहीं है। कमीशन ने बहुत ज्यादा लिख दिया है।

मैं यह कहूंगा कि यदि उनके १५ या २० रुपये और बढ़ा दिये जावें तो क्या वे बहादुर हो जावेंगे; बड़े बड़े आफिसर जिनको हजार रुपये की तनख्वाह मिलती है वे सिपाहियों के मुकाबिले में बहादुर हो जावेंगे, यह धारणा तो अमूमन नहीं देखी गई है। बहादुर एक हजार रुपये पाने वाला भी हो सकता है और ६५) रु० पाने वाला भी हो सकता है। यह तो जो कर गुजरता है वह कर गुजरता है।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं एक बात कहूंगा कि जो सिपाही बहादुरी से लड़ते हैं और मर जाते हैं, राजस्थान में ऐसी स्थिति है कि मरने के बाद भी सर्विस पोइन्ट ऑफ व्यू से वह सिपाही जिन्दा समझा जाता है। आज कोई सिपाही डाकुओं का मुकाबला करते हुए मारा जावे तो अगर इस समय जब वह मर जाता है, उसकी उम्र ४५ साल की है तो ५५ वर्ष तक वह जिन्दा समझा जावेगा और वही तनख्वाह उसके मरने के बाद भी उसके रिश्तेदारों को मिलेगी और वही सालाना तरक्की भी उसको मिलती रहेगी जैसी अगर वह जिन्दा होता तो मिलती। उसके बाद में पेन्शन भी उसके घर वालों को मिलेगी।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि इसके करने के बाद राजस्थान के

(श्री मथुरादास माथुर)

सिपाहियों ने बडी बहादुरी से डाकुओं को मारा, डाकुओं से कई मुकाबले किये। यह बात सही है कि दो–तीन महीनों में उधर कुछ डकैतियां बढ़ी हैं कुछ कारणों से, उन कारणों को माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं पर उनका मुकाबिला किया जा रहा है। आज चाहे आर. ए. सी. के सिपाही हों, चाहे ए. पी. के हों, चाहे एन्टीडकोइटी के हों, जो भी काम कर रहे हैं, बीकानेर के इलाके में और खास तौर से उस इलाके में जहां से माननीय सदस्य आ रहे हैं, वे सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बहादुरी के साथ डाकुओं का मुकाबला कर रहे हैं और दो महीने बाद आपको और अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी।

मुख्तलिफ स्टेटों से आदमी आये थे, ५०-५१ में सबको यूनिफाई किया। कुल ३४ हजार अफसर और सिपाही हैं, उनमें से १५१ केसेज पेंडिंग हैं। इसके कारण हैं। पुरानी कोवेनेन्टिंग स्टेट्स का रेकॉर्ड नहीं मिलता। इसके लिये चाहें तो राजस्थान सरकार को जिम्मेदार समझ सकते हैं, बाकी सबको फिक्स कर दिया गया है। कोई रोंग फिक्स ए हैं तो उनको अपीलों का मौका दिया गया है, उनकी अपीलें आई हैं, ८ अपीलें मेरे पास हैं, उनका भी तुरन्त फैसला कर दूंगा।

तो माननीय सदस्य ने आर. ए. सी. और आर. ए. सी. के जवानों के लिये हमदर्दी बताई है, वह आपकी बनी रहे और वक्त पर काम आये।

श्री सभापति : (श्री हांडा से) Do you want to press cut motion ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I beg leave to withdraw my cut motion ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने रखा है उसे उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I withdraw my cut motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक २९–पुलिस के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,७०,५७१ रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

नैक्स्ट।

(२.५५ म. प.)

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६२–मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४०,५९,४०३ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : 10. Demand No. LXLII, Major Head 37-Education be reduced by one rupee (to discuss the said plight of the teachers belonging to the Government aided institutions)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : श्रीमान् सभापति जी, मेरे इस कट मोशन का यह मकसद है कि उन टीचर्स की हालत पर, जो कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में काम कर रहे हैं, रोशनी डालूं । आज इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में क्लीवेज के कारण, जो झगड़े दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनसे वहां के स्टूडेन्ट्स पर बड़ा बुरा असर पड़ा है । मैं यहां उन चीजों का हवाला नहीं दूंगा जो इनके बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हैं, जो विद्वानों की सम्मतियां इस पर आई हैं । पर मैं अर्ज करूं कि इनके अपोइन्टमेंट्स में, कन्फर्मेशन्स में प्रमोशन्स के केसेज में कोई कायदा कानून नहीं बरता जा रहा है । यदि कोई मैनेजमेंट के माफिक काम नहीं करता है तो वह कितना ही अच्छा मास्टर हो, कितना ही कॉम्पीटेन्ट लेक्चरार हो, उसकी कॉम्पीटेन्स को काउन्ट नहीं किया जाता । वहां यह देखा जाता है कि उसका बिहेवियर मैनेजमेंट के साथ कैसा है । मैनेजमेंट जिस काम को करने को कहता है वही काम वह करता है, या नहीं । मैनेजमेंट जनरल इलेक्शन्स में किसी का साथ दे रहा था तो टीचर्स को कहा गया कि वे गांवों में जायं और कन्वेंसिग करें । मैनेजमेंट का प्रधान या सेक्रेटरी एक पक्ष का है और उसके पक्ष का केन्डीडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है वहां टीचर्स को मजबूर किया जाय कि वे गांवों में जायं और कन्वेंसिग करें· ·

श्री सभापति : They are not justified in the....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : Point of information, Sir, does he mean the institutions aided by the Government ?

श्री केदारनाथ : इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि एक प्रिन्सिपल इवोल्व हो यह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में देखने को मिलता है स्टाफ और ऑथोरिटीज में टकराव होती है । जहां ये दोनों काम्प्लीमेंटरी होनी चाहियें वहां क्लीवेज बढ़ता जा रहा है । मैं समझता हूं, इस पर ज्यादा न बोलते हुए एक सुझाव पेश करूं कि जब ७५ परसेंट एड सरकार इन्हें देती है तो क्यों नहीं सरकार इनको नेशनेलाइज करती जब कि वहां के टीचर्स की एसोशियेशन अपना रिप्रेजेन्टेशन सरकार के सामने पेश करती है । तो सरकार का कर्तव्य है कि सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्यवाही करे जिससे आयन्दा भय हो मैनेजमेंट के ऊपर कि इस तरह की अनियमितताएं करेंगे तो हमारी ग्रान्ट इन एड में कमी हो जायगी ।

इन शब्दों के साथ मेरा एक और सबमिशन है कि माननीय एज्यूकेशन मिनिस्टर की एड्वान्स एज होने के कारण उनके पास अब वह डेश और ड्राइव नहीं रहा, इसके लिये अच्छे अप्टूडेट शब्द अंग्रेजी के यूज करूं· · ·

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अंग्रेजी में क्या फरमाया, समझ में नहीं आया ।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपकी प्रशंसा में ही शब्द यूज किये हैं ।

श्री रामकिशन (वैर): अंग्रेजी में बोले इसलिये समझ में नहीं आया।

श्री माणिकचन्द सुराणा: आपको केबिनेट मिनिस्टर बनाने की बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप नीचे आ गये क्या?

(२.२८ म. प.)

(राव श्री नारायण सिंह: उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री केदारनाथ: हिन्दी में बता दूं, हमारे शिक्षा मंत्रीजी कुजीनेस आफ लाइफ में एन्टर कर गये हैं, इसलिये हम उनसे कुछ आशा नहीं कर सकते। आपमें स्कोलरली टेस्ट है हालांकि टेम्परामेंटल हैं आप इन दिनों में कुछ काम्प्लेसेन्सी डेवलप कर गये हैं। इस बार आपको सारी बातें याद दिलाते हुए अर्ज करूंगा कि कोई न कोई नई चीज एज्यूकेशन में लायें। ८ से १४ परसेन्ट स्टेट में बढा दिया लिट्रेसी को, नम्बर बढा दिया; पर एज्यूकेशन का स्टेन्डर्ड बहुत गिर रहा है। ये सारी चीजें रखते हुए आपसे आशा करता हूं कि इस सैशन में आप कुछ नई चीज हमारे सामने लायेंगें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पिछले सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि एडेड इन्स्टीट्यूशन्स के टीचर्स को चैक्स के जरिये पेमेन्ट किया जायगा, इसके बारे में भी कहें।

(३. म. प.)

श्री गिरधारीलाल व्यास(आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न रहता है कि पंचायत समितियों के जो टीचर्स हैं, जो क्वालीफाइड हो गये हैं या ट्रेण्ड हैं, उनको भी अब तक पे स्केल्स में फिक्स नहीं किया गया है. . .

श्री निरंजननाथ आचार्य: उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल आ चुका है और इसका जवाब भी दिया जा चुका है। मेरे ख्याल से आपका ही सवाल था। आप उस जवाब से बडे संतुष्ट भी हो गये थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास: जवाब नहीं मिला, प्रश्न ही नहीं आया। जवाब तो बार बार देते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं समझ गया। माननीय सदस्य का एडेड इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में प्रश्न है.....

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, और भी कट मोशन्स हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: एडेड इन्स्टीट्यूशन्स पर और हैं?

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री कुमारानन्द।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: I am present.

(सर्व श्री कुमारानन्द एवं योगेन्द्रनाथ हांडा खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री कुमारानन्द: Let him Speak.

(श्री कुमारानन्द के खडे रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष: It is a matter of compromise between you two.

(विराम)

Page No 81

श्री कुमारानन्द: उपाध्यक्ष महोदय....,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, स्वामीजी का कट मोशन दूसरी ग्रान्ट पर है।

श्री उपाध्यक्ष : No, you will not be allowed.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: I want to raise a point of order.

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्वामीजी का कट मोशन दूसरी मांग पर है और मेरा दूसरी मांग संख्या पर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह ध्यान रखेंगे कि मैंने जब आपका नाम बोला था उस समय आप अपनी जगह पर उपस्थित नहीं थे। ताहम मैंने आपको बोलने की इजाजत दी थी। उसके बाद स्वामीजी को....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा स्वामीजी का कट मोशन तो मांग संख्या ९५ पर है।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या ९२ लिखा हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is Division Number.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry.

श्री निरंजननाथ आचार्य :On a point of order, Sir, Once he has given up his right and therefore it will be admitted as if he has waived it. The Chair has given a Ruling, By not responding to the Call of the Chair he has waived his right........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I have not waived my right.

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं माननीय सदस्य......

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात है......

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! माननीय सदस्य का जिस समय नाम बोला गया था उस समय वे उपस्थित नहीं थे और उनको जब बोलने का अवसर दिया गया तो उस वक्त भी उन्होंने दूसरों को राइट देने का विचार कर लिया, इसलिये इस मसले पर अधिक वार्ता न हो। आगे भी और बातें बजट के समय कहने का मौका मिलेगा; इसलिये समय का ध्यान रखते हुए राइट वेव करेंगे।

माननीय उप-मंत्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: On a point of order, Sir .... रिक्वेस्ट है...........

श्री निरंजननाथ आचार्य: There can be no point of order on a point of order,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Demand No. 95 was not placed in the House. Discussion was going on Demand No. 92 and the reply was to be given on Demand No. 92.

श्री उपाध्यक्ष :

Reply is being given on Demand No.92.

माननीय उप-मंत्री ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष: Hon'ble Dy. Minister please !

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है, जो कट मोशन है उस पर......

श्री उपाध्यक्ष : आपका पोइण्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं कट मोशन पर बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री को कह दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : बोलने का तो राइट है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया कि माननीय उप मंत्री को कह दिया है बोलने के लिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पहले से ही तीन बार से खडा हो रहा हूं बोलने के लिये । मुझे मौका नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय उप-मंत्री को कह दिया ।

I have already called the Hon. Dy. Minister to reply.

श्री भैरोंसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय में यदि उदारता बरतें तो उचित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि मैं माननीय सदस्य को इजाजत दूंगा तो औरों को भी देनी पडेगी । मैं कह चुका हूं कि माननीय उप-मंत्री जवाब देंगे । तो माननीय सदस्यों को यह विचार करना चाहिये कि जिनको मैंने कह दिया है उनको बोलने दिया जाना चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Sir, the procedure is that when there are so many points of Order they should not be entertained.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं......

श्री निरन्जननाथ आचार्य : This amounts to canvassing the Ruling, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय श्री योगेन्द्रनाथजी हांडा का नाम आपने पुकारा और जब योगेन्द्रनाथजी हांडा आये उस समय आपने कुमारानन्दजी का नाम भी बोला । दोनों ही जब खडे हुए थे तब आपने व्यवस्था दी थी । पहले आपने योगेन्द्रनाथजी हांडा को इजाजत दे दी थी फिर कुमारानन्दजी को भी कह दिया । यह भी कह दिया कि आपस में तय कर लें । जब वे बोलने के लिये खडे हुए थे तो आपकी तरफ से संकेत मिल चुका था कि उनका भी कट मोशन है, ये बोल सकते हैं । आपका निर्देश था कि उनको बोलने की इजाजत है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने काम्प्रोमाइज की बात इस संदर्भ में कही थी कि मैं गलतफहमी में रह गया था कि माननीय कुमारानन्दजी का भी मांग संख्या ९२ पर कट मोशन है। मुझे मालूम होता कि उनका कट मोशन मांग संख्या ९५ पर है तो ऐसी बात नहीं होती। चूंकि मैंने माननीय उप-मंत्री को जवाब देने के लिये कह दिया है, अतएव यह स्थिति रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि वे ही उत्तर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, चेयर की गल्ती के कारण माननीय सदस्यों को क्यों रोका जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : Now the House should be cooperative to the Chair.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव पर जो माननीय सदस्यों के भाषण हुए हैं उसकी स्पिरिट के संबंध में मैं कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहता हूं।

जहां तक एडेड इन्स्टीट्युशन्स का सवाल है इस प्रश्न पर हाउस के निश्चय लेने का है। मेरी मान्यता में जैसा उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थायें हैं जिनको सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है उनके कार्यकर्ता राजनीति में भाग लेते हैं और हमने अब तक कोई बन्दिश ऐसी संस्थाओं पर और उनके कार्यकर्ताओं पर जहां तक उनकी राजनैतिक गतिविधि का प्रश्न है कोई नहीं लगाई है। मैं स्वयं इस विश्वास का हूं कि अगर संस्था की प्रगति और उसके विकास को आगे बढ़ाया जाय तो शिक्षण संस्थाओं को राजनिति से पूरा अलग रखा जाना उचित है। यह मेरी स्वयं की मान्यता है जैसी कि माननीय सदस्य की मान्यता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह मान्यता सरकार की तो नहीं है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य: दोनों के बीच का प्रश्न है। वही रखा है।

श्री भैरोंसिंह : तो सरकार की तो नहीं है ? सरकार की क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी व्यक्तिगत है।

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री भैरोंसिंह: On a point of Oredr, Sir, आप (श्री निरंजननाथ आचार्य) बैठ जाइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Should I sit ? Is it the point of Order, Sir, to be entertained ? Unless it is entertained I am not to sit.

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जब भी कोई मंत्री या उप-मंत्री बोलते हैं वे अपनी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, जो भी राय यहां कहेंगे वह सरकार की राय होगी·····

श्री निरंजननाथ आचार्य: This is not a point of order, Sir ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : मैं जो कुछ कह रहा हूं, यहां पर मंत्री महोदय को व्यक्तिगत राय

(श्री भैरोंसिंह)
के बारे में कह रहा हूं कि जब मंत्री महोदय यहां पर सदन में कट मोशन के ऊपर उत्तर देते हैं तो उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, सरकारी पक्ष से उत्तर देते हैं तो वे ही बातें कह सकते हैं जो कि सरकार को मान्य हैं। वे सरकार के प्रवक्ता हैं न कि व्यक्तिगत प्रवक्ता। यहां व्यक्तिगत प्रवक्ता की बात नहीं कहनी है, किन्तु सरकारी प्रवक्ता की हैसियत से सरकारी पक्ष की बात कहनी है। अपनी व्यक्तिगत बात को सरकार की बात कहना ट्रेजरी बेन्चेज को अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत राय यहां सदन में रखते हैं तो सरकार के प्रवक्ता नहीं माने जा सकते। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री महोदय को आपकी ओर से यह आदेश दिये जायं कि सरकारी पक्ष का ध्यान रखते हुए उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : यद्यपि यह सही है कि मंत्री महोदय जो उत्तर देते हैं वे सरकार के प्रतिनिधि हैं और वह सरकार की राय मानी जाती है; फिर भी सरकारी मं की हैसियत के अलावा भी मंत्री की खुद की पर्सनल हैसियत है और वे अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करना चाहें तो मैं समझता हूं कोई अनुचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर महोदय बुरा न मानें तो मैं निवेदन करूं कि अगर उनकी राय सरकार में नहीं मानी जाती तो यह एक प्रकार का उनमें सरकार का अविश्वास है। उनको चाहियें कि वे मिनिस्टरी से त्याग-पत्र दे दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): You are convassing the Ruling of Chair.

श्री उपाध्यक्ष: Order! Order!

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था मेरे वाक्य पर विराम नहीं लगा था, सेमी कोलन ही लग पाया था कि माननीय सदस्य बीच में उठकर पोइण्ट ऑफ आर्डर रेज करने लग गये और उस पर बोलते हुए माननीय सदस्य ने अपनी मान्यतायें, चेयर के सामने प्रस्तुत कीं।

मैं यह निवेदन कर रहा था, यद्यपि आपका सुझाव किस दिशा में मान्य हो सकता है और उपयुक्त है। उपयुक्त इसलियें हो सकता है कि शिक्षण संस्थाओं के कार्यकर्ता जब राजनीति में भाग लेते हैं तो संस्थाओं की क्षमता पर असर पड़े बिना नहीं रहेगा। एक दृष्टिकोण यह है।

दूसरा दृष्टिकोण जहां तक संस्थाओं के विकास का संबंध है आपका दृष्टिकोण मानने योग्य प्रतीत होता है। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। शिक्षण संस्थाओं को जो सरकारी सहायता दी जाती है उनको स्वतन्त्रता पूरी दी जानी चाहिये या नहीं। स्वतन्त्रता के आधार पर वे अपना विकास करें, चाहे वे किसी प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाली हों, ऐसी स्थिति में उन पर किसी प्रकार की बन्दिश डालना उपयुक्त नहीं होगा। इन दो दृष्टिकोणों के बीच में सरकार द्वारा अपना निश्चय लेने का प्रश्न उठता है। अगर यह सदन किसी एक निश्चित राय पर पहुंच जाय कि शिक्षण संस्थाओं को जो सरकारी सहायता दी जाती है उन संस्थाओं के कार्यकर्ता, वहां के शिक्षक किसी भी राजनीति में भाग नहीं ले सकते। एक मत से यह वर्डिक्ट मिल जाता है तो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि सरकार को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी आपके दृष्टिकोण को अपनाने में।

वापिस प्रश्न यह उठता है कि अगर सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है कि किसी भी संस्था के शिक्षक राजनीति में भाग न लें तो वैसी स्थिति में यह आरोप लग सकता है कि सरकार शिक्षण संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को राजनीति में भाग लेने से रोकती है जो प्रजातन्त्र के विकास में एक प्रकार की बाधा है। मेरी मान्यता में इन दोनों दृष्टि कोणों में स्पष्ट रूप न होने के कारण यद्यपि यह समझते हुए कि शिक्षण संस्थाओं की प्रगति पर कुछ असर पडता है। लेकिन सरकार ने इस पर भी उदारतापूर्ण दृष्टिकोण रखा है वह यह है कि हम आपकी आन्तरिक स्थिति में किसी तरह से भी दस्तन्दाजी नहीं करना चाहते। लेकिन जहां तक उनकी उन्नति का सवाल है उस पर असर पडता है। अभी जो ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स बनाये गये उसमें अपनी उदारता का पूरा परिचय देते हुए भी हमने इस प्रश्न पर कि राजनीति में भाग नहीं ले सकते विचार नहीं किया और न बन्दिश ही लगाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं और भी निवेदन करूं। दूसरे प्रान्तों के जो ग्राण्ट-इन-एड रूल्स हैं उनको देखते हुए हमारे यहां के रूल्स में हमने उदारतापूर्ण विचार किया है। उसमें आन्तरिक स्थिति का, राजनैतिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, उस पर भी कोई बन्दिश नहीं लगाई है। आपका दृष्टिकोण अगर अपना लिया जाय तो जहां फायदा होता है वहां नुकसान भी होता है। फिर भी मेरी मान्यता है कि यदि सदन इस बारे में अपना स्पष्ट मन्तव्य देदे तो बडी सुविधा होगी। वह इसलिये होगी कि शिक्षण संस्थाएं राजनीति से बच जायेंगी। वहां के शिक्षक जो अलग अलग पार्टीज के लिये चुनाव में काम करते हैं वह स्थिति ठीक हो सकेगी और उनमें अपने काम को अधिक से अधिक योग्यता के साथ करने की क्षमता पैदा होगी।

इसके साथ ही एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। शिक्षण संस्थाओं के कार्यकर्ता भी अपना एक राजनैतिक दृष्टिकोण रखते हैं और उनका भी नागरिक की तौर पर व्यक्तिगत अधिकार है। जहां तक राजनैतिक प्रगति का प्रश्न है उनका भी उसमें कुछ योग अवश्य होता है। प्रयास इस बात का किया जाना चाहिये कि शिक्षण संस्थायें राजनीति से बचें, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता। आपके दृष्टिकोण को सही मानते हुए भी राज्य सरकार विवश है उनकी आन्तरिक स्थिति में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं कर सकते। दस्तन्दाजी उन आधारों पर कर सकते हैं जहां हमारे नियम हैं, उन नियमों का उल्लंघन किया जाता हो तो। नये ग्रान्ट-इन-एड रूल्स हैं उसमें प्रावधान रखा है। उनमें उदारता है या नहीं, इसको अलग रखते हुए हमें यह अवश्य देखना होगा कि जहां तक विकास का प्रश्न है इस में बाधा पहुंचती है। प्रजातन्त्र के इस युग में उन स्थितियों को देखना पडेगा कि उदार वृत्ति अपनाते हुए भी उन संस्थाओं की जो अपनी परम्परा पर खडी होकर प्रगति करना चाहती है उस ओर ध्यान देना पडेगा। उदाहरण के तौर पर माननीय सदस्य कोई संस्था चलाते होते

Page No 86

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
तो जो उनका दृष्टिकोण है उस को बदलना होता। मुझको ऐसा मालूम होता है आप एक बडे सार्वजनिक कार्यकर्ता होते हुए भी किसी संस्था से चिपके हुए नहीं है। अगर किसी से लगे हुए होते तो यह दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये मैं समझता, हूं जो आपने कट मोशन रखा है उसे आप वापिस लेंगे।

श्री रामकिशन (वेर) : (बैठे बैठे) यह आप तारीफ में कह रहे हैं या बुराई कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बैठे बैठे न बोलिये खडे होइये, इजाजत लीजिये; फिर आप कुछ कहें तो मैं जवाब दे सकता हूं।

मैं इसलिये अर्ज कर रहा था, मैंने एक उदार दृष्टिकोण आपके सामने रखा। मझको पूरा विश्वास है कि संस्थाओं की स्वतन्त्रता को कायम रखने में आपका योग रहेगा।

इसके अलावा दो प्रश्न और हैं; एक तो तनख्वाहों का पेमेण्ट चैक द्वारा किया जाना। आडिट इन्स्पेक्शन से यह ज्ञात होता है कि शिक्षकों को तनख्वायें बराबर नहीं दी जातीं और दी जाती है तो उसका कोई दूसरा ही रूप होता है। यह माननीय सदस्य और मैं भी जानता हूं। हो सकता है, इसमें अलग अलग तरह की परिस्थितियां हों। मैं स्वयं समझता हूं कि तनख्वा का प्रावधान इस प्रकार का है कि शिक्षकों के पास तनख्वा पहुंच जाय। इस बारे में निश्चित कार्यवाही करने के बारे में तो नहीं कह सकता कि क्या कदम लिया गया है लेकिन यह कह सकता हूं कि ऐसी संस्थाओं को तनख्वाह चैक के आधार पर भेजी जाय। निश्चित तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मेरे पास कागज नहीं हैं अतः एक विशेष परिस्थिति में डाल दिया गया हूं। आपका सुझाव सारगर्भित है, वह मान लिया गया होगा। अगर नहीं भी माना गया है तो ध्यान देने योग्य अवश्य है। तनख्वाह देने का प्रश्न आपके दिमाग से ज्यादा हमारे दिमाग को खटकता है।

श्री भेरोंसिंह : इनका क्वेश्चन यह था कि पिछले वर्ष शिक्षा मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि शिक्षकों का वेतन चैक द्वारा भेजा जायगा वह क्या मान लिया गया है या नहीं। यदि वह मान लिया गया तो उसके अनुसार इम्पलीमेण्टेशन शुरू किया है या नहीं, यह बताइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी इस सूचना के लिये आभार प्रगट करता हूं। ऑर्डर हो गये हैं और विश्वास है कि उनका इम्पलीमेण्टेशन भी हो गया होगा। अगर कहीं देर है तो मैं उस स्थिति को देख लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Kedar Nath, Would you like to withdraw your cutmotion ?

श्री केदारनाथ: माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन पर कि वे इसमें कुछ सुधार करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना कट मोशन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री केदारनाथ को अपना कट मोशन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री केदारनाथ : I withdraw my out motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदानों की मांग संख्या ९२, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४०,५१,४०७) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(३. २२. म. प.)

अधिक अनुदान की मांग संख्या ९३—जन-स्वास्थ्य

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९३, मुख्य शीर्षक ३९–जन-स्वास्थ्य के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,३८,४५३ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९३, मुख्य शीर्षक ३९–जन-स्वास्थ्य के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,३८,४५३ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ९४–नागरिक निर्माण कार्य

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९४, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,६५,४८१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९४, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,६५,४८१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ९५–अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

श्री बालकृष्ण कौल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अविक अनुदान की मांग संख्या ९५, मुख्य शीर्षक ५५–अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१७,७३१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:]

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : १४. मांग संख्या ९५, मुख्य शीर्षक ५५–अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन में १) रु० की कटौती की जाय (Pensions के मामले तय करने में अनुचित देरी पर बहस करने हेतु)]

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द शब्दों में ही सदन के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं । जिन लोगों ने सरकारी दफ्तरों में तीस तीस साल तक, ३५-३५ साल तक नौकरी की है और नौकरी करने के बाद उनका पेन्शन का हक हो जाता है तो उनको पांच पांच और दस दस साल तक सेक्रेटेरिएट के धक्के खाते फिरना पड़ता है और फिर भी उनको पेन्शन नहीं मिलती । यहां तक सुना जाता है कि लोग मर गये लेकिन उनको पेंशन नहीं मिली । इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसमें जो विलम्ब होता है उसको दूर किया जाय । पेन्शन देने में सरकार विलम्ब करती है; इतना ही नहीं, इसमें करप्शन भी है । हम चाहते हैं, कि जो पेन्शन के हकदार हैं, जो बेचारे पेंशन लेने के लिये सेक्रेटेरिएट जाते हैं उनको वहां धक्के मिलते हैं । ज्यादा न कहते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी जो गैर-कानूनी कार्यवाहियां होती हैं वे दूर की जानी चाहिये । इस विषय में इन्क्वायरी करके इस विलम्ब को दूर करने की कोशिश करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन वापस लेता हूं ।

श्री रामकिशन (बैर) : पेन्शन केसेज के निपटारे के लिये कोई टाइम तो मकर्रर करिये ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : डिप्टी स्पीकर महोदय, माननीय सदस्य ने जो पेन्शन के पेमेण्ट के संबंध में ध्यान दिलाया है वह हो सकता है उनके सामने कोई परेशानी आई हो, उसका लिहाज रखते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । जहां तक ऐसे प्रश्न सरकार के सामने आये हैं मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर तुरन्त ही फैसला करने में यहां से कभी भी ढील नहीं हुई है । लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो नीचे की स्टेज पर कागजात के पूरा होने में देर लग गई हो । यह शर्म की बात है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो लोग रिटायर हो गये और उसके बाद जब उनकी आमदनी का जरिया रुक जाय......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : किनके लिये शर्म की बात है ।

श्री बालकृष्ण कौल : क्योंकि इसमें उलझन है सरकार के पास ये पेपर्स आते हैं कम्प्लीट होकर आते हैं तभी सरकार को फैसला करना पड़ता है । नीचे जैसा कि माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया करप्शन होता है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मेरे पास कोई ऐसा केस आया नहीं जिसके लिये कहा जा सके कि करप्शन था या किसी से पैसा मांगा गया और इसलिये किसी के कागजात रोक लिये गये ।

श्री रामकिशन : आप इन्क्वायरी करवाइये कि करप्शन है या नहीं ।

श्री बालकृष्ण कौल: ऐसे कोई केसेज हों तो उनको सामने लाइये। केवल जनरल रिमार्क पर इन्क्वायरी नहीं करा सकते।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे, आज तक आपने इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट तैयार कराया है, जिससे ठीक पोजीशन मालूम हो जाय कि कितने केसेज पेन्शन के पेण्डिग हैं, किस किस वर्ष के पेण्डिग हैं ? और उसमें डिले हुई तो क्यों ?

श्री बालकृष्ण कौल: एक जगह के पेन्शन का सवाल नहीं, यह तो हर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। इसलिये सरकार के आगे सवाल पैदा नहीं होता। आज सवाल पैदा किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस तरफ ध्यान देंगे और दूसरे डिपार्टमेण्ट्स से मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां पेन्शन केसेज हैं और वे क्यों रोके गये हैं। माननीय सदस्य भी इसमें मदद दें तो सरकार बहुत अनुग्रहित होगी। यह जो मांग रखी गई है वह इसलिये है कि जो भी केसेज पेन्शन के हैं उनका पेमेण्ट करने की आवश्यकता है इसलिये आप इसे जल्दी पास कर दें। साथ साथ मैं यह भी अर्ज कर दूं, ५८ साल की उम्र हो जाने से अब पेन्शन का सवाल नहीं उठता है। जो दिक्कत आती है वह तीन साल तक नहीं आयेगी।

श्री कुमारानन्द: पहले के बारे में क्या कहते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल: मैंने कहा अब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुरानी दिक्कतें हैं, उनके लिये कोशिश की जायगी कि जितना जल्दी हो उसका फैसला हो।

श्री उपाध्यक्ष: Hon'ble Member ! Would you like to withdraw your cut motion ?

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): जब कि माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है तो मैं अपना प्रस्ताव विथड्रा करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या यह सदन की मंशा है कि माननीय सदस्य श्री कुमारानन्द अपना कट मोशन विथड्रा करें।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री कुमारानन्द: I withdraw my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९५, मुख्य शीर्षक ५५–अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन के संबंध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,१७,७३१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९५ स्वीकार हुई।

(३.३२ म. प.)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री बालकृष्ण कौल)

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ता–राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३७,२१,८७० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ता–राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाय (जागीरदारों को १९५८-५६ में दिये गये rehabilitation कर्ज के सम्बन्ध में अपनाई गई गलत नीति पर बहस करने हेतु)] ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of Order, Sir., उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो मांग संख्या ६६ अधिक खर्च की ३७,२१,८७० रुपये की पेश की है और जो इस मांग करने के कारण बताये हैं उसमें कारण यह बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो कर्जा देना था उसमें हमें बचत हुई है और जो जागीरदारों को या म्युनिसिपल कमेटियों को या 'अदर लोन्स' में हमारा ज्यादा खर्चा हुआ है इसलिये उन्होंने यह मांग की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि वित्त मंत्री महोदय हाउस को मिसलीड कर रहे हैं और हाउस को गलत स्टेटमेंट देते हैं । यह कहना गलत है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनको बचत हुई है १९५८-५६ में । यह कहना उनका गलत है कि इस हैड के अन्दर जागीरदारों के री-हैबिलिटेशन के ऊपर २५.५५ लाख रुपये अधिक खर्च किये हैं, यह कहना गलत है और जो मैं कह रहा हूं उसके सपोर्ट में मैं सदन के सामने एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५८-५६ आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जिसमें इनकी गलती इसी बात से साबित होती है कि जहां यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बचत बतला रहे हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ८० लाख १७ हजार ४२८ रुपये का खर्चा ज्यादा हुआ है । न जाने क्या मन्शा है क्या छिपाना चाहते हैं वित्त मंत्री महोदय कि जिस विभाग में इतना अधिक खर्चा हुआ है ८० लाख यानी एक करोड के लगभग, जब कि वित्त मंत्री महोदय ने उस साल की सप्लीमेन्टरी बजट में इसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सप्लीमेन्टरी बजट में १,६८,५५,०००) रु० की मांग को कम करने के लिये हाउस से इजाजत ली थी, उसी साल में बजाय इस कमी करने के बाद ८० लाख रुपये ज्यादा खर्च हुए और अब हाउस को दो वर्ष के बाद जब अधिक अनुदान की सूचना दी जाती है तो इस तरीके से रोंग स्टेटमेन्ट रख कर हाउस को मिसलीड करके मांग को मंजूर कराना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक तो शुरू में ही जिस प्रकार यह अधिक अनुदान हाउस के सामने आये हैं, जिस प्रकार से शुरू के बजट में इसको सरप्लस बजट दिखा दिया गया, जब कि हम देखते हैं कि २ करोड का डेफिसिट है, तो फिर दो वर्ष के बाद यह ले रहे हैं और वह भी रोंग स्टेटमेन्ट देकर, यह बहुत सीरियस मामला है, हाउस को रोंग स्टेटमेन्ट देते हैं, जब कि हाउस उसकी सारी डिटेल्स में नहीं जा सकता । मैं कहता हूं कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और इसके लिए वित्त मंत्री महोदय रेस्पोन्सिबल हैं । यह स्टेटमेन्ट, जिसमें अधिक खर्च होना बताया है मैं निवेदन करूंगा कि इस 'एडवान्स लोन्स इन कनेक्शन विथ री-हेबिलिटेशन ऑफ जागीरदार्स' की ओरीजिनल डिमाण्ड में १५ लाख थे और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में ११ लाख ८३ हजार ६०० कम कर दिये गये । केवल ग्रान्ट ३,१६,४००) रु० की थी, जिसमें एक्चुअल खर्चा ३ लाख १०० रु० हुआ है और इसमें सेविंग १६,३०० की है जब कि जो स्टेटमेन्ट सदन के सामने वित्त मंत्री महोदय ने रखा है उसमें ५५ लाख ५५ हजार रुपये अधिक खर्च होना बताया गया है । तो मैं समझता हूं कि यह हाउस के अधिकारों का हनन है । एक फैक्चुअल रोंग स्टेटमेन्ट है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है इस हाउस का । इसलिये इस मांग के ऊपर विचार नहीं किया जाना चाहिये और इससे पहले मैं मूव करूंगा एक मोशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए वह टेक अप करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister to please clarify.

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : काम रुक गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऐसी स्थिति में कार्यवाही स्थगित कर दी जाये ।

श्री द्योपतसिंह (हनुमानगढ) : इनको मौका दिया जाय ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान् डिप्टी स्पीकर, माननीय सदस्य ने बडे जोरों से कुछ आंकड़े दिये, मैं नहीं जानता कि वे उन्होंने कहां से दिये....

श्री द्योपतसिंह (हनुमानगढ) : आपकी किताबों के ही हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : किताबों के पेजेज बता देते तो ज्यादा अच्छा होता । मैं उनका ध्यान एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स १९५८-५९ एण्ड दी ऑडिट रिपोर्ट १९६० के पेज ३२७ की तरफ दिलाता हूं 'लोन्स टू राजस्थान इलक्ट्रिसिटी बोर्ड'....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने जो गलत बातें बताई हैं और जो फैक्ट्स मैंने रखे हैं वे यह मानते हैं कि उनसे एक्चुअली गलती हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज को मैं स्पष्ट करदूं, यदि आज्ञा हो तो । अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि इलक्ट्रिसिटी बोर्ड को उस समय में घाटा था और जब घाटा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को होता है उस हालत के अन्दर वहां पर कोई सेविंग नहीं कर सकते, जिस सेविंग से बाकी के घाटे को काउन्टर बेलेन्स किया गया है । लेकिन जो डिमाण्ड है उसमें इलक्ट्रिसिटी बोर्ड के घाटे का सवाल नहीं है । इलक्ट्रिसिटी बोर्ड को सरकार की तरफ से जो लोन दिया जाने वाला था उस लोन की सेविंग से काउन्टर बेलेन्स हुआ है उसमें घाटे से काउन्टर बेलेन्स नहीं हुआ है । घाटा तो आज भी एग्ज़िस्ट करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया; लेकिन उसको जो लोन दिए जाने वाले थे उस लोन में सेविंग

(श्री भैरोंसिंह)

हो गई और उस सेविंग से काउन्टर बैलेन्स हुआ है इसलिए इनके गलत फीगर्स देने का सवाल नहीं आता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, जिन अकाउन्ट्स को रेफर किया है वे ऑडिटर जनरल के द्वारा साइण्ड हैं । यह बैलेन्स शीट और प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट का मामला नहीं है । एक्चुअली जो लोन दिया जाने वाला था, जो भी प्रोफिट था उससे उसमें कम दिया गया । ऐसा इन्होंने बताया है और एक्चुअली वहां पर ८० लाख ज्यादा दिये गये हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल: ८० लाख कम दिये गये हैं और ८० लाख के मुकाबले में जो दूसरी जगह ज्यादा दिये गये हैं वह काउन्टर बैलेन्स हुआ है । अगर आप प्लस और माइनस को गलत समझे हैं तो मुझे शिकायत नहीं है । और जैसा आप चाहें वैसा समझें ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाव देना चाहेंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल: मैंने बता दिया । मेरी तो ज्यादा सहायता....

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी का जवाब भैरोंसिहजी ने दे दिया ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): वे वित्त मंत्रीजी का स्थान लेने वाले हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल: पेज ३२७ पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था और मैं कह रहा था कि एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स में उन्होंने वहां पर दे रखा है ४,०३,८१,०००) और ४८,३८,६२८) और इस तरह से जो खर्चा किया है वह ४,०३,८१,०००) खर्च किया है और इस तरह से ८०,१७,६२८) का सेविंग हुआ । इसलिए वह रुपया हमने काउन्टर बैलेन्स किया है उन २ म्युनिसिपैलीटीज को लोन्स की तरह और इसकी तरह । यह मालूम होता है कि माननीय सदस्य जिन्होंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है उनकी इन आंकडों को समझने में कमी मालूम होती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने जो आंकडे गलत बताये हैं उस विषय में यदि वे चाहते हैं तो प्रिविलेज मोशन का अलग से नोटिस दे सकते हैं और उस दर्मियान में यह डिमान्ड जिसके ऊपर श्री श्योपतसिंह ने कट मोशन रखा है वह चालू रहेगी ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या ९६ पर जागीरदारों को सन् १९५८-५९ में जो रुपया दिया गया रीहैबिलिटेशन करने के संबंध में उसके बारे में कट मोशन दिया है ।

हमारी इस राष्ट्रीय सरकार ने कुछ गरीब आदमियों को, जिनका का कोई आसरा नहीं था, जिनके बडे बडे महल थे, जिनके पास में बडी बडी जायदादें थीं, इस तरह के गरीब आदमियों को और वह भी कोई थोडा बहुत नहीं २५,५५,०००) रु० और वह भी कोई अनजाने में और सरकार को पता नहीं लगा कि कौन ले गया, कोई प्लान्ड वे नहीं था उनको बसाने का हमारी सरकार के सामने, और हमारी इस बेखबर और फराकदिल सरकार से खिसक गया २५,५५,०००) रु० जब हम इस बात की तरफ देखते हैं तो हमारे

(श्री श्योपतसिंह)

सामने एक चीज नजर आती है उस सरकार की, जो सरकार इस बात का नारा बुलन्द करे कि, हम समाजवाद में आस्था रखते हैं। वह इस तरह की बात करती है तो उस सरकार पर किस तरह से विश्वास किया जा सकता है कि एक तरफ जहां राजस्थान के अन्दर हजारों लोगों की झोंपड़ियां जल जाती हैं उन लोगों को रीहैबिलिटेट करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी ३-४ महीने पहले गंगानगर जिले में घग्घर की बाढ़ आई और इधर जयपुर से बाढ़ चली मिनिस्टरों की और हम लोगों को भी उसमें बुलाया गया। अब हमें महसूस होता है कि हमने गलती की....

श्री रामकिशन (वैर): आपने ही मांग रखी थी।

श्री श्योपतसिंह: हमने मांग इसलिए की थी और इसलिए कहा था हाउस में कि जाओ देखो मौका, वहां के हालात को देखो और उनको रियायत दो। उनके मकान डूब गये हैं उनको सहायता दो....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): देखना क्या गुनाह है?

श्री श्योपतसिंह: लेकिन सरकार ने जो घर डूब गये हैं उनको कोई सहायता नहीं दी। वहां पर एलान किया गया। वहां पर भाषण दिया है ....

श्री रामकिशन: आपने देखने की मांग की थी वह देख आये।

श्री श्योपतसिंह: आप कुछ लेकर ही आये हैं, देकर नहीं आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: Order please! आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्योपतसिंह: उनको समझा लें साहब।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिन लोगों को दिया जाना चाहिये वे लोग बैठे हैं। वे बाढ़ से पीड़ित लोग जिनके मकान डूब गये हैं, जिनके घर बर्बाद हो गये हैं, वे सर्दी के अन्दर ४ महीने बाहर बैठे रहे। उनमें से कितने लोगों को बसाया गया है और उस पर कितने रुपये खर्च किये? कुछ नहीं। कोई जवाब नहीं मिलता है। एक तरफ तो जागीरदारों को २५ लाख का मालूम नहीं होता है और मिल जाता है, जिसका कि कोई प्लान नहीं होता है और दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी तस्वीर उपस्थित करना चाहूंगा कि वे लोग पाकिस्तान से आये थे नॉन-क्लेमेन्ट रिफ्यूजीज, उन लोगों को मकान नहीं दिये गये हैं वहां ऑक्शन से, नीलामी के तरीके से। यह सरकार का सुलूक है। इस इलाके के लोगों की यह हालत है कि उनके पास में पैसा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार जागीरदारों को देती है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि जागीरदारों के साथ में इस तरह की बात करते हैं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, मगर यह जरूरी है कि हमारी सरकार द्वारा जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनको दिया जाता है, जो लोग पैसे को लेकर फायदा उठाते हैं। सवाल इस बात का है, मैं कहता हूं कि जो सरकार समाजवाद का नारा दे और राजस्थान को आगे निकालना है तो यह उनके सोचने की बात है कि हम कितना आगे बढ़े हैं और हमारे यहां पर कितनी तरक्की हुई है। २५ लाख जागीरदारों को देने से क्या हालत होगी, उसको वे खुद ही सोच लें, तो बहतर होगा।

Page No 94

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर दो मिनट बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे बोलने का जो अधिकार है, मैं समझता हूं, उस पर जानबूझ कर ....

श्री उपाध्यक्ष: Only the Members putting out motions have been allowed.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: जब समय मौजूद है तो फिर क्यों नहीं बोलने दिया जाता है?

श्री उपाध्यक्ष: You will be able to speak on the Appropriation Bill.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: ऐसा कोई खास नियम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: वह समय नहीं होने के कारण ऐसा है और साधारणतया यही करते चले आरहे हैं। आप एप्रोप्रियेशन बिल पर अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अभी दो सदस्य बोलते तो २-४ मिनट वे लेते ही।

श्री उपाध्यक्ष: आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल लेंगे। मैं अवसर दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अब की बार तो मैं बैठ जाता हूं, मगर आयन्दा हमारे अधिकारों पर इस तरह से कुठाराघात हुआ तो गलत आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह प्रिविलेज का सवाल है, स्पीकर महोदय। यहां पर यह इस प्रकार का थ्रेट दिया गया है यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रथा बन्द होनी चाहिए और माननीय सदस्य से कहें कि वे अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं बड़े जिम्मेदार हैं। वे इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए एप्रोप्रियेशन बिल पर, वास्तव में, उनको अवसर दूंगा। यह समय की बचत का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े जिम्मेदार सदस्य जो यहां पर मौजूद हैं, वे स्वयं भी उसके महत्व को मानकर खुद संयम रखेंगे और माननीय मंत्रीजी इस बारे में जवाब देंगे।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): श्रीमान्, माननीय सदस्य ने जो बड़ी भावनाओं से एक वक्तव्य दिया यहां वह काबिल तारीफ है और मैं समझता हूं कि उनकी भावनाओं से कम ही लोग होंगे जो उनकी ताईद नहीं करेंगे। लेकिन जो इसी सदन ने और इस सरकार ने कुछ नीति अपनाई थी जागीरदारों के मुतअ . मैं समझता हूं, उससे मैं भी पाबंद हूं और हाउस भी।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): गरीबों के बारे में नीति बनाइये।

श्री बालकृष्ण कौल: वह आप बनाइये। इसलिये उस नीति के अनुसार यह फर्ज था कि जो जागीरदार जिनकी जागीरदारी खत्म हो गई थी उनको रीहेबिलिटेट किया जाय। इस के कारण इस रुपये की जरूरत थी और यह रुपया उसमें खर्च किया गया। · · · ·

श्री श्योपत सिंह (हनुमानगढ) : जरूरत तो महसूस नहीं की आपने, आप चले गये।

श्री बालकृष्ण कौल: माननीय सदस्य, यदि यह समझते हैं कि सरकार की नीति या सदन की नीति गलत थी तो उनको अधिकार है कि जब चाहे तब नीति बदलने के लिये प्रस्ताव रखें और नयी नीति अपनाने का फैसला करें। लेकिन जब तक यह नीति है उस वक्त तक सरकार कटिबद्ध है कि उस के अनुसार कदम उठावे और उसी नीति के अनुसार उन्होंने जो जागीरदार खत्म हुए थे जागीर अबोलिशन के कारण उनको रीहेबिलिटेट किया · · · ·

श्री हरिराम चौहान: उजड नहीं गये थे, जिससे कि दुबारा बसाना पडा हो।

श्री बालकृष्ण कौल: उस समय के रुपये हैं · · · ·

श्री हरिराम चौहान: उजड कैसे गये थे ? उनके पास मकान थे, खुदकाश्त की जमीन थी, धंधा था, आखिर उनको बसाने की कौनसी दिक्कत थी ? इधर उधर कहां हो गये थे ?

श्री बालकृष्ण कौल: मालूम होता है कि माननीय सदस्य उस समय सदस्य नहीं थे, जिस समय यह नीति अपनाई गई थी। मैं खुद नहीं जानता कि किन कारणों से यह नीति अपनाई गई। इसलिये सदन ने जो नीति बनाई थी वह जब तक बदली नहीं जाय, मैं उसके लिये कटिबद्ध हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है हम पाबन्द थे इसलिये रुपये खर्च किये गये।

श्री उपाध्यक्ष: Mr. Sheopat Singh, Would you like to withdraw your cut motion

श्री श्योपतसिंह: मैं विथड्रा करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की मंशा है कि श्री श्योपतसिंह को अपना कट मोशन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : मैं अपना कट मोशन विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ता. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३७,२१,८७७) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(३.५५ म. प)

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६३

(पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्णकौल : (वित्तमंत्री) श्रीमान्, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० १) बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या १) १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा माननीय मंत्री को प्रदान की जावे ? जो पक्ष में 'हां' कहें। जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें।

हां पक्ष जीता। (मतदान के पश्चात्) हां पक्ष जीता ······

श्री द्योपतसिंह (हनुमानगढ़): आवाज 'ना' की ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या १,) १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्त मंत्री) मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं. १) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a Point of Order, Sir उपाध्यक्ष महोदय ·······

श्री उपाध्यक्ष : Point of Order ;

श्री मानिकचंद सुराणा : Yes Sir, मैं इस पोइन्ट आफ आर्डर के जरिये आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल भी दूसरे बिलों की तरह है और एप्रोप्रियेशन बिल में भी वही प्रावधान काम में आते हैं, जो बिल के लिये काम में आते हैं। साधारणत जिस दिन कोई बिल पुरःस्थापित किया जाय उस दिन उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री बालकृष्ण कौल: (वित्त मंत्री) यदि की चेयर आज्ञा हो तो किया जा सकता है···

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी हां, मैं भी यही रेफर कर रहा था। साधारणतः उस दिन विचारार्थ नहीं लिया जाता है और उसका कारण यह है कि माननीय सदस्यों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे उसमें अमेन्डमेन्ट लावें, सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव करें और दूसरे सुधार पेश करें और जो भी सदन के माननीय सदस्यों द्वारा संशोधन पेश किये जाते हैं वे एक दिन पहले कार्यालय में नहीं पंहुच जाय तब तक विचारार्थ नहीं लिये जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आज इस बिल को विचारार्थ नहीं लिया जाय।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यदि इस बिल को विचारार्थ लेने की अनुमति प्रदान करते हैं तो प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ६७(२) की तहत मेरा प्रस्ताव है कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का अधिकार दिया जाय और विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया जाय क्योंकि ६७ (२) में यह प्रावधान है कि जिस दिन कन्सीड्रेशन में लिया जाता है उस दिन किसी भी सदस्य

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
को अधिकार है कि उसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव करे। ९७(२) यह है, उपाध्यक्ष महोदय:—

"At this stage no amendments to the Bill may be moved, but—

(*a*) if the member-in-charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion theron by a date to be specified in the motion."

इसलिये मैंने इसमें प्रस्ताव पेश किया है। पहली आपत्ति यह है कि जब तक स्पीकर महोदय की विशेष अनुमति न हो जाय तब तक इसको विचरार्थ नहीं लिया जाय।

दूसरी आपत्ति यह है कि यदि अनुमति दी जाती है तो मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि इस को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय और बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष: सदन में यह बाधा उपस्थित की गई है कि जो एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ है वह अन्य बिलों की तरह ही गिना जाना चाहिये और इसलिये जो दूसरे बिलों के लिये कायदा है वह इसके साथ भी लागू होना चाहिये। लेकिन मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आर्टिकल २०४, संविधान की तरफ आकर्षित करूंगा।

(४.०० म. प.)

जहां यह स्पष्ट लिखा है:

"As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appopiration out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet—

'shall' और वह भी "as soon as may be after the grants under article 203" इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो हमारे रूल्स में एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में कहा गया है, रूल १५४ में, वह इस प्रकार है:

"Subject to the provisions of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill, shall be the same as for Bills generally with such modifications as the Speaker may consider necessary".

अब यह आर्टिकल्स की मन्शा से गवर्न होता है इसलिये 'as soon as' को ध्यान में रखते हुए इस बिल को, जब ये सारी डिमाण्ड्स डिस्कस हो चुकी हों, सदन में लाना लाजमी हो जाता है। इस दृष्टि से मैं उपयुक्त समझता हूं कि यह बिल आज ही, इसी समय लिया जाय और माननीय सदस्य की आपत्ति को निराधार मानता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है·········

श्री उपाध्यक्ष: इसके अलावा जिन मोडीफिकेशन्स के साथ इस बिल को रखा जाना चाहिये, उसको ध्यान में रखते हुए और जो सदन की साधारण परम्परा रही है और संसद में और विधान सभाओं में परम्प८

Page No 98

(श्री उपाध्यक्ष)

रही है, उसके अनुसार एप्रोप्रियेशन बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात अनुचित समझते हुए मैं यह मानता हूं कि वह आज ही यहां पेश होना चाहिये। इसलिए माननीय सदस्यों की दोनों आपत्तियों को मैं निराधार ठहराता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम ६७ (२) द्वारा यह अधिकार किसी सदस्य को है कि वह सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने का प्रस्ताव करे··

श्री उपाध्यक्ष: I draw attention of Hon'ble member to article 204 (2): "No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State.."

श्री मानिकचन्द सुराणा: इसमें, सभापति महोदय, प्रश्न अमेण्डमेन्ट का नहीं है। सिलेक्ट कमेटी में किन कारणों से भेजा जाय; यह तो मैंने निवेदन·········

श्री उपाध्यक्ष: That is an amendment, Hon'ble member.

श्री मानिकचन्द सुराणा: This is not an amendment.

श्री उपाध्यक्ष: This is an amendment, Hon'ble member.

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय······

श्री उपाध्यक्ष: यह अमेण्डमेन्ट गिना जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह अमेण्डमेण्ट नहीं है, यह प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष: यह अमेण्डमेन्ट है, माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है, यह जैसा बताया गया प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अनुसार यह प्रावधान है कि जिस दिन जो बिल पेश किया जाता है उस रोज वह विचारार्थ नहीं लिया जायगा··

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : Point of Order, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : There could be no point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य: That is not the point of order, Sir, and therefore, may········

श्री रामानन्द अग्रवाल: It is for the Chair to decide.

श्री उपाध्यक्ष: Let me know first what is the point of order.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंहनगर) : (श्री आचार्य से) You are Deputy Minister and not the Deputy Speaker.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: इसमें यह प्रावधान है, जिस रोज बिल इन्ट्रोड्यूस हो, उस रोज विचारार्थ नहीं लिया जाय जब तक स्पीकार इस सम्बन्ध में विशेष

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
अनुमति नहीं दे दें। तो इस वक्त सवाल अनुमति देने का है। अगर चेयर यह अनुमति दे देती है कि आज विचारार्थ ले लिया जाय तब सवाल दूसरा उस सम्बन्ध में पैदा होगा कि स्पीकर महोदय का मतलब है, कोई भी व्यक्ति सभा का संचालन कर रहा हो, ऐसा माना जायगा या स्पीकर की जो परिभाषा इसमें दी गई है उससे स्पीकर महोदय का मतलब है। मैं जहां तक समझता हूं, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन रूल्स में स्पीकर के लिए परिभाषा दी गई है उसके अनुसार स्पीकर से मतलब उस व्यक्ति से नहीं माना जा सकता जो उस समय उसका संचालन कर, रहा हो।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) :- 'Speaker' includes Deputy Speaker.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: इसलिए मेरी मान्यता है कि इस पोइन्ट को डिसाइड करें.......

श्री मथुरादास माथुर: रूलिंग हो चुकी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: स्पीकर से मतलब है या डिप्टी स्पीकर या कोई व्यक्ति, जो चेयर में है, उससे है ?

श्री उपाध्यक्ष: जो माननीय सदस्य ने आपत्ति की है, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान सबसे पहले तो आकर्षित करूंगा, जिस बारे में मैं कह भी चुका हूं, कि जो कुछ भी मोडीफिकेशन्स इस रूल १५४ के अन्दर में करने हैं वे गवर्न होते हैं आर्टिकल २०४ के अधीन और २०४ एब्सोल्यूट बना देता है कि तुरन्त ही एप्रोप्रियेशन बिल यहां पर पास हो और बिना अमेण्डमेण्ट के; इसलिए यह केवल एक संवैधानिक मौलिक प्रश्न हो जाता है।

इसके अलावा स्पीकर की जगह अगर डिप्टी स्पीकर काम कर रहा हो तो उस वक्त संविधान के अनुसार ही वह स्पीकर की हैसियत में काम करता है, कोई प्रिसाइडिंग आफिसर, जो आसन पर होता है, उसको आसन के अधिकार पूर्णतया सुरक्षित होते हैं। न केवल डिप्टी स्पीकर, किन्तु कोई भी प्रिसाइडिंग आफिसर, जो आसन पर होगा, उसे स्पीकर की सारी शक्ति प्राप्त हैं। इसलिए डिप्टी स्पीकर का प्रश्न नहीं है, प्रिसाइडिंग आफिसर कोई भी हो, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसलिए मैं उस आपत्ति को निराधार करार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २ करोड ३५ लाख रुपये का जो विनियोग विधेयक माननीय वित्त मंत्रीजी ने सदन में प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में अलग अलग हैड्स को लेकर इस सदन में काफी विचार-विमर्श हुआ है। एक्सेस डिमान्ड्स के सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर कोई एप्रोप्रियेशन बिल आये वह सबसे पहले इस बात का संकेत करता है कि हमारी सरकार का बजट के ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं है बजट पर कन्ट्रोल न होने की शिकायत इस सदन के अन्दर बार बार की जाती है, सरकार की ओर से बार बार इस बात का आश्वासन मिलता है कि हम यथाशक्ति बजट पर कन्ट्रोल करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन यह आश्वासन मिलता है जिस समय बजट पेश किया जाता है और इस आश्वासन के विपरीत आचरण करने का अवसर देखने

(श्री भैरोंसिह)

को उस समय मिलता है जब सरकार एक्सेस डिमान्ड्स को लेकर सदन के सामने एप्रोप्रियेशन बिल पेश करती है। वह एक्सेस डिमाण्ड्स कोई लाख रुपये की नहीं, बल्कि जब करोड रुपये का सवाल उस एक्सेस डिमान्ड्स में आता है तो स्पष्ट रूप से लगता है कि हमारी सरकार का बजट पर कन्ट्रोल नहीं है।

अब यह कहा जाय कि १९५८-५९ के वर्ष की एक्सेस डिमान्ड्स आज सदन मे प्रस्तुत की जा रही हैं। वह सरकार की दूसरी दयनीय स्थिति का एक चित्र पेश करती है कि सरकार को अपने खर्च की भी जानकारी नहीं है। बजट पर कन्ट्रोल का सवाल तो दूर रहा, लेकिन हमें कितना खर्च करने का अधिकार है, इस अधिकार का भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता और उसका समय समय पर उल्लंघन हो जाय। आखिर किसी भी सरकार का कोई बजट बने, तो वह बजट इसलिए तो नहीं बनता कि उस बजट के अन्दर सरकार अपनी सुविधानुसार जितना कम खर्च करना चाहे उतना कम खर्च कर दे और जितना अतिरिक्त व्यय करना चाहे उतना अतिरिक्त व्यय कर दे। सदन में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, यह सही है कि उसके एस्टीमेट्स होते हैं, उस समय एक्चुअल फिगर्स नहीं दिये जाते और दिये भी नहीं जा सकते; लेकिन किसी भी ऐसी सरकार का जो सरकार बजट के मामले में बहुत सतर्क है, उसकी योग्यता का सुबूत यह होता है कि उसने जो एस्टीमेट्स बनाये, उसके अन्दर कितना कितना परसेन्टेज गलत है। माइनर एडजस्टमेन्ट्स हो सकते हैं, माइनर हैड्स के अन्दर कोई रद्दोबदल हो तो उसका एप्रोप्रियेशन हो सकता है। हैड्स में कोई मामूली रद्दोबदल हो और एस्टीमेट्स से एक्चुअल ज्यादा निकल जाय या कम निकल जाय तो उसका एप्रोप्रियेशन मामूली रूप से किया जा सकता है; लेकिन जहां २ करोड ३५ लाख का प्रश्न आता है वहां यह इस बात का संकेत करता है कि हमारी राज्य सरकार का न तो बजट पर कन्ट्रोल है और न 'सरकार के एस्टीमेट्स ही सही हैं और जो एस्टीमेट्स सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं उनको कन्ट्रोल में रखना सरकार की सामर्थ्य में नहीं है। उसकी एस्टीमेट्स के विपरीत आचरण करने की आदत पड गई है। आप यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति यहीं नहीं और भी कहीं आती होगी लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर कोई गल्तियें करता है तो उन गल्तियों की नकल करने का हमारा धर्म नहीं है। हमें उन गल्तियों को दुरुस्त करने की चेष्टा करनी चाहिये, जिससे बाकी दूसरे लोगों के लिये हम उदाहरण पेश कर सकें और उदाहरण-रूप हो जावें। लेकिन यहां यह देखा जाता है कि दूसरे गलती करते हैं उसी प्रकार की गलती को करने में हम उनसे कितने आगे बढते हैं। मैं राज्य सरकार से यह बात पूछना चाहता हूं कि यह इतना रुपया यानी २ करोड ३५ लाख रुपया है तो आपका बजट ५८-५९ में कितना था ? वह ३० करोड के लगभग होगा उसमें २ करोड ऐसी रकम आती है तो यह स्पष्ट है कि न तो उस दिन और न आज के दिन आपके पास उसका कोई ब्यौरा है, न कन्ट्रोल है। यह कह सकते हैं कि सरकार को बाद में जानकारी मिली लेकिन इसके लिये जो बजट बनाने वाले और इम्पलीमेन्ट करने वाले जो जिम्मेदार हैं, चाहे वे मंत्री हों या कोई दूसरे अधिकारी हों, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया जिसके कारण यह एप्रोप्रियेशन बिल पेश करने की

(श्री भैरोंसिंह)

आवश्यकता पडी और एक्सेस डिमान्ड लानी पडीं ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सेस डिमान्ड क्यों होती है ? वह इसीलिये आती है कि उस समय किसी बात से जानकारी उनको नहीं मिलती है और पेमेन्ट के बारे में वे बजट में संकेत करने की स्थिति में नहीं होते । लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक बार भी सरकार सख्त हाथों; से काम करेगी तो यह बिल्कुल ही रुक जाए, यह तो मैं नहीं कह सकता; लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि धीरे धीरे यह मिनिमाइज हो जावेगा । मगर ऐसा नहीं होता है और हम देखते हैं कि पिछले तीन सालों से यह तीन गुणा बढ गया है । ये पिछली सरकार के कारनामे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं । सरकार ने यह समझा कि इलेक्शन से पहले की जो गल्तियें हैं यानी ५८-५९ की गल्तियें हैं उनको ६२ के बाद में रखा जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिये सरकार यह कह सकती है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी इसकी जांच करती है । लेकिन पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी भी इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकती कि वह उसके कारण मालूम करे और अपनी टिप्पणी दे दें । इसके अलावा, उसके पास भी कोई चारा नहीं रहता है । सरकार यह कहे कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने रेगुलेराइज करने के लिये कह दिया है और सर्टिफिकेट दे दिया है; मैं यह कहूंगा कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने यह सर्टीफिकेट मजबूरी से दिया है; क्योंकि इसको किसी न किसी प्रकार से रेगुलेराइज करना ही है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी एस्टीमेट बनते हैं उनमें और एक्चुअल जो खर्चा होता है उसमें इतना ज्यादा डिफरेन्स नहीं हो ।

इसके अलावा, इसमें, कुछ डिमान्ड्स ऐसी हैं कि कुछ प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है, उसकी है । उसमें यह उल्लेख है कि यह छोटी बात है । मगर यह छोटी बात नहीं है । सरकार किसी भी संस्था को सहायता दे और तीन वर्षों के बाद उसको जानकारी हो तो अगर उस सरकार से कोई यह पूछे और पूछ सकते हैं कि आप किस प्रकार से इतनी बडी धन-राशि के कस्टोडियन हो, आप फाइनेन्स की किस तरह से रक्षा करेंगे; जनता ने करोडों रुपयों की संपत्ति आपके हाथों में छोडी है, उसको आप किस तरह से सुरक्षित रख सकेंगे ?

आप कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं मिली । मैं यह कहूंगा कि जिन अकाउन्टेन्ट को यह पास करने या एड देने का काम सौंपा गया उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए ? उनका फर्ज था इसको देखने का और नोटिस में लाने का । यह कोई बनिये की दुकान तो है नहीं । बनिये की दूकान में भी नये पैसे तक का हिसाब रखा जाता है । वह बनिया भी पूरा ध्यान रखता है कि किस आदमी को कितना देना है और कितना रुपया बाकी है । लेकिन हमारी सरकार को हमारे खर्चे की जानकारी नहीं होती और होती है तो ऐसे समय पर होती है जब अकाउन्टेन्ट जनरल हमारी सरकार को बताता है कि महाराज आपने; जो खर्च किया है वह ज्यादा खर्च कर दिया है । अब आप विधान सभा से मंजूरी ज्यादा खर्च किया है उसकी लो ।

सरकार कहती है कि उनको पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स से जानकारी नहीं मिली । मैं समझता हूं कि यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की ड्यूटी है कि वह वास्तव में देखे कि वास्तव में

(श्री भैरोंसिह)

खर्चा हुआ उसका अकाउन्ट आया या नहीं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक्सेस डिमान्ड लेट आवे उनके खिलाफ एक्शन लिया जावे कि उन्होंने बिना मंजूरी के रुपये पहले कैसे खर्च कर दिये, विधान सभा की मंजूरी के बिना कैसे खर्च कर दिये; मगर आपको अधिकार दे रखा है कि आप खर्चा कर सकते हैं और सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड ला सकते हैं और जो खर्चा आपने किया है, उसकी पूर्ति करा सकते हैं। लेकिन आज आप तीन वर्षों के बाद इस प्रकार की मांग सदन के सामने लाते हैं, जिनको खर्च करने का आपको अधिकार नहीं था। मगर जिस प्रकार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में हमारी मजबूरी है उसी प्रकार से यहां पर भी हमें उसके आधारों पर आपका साथ देना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के हित की दृष्टि से, पब्लिक हित की दृष्टि से और अपनी दृष्टि से यह उपयोगी समझता हूं कि ग्रान्ट-इन-एड ......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप खुद पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य हैं।

श्री भैरोंसिह : आप इसके सदस्य नहीं हैं, आप सीख जावेंगे धीरे धीरे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप नोट ऑफ डिसेन्ट देते।

श्री भैरोंसिह : आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि वहां नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया जाता है। आप सदस्य है, योग्यता होनी चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : योग्यता तो ज्यादा ही है।

श्री भैरोंसिह : इस संबंध में योग्यता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री भैरोंसिह : ग्रान्ट-इन-एड के लिये कहूंगा कि पैसा दे दें, मगर उसकी क्या स्थिति है, उसकी स्थिति को हमारी सरकार देखे। उप-शिक्षा मंत्री इसको ध्यान से सुनें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : हर एक व्यक्ति जो यहां सदन में बैठता है वह ध्यान से सुनता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप ध्यान से सुनें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप हांडा हैं, बिराजिये।

श्री भैरोंसिह : हम किसी को ग्रान्ट-इन-एड देते हैं तो उस इन्स्टीट्यूशन की प्रोस्पेरिटी के लिये देते हैं और यह सोच कर देते हैं कि उसका सदुपयोग हो और इसके लिये सदुपयोग का सर्टीफिकेट दिया जाता है और उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट उस इन्स्टीट्यूशन की होती है। उससे यह पता चलता है कि उस धन का सदुपयोग हुआ। इसके अलावा ग्रान्ट-इन-एड दी उसकी रसीद है, या नहीं; सरकार उसको देख ले। कुछ ऐसे हैं, जिनकी रसीदें अभी तक मुहैया नहीं हुई और जिनको युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं मिला। एक दो केसेज ही नहीं; बहुत से मामलों में आपके पास रसीदें नहीं थीं। अब आप हमें यह कहते हैं कि आप रीएप्रोप्रियेट कर दीजिये। रसीदें नहीं आई हैं, फिर भी उस पेमेन्ट को रेगुलेराइज कर दिया जावे।

(श्री भैरोंसिंह)
तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन इन्स्टीट्यूशन को आपने ग्रान्ट-इन-एड दी है उन इन्स्टीट्यूशन्स में कितने ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं ....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आप नाम पूछते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं नाम नहीं पूछता, मैं तो आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यह आपस में ही लडाई हो रही है।

श्री भैरोंसिह: जिस अमाउन्ट के बारे में, ग्रान्ट-इन-एड में दिये गये अमाउन्ट के मसले पर हाउस से स्वीकृति लेना चाहते हैं तो इस एप्रोप्रियेशन बिल में जिन जिन इन्स्टीट्यूशन्स का मसला शामिल किया गया है, उन इन्स्टीट्यूशन्स में से कितने इन्स्टीट्यूशन्स के युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट आये हैं, कितनों के नहीं आये, कितने इन्स्टीट्यूशन्स की रसीदें मिल गई हैं, कितनों की नहीं मिली हैं ? ऑडिट ने आपको समय समय पर चेतावनी दी है, जिस साल का यह मसला है-यह अमाउन्ट है, उस साल हजारों केसेज ऐसे थे जिनके युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं आये और रसीदें नहीं आई। यह एप्रोप्रियेशन बिल तो पास होगा पर मैं बताना चाहता हूं कि जिन जिन चीजों की कानून के अनुसार पूर्त्ति होनी चाहिये वह नहीं की गई।

यदि आपका इस मामले में एप्रोप्रियेशन बिल होता कि लाखों रुपया शिक्षकों के एरियर्स का बकाया है, उनका एरियर्स और बकाया चुकाना है, इसलिये यह एप्रोप्रियेशन बिल पेश करते हैं, तो हम स्वागत करते, पर हमारे उप-शिक्षा मंत्रीजी ने पूरी ताकत लगा दी पर उनको पेमेन्ट नहीं हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने हाउस में आश्वासन दिये, शिक्षा मंत्रीजी ने आश्वासन दिये कि अध्यापकों के एरियर्स चुका दिये जायेंगे, पर उनको पेमेन्ट नहीं किया गया। अकेले जयपुर जिले में लाखों रुपये बकाया पडे हैं, यहां के इन्स्पेक्टोरेट ने, डाइरेक्टोरेट ने बिल भेजे थे, ९ लाख के बिल ६ महीने पहले भेजे थे वे आज तक सेक्रेटेरियेट में नहीं पहुंचे हैं। उनके बारे में एप्रोप्रियेशन बिल लाकर पेमेन्ट कराया जा सकता है, एमर्जेंसी का नाम लेकर इसे कवर किया जा सकता है। पर इनको तो पूर्त्ति इन्स्टीटयूशन्स के उस अमाउन्ट की करनी है, जिनकी रसीदों का पता नहीं, जिनके यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं। तो मैं निहायत अदब से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह यह तो महसूस करे कि हमारा पैसे पर कन्ट्रोल हो।

मेजर हैड में डिपार्टमेन्ट के रीएप्रोप्रियेशन के कराने के लिये इस बिल में व्यवस्था की है। यह कहें कि कर्जा दिया। जागीरदारों को कर्ज दिया जिससे घाटा हुआ, जागीरदारों को कर्जा देने के कारण यह स्थिति पैदा हो गई, रीहेबिलिटेशन के लिये कर्जा दिया। कोई आपसे पूछे यह कर्जा कब दिया, इस कर्जे को देने की जानकारी कब मिली ? आपको यदि आप कहें कि जानकारी ३ साल बाद में मिली तो क्या आपको यह भी जानकारी है कि जिनको कर्जा दिया गया था वास्तव में कर्जा उन लोगों को ही मिल गया ? एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट से पूछें कि क्या जिन लोगों को कर्जा मिलना चाहिये था उनको मिला ? जिन लोगों को कर्जा मिलना चाहिये था वे

(श्री भैरोंसिंह)
कहते हैं कि हमें डिमाण्ड स्लिपें मिलती हैं पर कर्जा नहीं मिला · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य: कहां गया ?

श्री भैरोंसिंह: एन्टी-करप्शन में कई के मामले चल रहे हैं एवं जांच भी हो रही है। मेरा कहना है कि जिन लोगों को कर्जा देने के नाम पर यह व्यवस्था लाना चाहते हैं, उनको कर्जा दिया तो सरकार जांच कर ले कि उनको कर्जा मिला या नहीं, जो वास्तव में कर्जा प्राप्त करने के अधिकारी थे उनको मिला है या अन्य को मिला है। रीहेबिलिटेशन का कर्जा है, उन लोगों को रीहेबिलिटेट करना है; जिनकी जिम्मेदारी सरकार ने ली है, उन लोगों को नहीं जो सरकार को धोखा दें। पर सरकार यह बात नहीं बतायेगी। आपके इस तरह के खर्चे होते हैं, जिनमें इस तरह की खामियां और धोखे होते हैं, उनका विरोध तो हम करते हैं। आप पर उसका कितना असर होता है, इसकी मैं चिन्ता नहीं करता। यदि आप में शिष्टता है मैं समझता हूं वह है, तो इसके असर को लेंगे और उस असर को कार्य रूप में परिणत करके बतायेंगे।

मैं समझता हूं उप-शिक्षा मंत्रीजी इसे गौर से सुन रहे हैं, वे इसको कार्य रूप में परिणत करेंगे · · · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य: हम दो हैं।

श्री भैरोंसिंह: मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कानून के अनुसार एक के नीचे दो नहीं हो सकते।

एक माननीय सदस्य: भारत सरकार में तो ६,६ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाजार, जयपुर): ६ तो महाभारत काल में भी नहीं थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य: नीचे और ऊपर का प्रश्न नहीं, हम कलीग्ज हैं, आप गलत फरमाते हैं कोई नीचे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: तो आप वित्त मंत्रीजी के ऊपर हैं, ऐसा कहा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order Please !

श्री भैरोंसिंह: तो मेरा कहना है कि दो दो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं; एक मंत्री हैं, एक डिपार्टमेन्ट की निगरानी करने के लिये तीन तीन लगे हुए हैं, फिर भी उनको जानकारी नहीं है; तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि या तो मंत्रिजी को उप-मंत्रीयों में विश्वास नहीं है या उप-मंत्रियों को मंत्रीजी में विश्वास नहीं है। ऐसी हालत में सरकार की सारी वित्तीय स्थिति पर बडी दया आती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: ये फाइलें आपके पास कहां से आ जाती हैं ?

श्री भैरोंसिंह: आप ही देते हैं रात को आकर।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपकी कर्कशता तो सहानुभूति दे देती है, पर दया बडी खतरनाक होती है।

श्री भैरोंसिंह: क्या कहा उप-मंत्री जी ने ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपकी दिखाई हुई कर्कशता तो सहानुभूति दे देती हैं पर दया काम नहीं देती।

श्री भैरोंसिंह: मैं सरकार पर दया करता हूं या नहीं, पर राजस्थान की २ करोड जनता पर मंत्री महोदय दया करते हैं या नहीं, यह विचारणीय है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: दया हमेशा कठोर दिखती है।

श्री भैरोंसिंह: मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि राजस्थान की २ करोड जनता में से किसी को सरकार की दया नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष: Is this conversation the part of the Appropriation Bill?

श्री भैरोंसिंह: यह तो उप-मंत्री महोदय क्वेरीज कर रहे हैं उनका उत्तर दे रहा हूं। क्वेरी का उत्तर देना मेरा धर्म है। आप अगर आदेश दें तो उनको उत्तर नहीं दूं। तो ग्रान्ट-इन-एड की रसीदें नहीं देने, यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं देने से भी ज्यादा सीरियस यह है कि जो कर्जा दिया उसका युटिलाइजेशन हुआ या नहीं, जो तीन साल पहले कर्जा दिया गया है उसका युटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, यह सरकार नहीं कह सकती। आज से तीन साल पहले ग्रान्ट-इन-एड दी, कर्जा दिया, उसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं। रसीदें हैं या नहीं, इसकी जानकारी नहीं। युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट दिये या नहीं, बाद में कर्ज दिया उसको युटिलाइज किया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं। इसके ३ वर्ष बाद कहें कि इस खर्च के सम्बन्ध में एप्रोप्रियेशन बिल मंजूर करें, इसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसा सिस्टम है जो धीरे धीरे प्रजातन्त्र की जडों को कुरेदता है, इसलिए कुरेदता है कि बजट में जनता का अविश्वास हो जाना बहुत बडी खतरनाक चीज है, सरकार में अविश्वास हो या नहीं, यह इतनी खतरनाक बात नहीं; क्योंकि सरकार बदलती रहती है, पर बजट में जनता का अविश्वास यदि पैदा हो गया तो यह प्रजातन्त्र में सबसे अधिक खतरनाक होगा प्रजातन्त्र के लिये। आपने जितने टैक्सेज लगाये उनकी क्या स्थिति होगी, यह तो बाद में देखा जायगा पर जो आज स्थिति सामने है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। बिना एस्टीमेट्स के, बिना अनुमान के बातें रखी जायें, तो इसका मतलब है कि हम किसी प्रकार कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब आपकी तरफ से यह कहा जाय कि हम इसलिए ये चीजें छोड देते हैं कि ऑडिट चैक करेगा तो अपने आप पकड में आ जायगा। अब तो जिस वर्ष का खर्चा होता है उसी वर्ष का ऑडिट का चैक भी होने लग गया, पहले करेन्ट ऑडिट नहीं होता था तब यह बात थी। यह बात समझ में आ सकती है पर अब करेन्ट ऑडिट होने के बाद भी करेन्ट ऑडिट का अंकुश सरकार पर कारगर नहीं हुआ तो यह तो बडी दयनीय दशा हो जायगी। आप ऑडिट को डिफाई कर सकते हैं, विधान सभा की मान्यताओं को डिफाई कर सकते हैं, बजट की सेंक्टिटी को डिफाई कर सकते हैं, जितना एस्टीमेट्स के सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिये वह नहीं रह सकते तो फिर सरकार किस लिए है? भाषण तो हम भी करते हैं। भाषण देने के लिये तो आप भी देते हैं और हम भी देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप अच्छा देते हैं।

श्री भैरोंसिंह मैं बाहर देता हूं और आप अन्दर देते हैं।

तो मैं यह कह रहा था कि सरकार का इस पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं है। जब सरकार का इन बातों पर कोई चैक नहीं है, कोई कन्ट्रोल नहीं है तो स्थिति क्या होगी ? केवल बात है खर्चे की। हमारी सरकार तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण सरकार है कि उसको रिजर्व बैंक की डांट खानी पडी, भारत सरकार के वित्त मंत्री की हमारी सरकार को डांट खानी पडी और प्लानिंग कमीशन की हमारी सरकार को डांट खानी पडी।

श्री मथुरादास माथुर: आपकी मार्फत आयी ?

श्री भैरोंसिंह: मेरी मार्फत नहीं, जो डांट खाकर आये वे कई दिनों तक उठे ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर माननीय गृह मंत्री जी नाराज होंगे। राजाओं के जमाने में किसी ठिकाने का यदि काम ठीक नहीं होता था तो सरकार की ओर से उस पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स बैठा दिया जाता था। आज राजस्थान सरकार की यह स्थिति है कि डांट खाई सो तो अलग, भारत सरकार ने राजस्थान सरकार पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स बैठा दिया है। राजस्थान सरकार को हर तीसरे महीने भारत सरकार को अपना अकाउन्ट पेश करना पडेगा। आप ना कह दीजिये। रिजर्व बैंक के ओवर ड्राफ्ट को चुकाने के लिये भारत सरकार ने इसीलिये एडवान्स दिया कि आपको अपने अकाउन्ट्स हर तीसरे महीने चैक कराने पडेंगे, इसलिये कि आप अपने अकाउन्ट्स को कन्ट्रोल नहीं कर पाते। भारत सरकार की कोर्ट ऑफ वार्ड्स राजस्थान सरकार पर बैठी है, आप उनसे (वित्त मंत्री से) गलत जबाब मत दिला देना। इस सदन में उनके द्वारा मेरे प्रश्न पर इन बातों को 'हां' भरी हुई है। यदि आपके उकसाने की वजह से उन्होंने गलत जवाब दे दिया तो मुश्किल हो जावगी।

श्री मथुरादास माथुर: जो बात ठीक होगी वह ही कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह: गलत बात न कहलवा दें, फिर बाद में दिक्कत हो सकती है।

श्री मथुरादास माथुर: आप पैरवी न करें।

श्री भैरोंसिंह: वित्त मंत्री खुद कहेंगे कि कोर्ट बैठी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह उकसाना नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिंह: उस साल नहीं; बल्कि पहले वाले साल में कोर्ट ऑफ वार्ड्स बैठी थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, समस्या यह है सदन के सामने कि माइन्ड एप्लाई करने के लिये माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं जबाब न हो, वह बात अलग है, आप देते रहें, लेकिन किसी इशारे से तो कहें या गप्पास्टिक मार रहे हैं। जबाब तो कुछ बनाये, इतनी सामग्री तो होनी चाहिये। यह आवश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही चलाने के लिये; नहीं तो केवल मात्र

Page No 107

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ऐसी बातें रहती हैं। सदन के बड़प्पन को कायम रखने के लिये, हंसने की बात नहीं है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यदि सदन में उन्होंने बातें गलत कही हों तो आपका उन पर, आपके जरिये से उन पर सदन का नियन्त्रण होना चाहिये और सदन को फोलो करने के लिये सरकार को मदद करनी चाहिये। कौनसी कोर्ट बैठी है यह नहीं, हम बेचारे क्या जानें।

श्री भैरोंसिंह: आप तो हाथ उठाने वाले हैं। आपकी समझ तो है नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप भी आज दूसरों की जेब में हैं।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: कुछ व्यवस्था हो जाय उस प्रश्न पर।

श्री भैरोंसिंह: इनको भी कुछ व्यवस्था बता दी जाय कि दूसरों की जेब में हाथ डाल दें।

श्री उपाध्यक्ष: Order please?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मेरे पोइन्ट आफ ओर्डर का क्या हुआ?

श्री भैरोंसिंह: उनका पोइन्ट ओफ ऑर्डर रूल आउट हो गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: व्यवस्था तो होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था के लिये बड़ी अच्छी बात है आपकी। बड़ी अच्छी बात कही।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहूंगा कि एक्सेस डिमान्ड को लेकर यह जो बिल पेश किया गया है गलत परम्पराओं का निर्माण करने वाला है और सरकार द्वारा फाइनेन्सेज के मामले में जितने लेप्सेज हुए हैं उन सबका यह दिग्दर्शन कराता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार पहले की भूलों को लेकर कुछ सुधार करेगी तो राजस्थान की जनता का भला होगा। यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: No conversation please.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं बोलूंगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): You have not provided time to speak on this Appropriation-Bill.

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुकुटबिहारीलाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मसला सामने आया है मैं इस संबंध में ज्यादा लम्बी चौड़ी बात न कह कर जयपुर से आने वाले सदस्य महानुभाव ने विस्तृत तरीके पर व्याख्या कर दी है मैं तो केवल इस दयनीय स्थिति में यह चाहूंगा कि इस प्रकार के गडबड घोटालों के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, इसकी जांच करने के लिये सदन की एक कमेटी बैठाई जाय या ऐसी कमेटी का निर्माण हो, जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हों और वे इस मामले में जांच करें . . .

(व्यवधान)

सुनिये साहब।

संविधान की उपेक्षा करने के लिए कौन जिम्मेदार है या सरकार चलाने वाले हैं इतने काबिल नहीं हैं या नालायक हैं. . . . .

(अनपार्लियामेन्टरी है' ऐसी आवाज)

श्री उपाध्यक्ष: I hope, Shri Mukat Bihari Lal would not like to speak;

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): You have not provided time to speak on this Appropriatopn Bill.

अनेक माननीय सदस्य: पार्लियामेन्टरी है

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: दूसरे शब्दों में निवदन करूं कि सर्विसेज के आदमी इतनी लम्बी तनख्वाहें पाने पर भी इतनी भारी गलतियां करते हैं। किसी व्यक्ति ने जानबूझ कर गलती की है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, जनता को इस प्रकार से नुक्सान न हो, जनता के अधिकारों का हनन न हो, सदन को भी इस प्रकार से धोखे में न डालें, सही स्थिति आवे तो विचार कर सकें-राजस्थान की जनता के हित में, हम कर सकें तो अच्छा होगा। अन्त में मैं यह निवदन करूंगा कि एक कमेटी सदन की बैठायें या संभव हो तो हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठायें जिससे दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Have you fixed time ?

श्री उपाध्यक्ष: Be as brief as possible.

श्री रामानन्द अग्रवाल: You did not allow me to speak saying that you are not going to allow........

श्री उपाध्यक्ष: I did not refuse. I allowed you and you sat down. It is a misconception. I had allowed you and you sat down.

श्री मानिकचन्द सुराणा: उपाध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक में सबसे ज्यादा.........

श्री रामानन्द अग्रवाल: We must certainly feel it. You must control it from the very beginning. You give one hour's time to one member and do not allow a minute to others. We certainly resent it.

श्री उपाध्यक्ष: In future, we will keep consideration of time and hope, hon. members will cooperate. When certain members begin to speak, they do not like to restrain themselves. If the feelings are like this that there should be limited time I hope, every member will keep, regard to this point. It is absolutely superfluous to deal with the same subject with repetitions.

श्री मानिकचन्द सुराणा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले जो कुछ बातें कहीं जा चुकी हैं उनको दुबारा नहीं दोहराकर यह निवदन करना चाहूंगा कि इस विनियोग विधेयक ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी राज्य सरकार को ५८-५९ में किसी भी वित्त मंत्री की कोई आवश्यकता नहीं थी और उस वर्ष वित्त मंत्री नहीं रहते तो वित्त सचिव से भी काम चल सकता था

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सरकार का, क्योंकि जो जिम्मेदारियां एक वित्त मंत्री की होती हैं इस विनियोग विधेयक ने यह सिद्ध कर दिया है कि ५८-५६ में उनको किसी भी प्रकार से पूरा नहीं किया गया। २,३७ लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं और इस रकम का डिफाकेशन यह है कि मुख्यतः तीन-चार विभागों ने, हालांकि डिमान्ड दस तक आई है, पर मुख्यतः तीन-चार विभाग; जैसे शिक्षा, जनस्वास्थ्य, नागरिक निर्माण विभाग वगैरह में ही खर्च किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ५८-५६ में विधान सभा की बिना स्वीकृति के मन्त्रियों ने इतना रुपया खर्च किया कि सप्लीमेन्टरी और एक्सेस के वक्त यह बात सदन के सामने नहीं लाई गई और बावजूद अगले साल एक्चुअल एस्टीमेट में आने के व आज तक सदन के सामने नहीं आई, आज आ रही हैं चार पांच साल बाद। आज हम से कहा जा रहा है कि हमने पांच साल पहले जो खर्चा किया उसके लिये मन्जूरी दे दो। एक तरफ वे २,३७ लाख की मांग करते हैं और दूसरी तरफ ५ करोड के नये टैक्स यह सरकार लगाती है और उसमेंभी वित्त मंत्री के भाषण को पढने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें से तो ३।। करोड रुपया भारत सरकार को ३५ करोड रुपया के कर्ज की किश्तों के पेटे चुकाना है। तो निष्कर्ष यह है कि नये टैक्सेशन लगावें और उसका एक बहुत बडा अंश उन पुराने कर्जों की किश्तों के पेटे दे दें और जो गलतियां ५८-५६ में और उससे पूर्व और ५८-५६ के बाद के वर्षों में मुतवातिर अपने रिसोर्सेज से ज्यादा खर्च करके सरकार ने की, उन गलतियों का खमियाजा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों में हम उठावें। इस सबका निष्कर्ष यह है कि हमारे सारे विकास के काम रुक जावें। पर जिसका, जिस रकम का प्लान से संबंध नहीं, और जो विधान सभा की जानकारी में नहीं और मैं कहना चाहता हूं कि उस समय के वित्त मंत्री की जानकारी में भी नहीं रहा उस प्रकार के खर्चे की मंजूरी आप सदन से कराने जा रहे हैं।

हो सकता है कि चूंकि आपका सदन में बहुमत है कांग्रेस पार्टी का बहुमत है इसलिये वह मन्जूर हो जावे। पर जनतन्त्र के सिद्धान्त के दृष्टिकोण से देखना चाहें कि सदन को जिसका अधिकार है एक एक पाई के बजट के लिये स्वीकृति दे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ५८-५६ में जो विधान सभा थी उसके ही अधिकारों का हनन नहीं किया पर, आज जो सदन है उसके अधिकारों का भी मूल रूप से हनन है। नये टैक्सेशन के जरिये इन पुरानी गलतियों की किश्तें अदा करना चाहते हैं और हमसे कमिटमेन्ट कराना चाहते हैं। हम किश्तें भी भरें, पुरानी गलतियों की भी स्वीकृति दें।

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न इस सदन का इसमें आप उपयोग करना चाहते हैं तो यह सिद्धान्ततः गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं और इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):- Point of information, Sir, in the Statement of Objects & Reasons; इस के आब्जक्ट्स और रीजन्स में लिखा है

"According to article 204 of the Constitution of India, no expenditure can be charged from the Consolidated Fund of the State except in accordance with law."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और संविधान के अनुच्छेद २०४ के अधीन वे इस बात के लिये अनुमति चाहते हैं कि कन्सोलिडेटेड फण्ड से एप्रोप्रियेशन की इजाजत दी जावे। मैंने पूर्व में जैसी जानकारी चाही थी कि अगर यह कन्सोलिडेटेड फण्ड से कर दिया गया है जैसा वित्त मंत्री महोदय ने शुरू में कहा था कि कन्सोलिडेटेड फण्ड से इसका चुकारा कर दिया गया है तब २०४ की क्या आवश्यकता है, २६७ से इसे कन्टीन्जेन्सी फण्ड से किया है तो जरूरत है २०४ की। २६६ कन्सोलिडेटेड फण्ड से प्रोहिबिट करता है। अगर कन्सोलिडेटेड फण्ड से कर दिया है जो कि सदन की परम्पराओं और नियमों के प्रतिकूल है, वह अलग सवाल है, प्रिविलेज का प्रश्न बन सकता है या किसी का भी बने, पर अगर कन्सोलिडेटेड फण्ड से विथड्रा हो गया तो फिर इस प्रकार के २०४ में लाने की क्या आवश्यकता रह जाती है ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): श्रीमान् उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यों ने जो सवालात सामने रक्खे उनसे यह मालूम होता है कि जो मसला उनके सामने पेश है उसे उन्होंने पूरी तरह नहीं समझा।

मुझे यह कहने में अफसोस मालूम होता है कि जो एक्सैस डिमान्ड्स का मसला सामने था उसको उसी तरह से समझना चाहिये था जिस तरह से कि वह मसला आपके सामने पेश हुआ।

सारी बहस जिस नुक्ते पर हुई वह इस किस्म की थी कि जैसे कोई बडा भारी गबन हो गया, रुपये को इधर से उधर जाया कर दिया और सरकार जो उस वक्त की थी, उसने कोई ऐसी भूल की कि जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से इतना अर्ज कर दूं कि इस एक्सैस डिमान्ड को वे समझने की कोशिश करें। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा और एक क्लेरिफिकेशन चाहा कि यह कन्सोलिडेटेड फण्ड से खर्च हुआ या कटीन्जेन्सी से। मैं उनका ध्यान उन आंकडों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो शायद इस एप्रोप्रियेशन एक्ट में दिये हुए हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: आंकडे तो दिये हुए हैं कि कन्सोलिडेटेड फण्ड से पेमेन्ट हो चुका है।

श्री बालकृष्ण कौल: वह अमाउन्ट पेस कन्सोलिडेटेड फण्ड से ही होता है और अब आप जो पास करेंगे वह भी इसी से होगा। जो भी पेमेन्ट होता है या जो भी आप पास करते हैं वह सब कन्सोलिडेटेड फण्ड से होगा।

(अनेक माननीय सदस्यों का व्यवधान उपस्थित करने पर)

जब आप बोल रहे थे, तो मैं चुप सुनता रहा था। अब जब मैं सुनाता हूं तो माननीय सदस्यों को शिकायत होती है। आप महरबानी करके इस तरह से वक्त जाया न करें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आपको बहुत गुस्सा आ गया, साहब।

श्री बालकृष्ण कौल: गुस्से की बात नहीं है। जो शक्ल आपने दी सारी बातों को जैसे कि मानो सरकार ने कोई बडा भारी गुनाह किया, पाप किया, गलती की, रुपयों को फिजूल खर्च किया। मैं इतनी अर्ज कर रहा था ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आज तो आप प्रोपर मूड में हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मूड तो आप बनाया करते हैं।

सवाल यह है कि जो आपसे मंजूरी मांगी जा रही है उसके लिये मांगी जा रही है कि जो रुपया उस समय ज्यादा खर्च हो गया था; कोई और नई डिमान्ड नहीं मांगी जा रही है। वह तो किसी हैंड में कुछ हुआ, किसी में कुछ। ओवर ऑल एक्सपेन्डीचर उसी के अन्दर होता है। इसलिये, मैं माननीय सदस्यों से इतना अर्ज कर दूं कि बावजूद इसके कि हमारे पास सेविंग हुई ३७३.८४ हजार और कोई आपसे आज मैं नया मांगने के लिये खडा नहीं हुआ हूं। ये जो गलतियां हुई हैं और जो स्वाभाविक हैं कोई भी आप खर्चा करें तो सामने आपके कोई क्लौक नहीं होती कि उसे फिक्स करके बता दें कि सारे आना-पाई ठीक हो गये।

श्री योगेंद्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): आपको ठंडा करने के लिये पंखा चला दिया है।

श्री बालकृष्ण कौल : आपके सिर पर ज्यादा है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : आप दोनों के लिये है।

श्री बालकृष्ण कौल : तो यह चीज स्वाभाविक है। क्योंकि जब खर्चा होता है तो आना-पाई हजार, दो हजार किसी मद में खर्च हो गया यह उस वक्त खर्चा करने वाले के ध्यान में नहीं रहता।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): दो-दो करोड रुपया ?

श्री बालकृष्ण कौल : टोटल मिलाइये। २.७ परसेन्ट कुल का है इसके मुकाबले में और आडिटर कहते हैं कि २.७ थोडा है पिछले सारे सालों के मुकाबले में।

श्री विजयसिंह झाला : ज्यादा होना चाहिये था।

श्री बालकृष्ण कौल : आप क्यों उतावले हो रहे हैं। आप बर्दाश्त क्यों नहीं करते ? आप रिपोर्ट को पढें तो आपको मालूम होगा। इसमें दिया हुआ है कि यह जो खर्च हुआ है वह २.७ ही है वेरिएशन और जो स्वाभाविक है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि साहब मंत्री महोदय ने कोई काम नहीं किया। यह शायद जिन माननीय सदस्य ने उंगली उठाई काश कि वे मंत्री होते और अगर आगे हों तो यह कहने का उनको हक होगा कि वाकई मंत्री से गलती हुई या यह स्वाभाविक गलती है जो अमूमन आंकडों में होती है। कहा गया कि यह सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के वक्त पहले सामने क्यों नहीं लाया गया मसला। तो मैं निवेदन करूं कि यह मसला ऐसा नहीं था जो सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के वक्त लाया जा सकता या उस वक्त पकडा जा सके। यह ऐसा है कि आडिट होता है तो एक आना, दो आना खुदरा इधर उधर हो जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो आना और दो करोड आपके सामने एक ही कैटेगरी में आते हैं क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : जहां करोडों का बजट बनता है वहां और आप क्या कहेंगे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम आशा करें कि इस वर्ष के लिये भी फिर आप ऐसा ही करेंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर यें स्वाभाविक गलतियां नहीं होतीं तो इसका तस्किरा संविधान में दिया ही नहीं गया होता। इसका जिक्र संविधान में है । उन्होंने यह मानकर इसका तस्किरा किया है कि यह स्वाभाविक गलती है। आज यह कोई नई चीज नहीं पैदा हो गई और नई होती तो संविधान में इसका जिक्र ही नहीं होता।

जिसको रेगुलराइज करने के लिये कहा जा रहा है, यह सदन एक सोवरिन बोडी है। इसी को पास करना है सभी चीजों को। गलती है तब भी आपको ठीक करना है और गलती नहीं है तब भी आपको मालूम होना चाहिये। तो यह चीज पुरानी, आडिट के सामने आई; तो अब यह उस वक्त तक ओथेन्टिकेटेड नहीं मानी जा सकती जब कि सदन इसे पास न कर दे। इसको पी. ए. सी. ने भी माना और रेगुलराइज करने की सिफारिश की जो आपके सामने है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of order, Sir, the Hon. Minister has just referred to the audit report and has said that we have improved, in comparison to previous years. I say, this is a wrong information. which the Hon. Minister is supplying to this house, and this is hoodwinking the House. I would just refer to the observations of the Audit as compared with the previous years.

"The number of items of excesses as well as their amount in voted section recorded as increase." This is the statement which the Audit says in comparison to the previous years and the amount of the items. In 1958-59, items are 13. The amount is Rs. 1,89,39,542 voted. In 1957-58, it is only 1,74,00,000/-. In 1956-57, 9 lacs. In 1955-56 15 lacs. So it is a wrong statement that they are controlling it and decreasing it.

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मुझे अफसोस से कहना पडता है कि माननीय सदस्यों में उन आंकडों को समझने में कुछ खामी है ।

मैं उनका ध्यान पेज नम्बर ७ पर दिलाता हूं और दूसरा ध्यान पी. ए. सी. की रिपोर्ट की तरफ। और आप वहीं तक देखना चाहते हैं जो आपको सेटिस्फाई कर सके और उसकी माकूल तक न पहुंचे तो मैं आपकी बात नहीं कर सकता। मैं अर्ज कर रहा था कि एक माननीय सदस्य ने यूटीलाइजेशन और कन्सेन्ट की बात कह डाली। इतना मैं अर्ज कर दूं माननीय सदस्य को कि यह सब काम कन्सर्न्ड डिपार्टमेन्ट या अकाउन्टेन्ट जनरल का है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये उन्होंने भी शायद इस रिपोर्ट में कहीं पढ लिया है ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): गवर्नमेन्ट में कुछ भी गडबड घोटाला हो, कोई जिम्मेदार नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): आपका कहना कौनसा डिपार्टमेन्ट नहीं मानता है, आप बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : आप नहीं मानते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कितने रुपयों तक की आप स्वाभाविक गलती मानते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये यह जो आपका ख्याल है कि कोई बडी भारी धान्धली हो गई है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो मैंने फिगर्स दिये हैं उनको जानने के बाद इस तरह से ख्याल नहीं करेंगे। यह ठीक है कि थोडे बहुत काम में, जैसा मैंने अर्ज किया गलती होनी स्वाभाविक है।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

आप आंधा कलमा पढिये, आधा चुका लीजिए, मैं पूरा कलमा पढ दूंगा।

श्री भैरोंसिह : आप कलमा पढना कब से सीख गये ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मालूम होगा कि इस मसले में कितनी असलियत है और कितनी नहीं।

एक माननीय सदस्य ने बजट की सैंक्टिटी का जिक्र किया। मैं इतना अर्ज करदूं····

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बडी गडबडी की बात है कि माननीय सदस्य डिस्टर्ब करते हैं। इसमें आपकी निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष जी,··

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार की बात नहीं करेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं खतम कर रहा हूं। शायद खास कर वे साहब सैंक्टिटी को हर वक्त ठेस पहुंचाते हैं। वे ज्यादा ख्याल रक्खें तो अच्छी नजीर साबित होगी। इतना ही कहना है मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट के लिये और बढा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय १० मिनट और बढाया जाता है।

श्री योगेन्दनाथ हांडा (रायसिहनगर): यह टायर पंकचर कैसे हो गया, साहब।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय······

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): एक व्यवस्था के संबंध में, ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री के बाद में जो उप-मंत्री उनके हैं वे उनके बाद कैसे कुछ कर रहे हैं, उनके जवाब देने के लिये बाकी क्या रह जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन की परम्पराओं से और नियमों से वाकफियत नहीं है आपको।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई रोक नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा से सम्बन्ध रखता है इसलिये मैं कुछ निवेदन कर दूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सवाल शिक्षकों के वेतन के एरियर्स के सम्बन्ध में उठाया। इस सम्बन्ध में हमारी शिथिलता है, ऐसा उनका कहने का आशय था।

मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करूं कि इसमें हमने सक्रिय कदम उठाये हैं। जहां तक एरियर्स के डिस्पोजल का सवाल है हमने सारे इन्सपेक्टरोरेट को ३ रेन्जों में डिवाइड कर के तीनों के लिये तीन अकाउन्ट्स अफसर मुकर्रर किये हैं; एक हैं एच. एन. सक्सेना, दूसरे भारद्वाज और एक अकाउन्ट्स आफीसर और हैं। और इन तीनों पर दायित्व रखा है कि वे सब इन्सपेक्टरोरेट में तीन रेन्जों में बारी बारी से जाकर जो एरियर्स हैं उनकी जांच करें देखें और उनके पे बिल्स बनावें और जो आवश्यक कार्यवाही हो वह सब करें। मेरा विश्वास है कि इन तीनों रेन्जों में सारे राजस्थान को डिवाइड करने पर और यह सारी व्यवस्था करने पर हम इस मसले को काफी हल कर सकेंगे।

(५. म. प.)

हम इस ओर सजग हैं, यह माननीय सदस्य को इत्मिनान दिलाना चाहता हूं और इसके अलावा यह बात भी ठीक है कि एरियर्स ज्यादा हैं, यहां के इन्सपेक्टोरेट में भी ज्यादा हैं लेकिन हमारी कोशिशें बराबर हैं। आपके सहयोग से और आपकी भावनाओं के आधार पर काम पर जल्दी ही काबू पायेंगे और इसके साथ ही हम किस गति से इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उस ओर भी हम सजग हैं। यह इसके संबंध में मुझे निवेदन करना था।

श्री मानकचन्द सुराणा (कोलायत) : १९५८-५९ से ही ३ रेन्जेज बना दी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६३ पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

(विराम)

बढा हुआ समय अभी १० मिनट है, अगर सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो अगली कार्यवाही ली जाये।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर १ मिनट पर दिनांक ७ मार्च, १९६३ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, ६ मार्च, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

	स्कम्भ
राज्य में चेचक की रोक थाम ।	१२१५
सरकारी विज्ञापन ।	१२१७
ठेके पर लिये जाने वाले ट्रक-जयपुर ।	१२१९
अजीतगढ में पुलिस कैम्प ।	१२२४
अलवर में हैड-प्लोमैन का नये ग्रेड में फिक्सेशन ।	१२२७
अलवर में बिजली की दरें ।	१२२९
फेमिली प्लानिंग के लिये सब-कमेटी ।	१२३३
अजमेर जिले की इमारतों में दोषपूर्ण कार्य ।	१२३७
बसवा की जनता की ओर से ग्राम पंचायत के स्थान पर म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना की मांग ।	१२३८
गंगानगर जिले की विभिन्न मंडियों में चुंगी की दर ।	१२४३
बूंदी जिले में सडक निर्माण के लिये नियत धन राशि ।	१२४४
जयपुर में डेरी और दूध संग्रह करने की योजना ।	१२५२
महात्मा गांधी रोड व स्टेशन रोड का रेल्वे क्रोसिंग गेट, बीकानेर ।	१२५४
सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के लेखाओं की जांच ।	१२५७
सतवाडी ग्राम के नाले की पुलिया ।	१२५९

स्तम्भ

नगरपालिका कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं। १२५९

बन्दूकों के लाइसेन्स की फीस । १२६०

कदमाली नदी पर पुल, निम्बाहेडा । १२६३

जयपुर शहर के चांदपोल दरवाजे पर ट्राफिक । १२६४

नोहर सब-डिवीजन में सडक निर्माण कार्य । १२६६

जयपुर शहर की सडकें । १२७०

सांचोर की जल-प्रदाय योजना । १२७०

सुमेरपुर मीनमाल बस सर्विस वाया थूर गांव । १२७२

पावर हाउस, जयपुर के मीटर रीडर । १२७४

देवगढ में बिजली । १२७६

कुशलगढ़-बांसवाडा सडक । १२७७

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नापासर की इमारत ।

नाथद्वारा तहसील में सडकों के लिये ली गई भूमि का मुआवजा ।

नीमका थाना-पाटन सडक ।

स्थगित प्रश्न

[२७-२-१९६३ का]

लाखेरी नगरपालिका के फूड इन्स्पेक्टर । १२७८

अधिक अनुदानों की मांगें, १९५८–५९ पर मतदान

निम्नांकित अधिक अनुदानों की मांगें सदन में प्रस्तुत की गई जो सदन द्वारा स्वीकार की गई :—

क्र० सं०	मांग सं०	मुख्य शीर्षक
१	८७	९—स्टाम्प्स ।
२	८८	१२—वाहनों पर कर

संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	मांग सं०	मुख्य शीर्षक
३	८९	१८–साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्ध ग्रन्य राजस्व व्यय ।
४	९०	२८–कारागृह तथा बन्दी बस्तियां ।
५	९१	२९–पुलिस ।
६	९२	३७–शिक्षा ।
७	९३	३९–जन स्वास्थ्य ।
८	९४	५०–नागरिक निर्माण कार्य ।
९	९५	५५– अविवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन ।
१०	९६	ता–राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

उपरोक्त मांगों पर कुल १० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । सम्बन्धित मंत्रियों के उतर के पश्चात् ७ कटौती प्रस्ताव वापस लिये गये एवं ३ सदन द्वारा अस्वीकार किय गये

३. राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६३

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

सदन की बैठक ५ बजकर १ मिनिट पर गुरुवार, दिनांक ७.मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

वृहस्पतिवार, दिनांक ७ मार्च, १९६३ की कार्य सूचि

(१) कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति ।

(२) अनुपूरक अनदान की मांग संख्या ५३, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन

(३) अन्य मांगों पर मुख-बन्ध ।

(४) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापन, विचार- विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १७३ का उत्तर देखिये)

१. राज्य सरकार की स्वीकृति से राजस्थान में फैमिली प्लानिंग के लिये सन् १९६१-६२ में १२ जिलों में सब-कमेटियां बनाई गई है वे जिले निम्नलिखित हैं :—

(१) उदयपुर (२) बीकानेर (३) पाली (४) अलवर (५) जोधपुर (६) अजमेर (७) गंगानगर (८) भरतपुर (९) कोटा (१०) दौसा (जयपुर) (११) भीलवाडा (१२) बांसवाडा ।

(२) सब-कमेटीज की मीटिंग निम्नलिखित जिलों में निम्नलिखित तारीखों को हुई :

जिले का नाम	मीटिंग की तारीख
भरतपुर	२३-६-६२
गंगानगर	२९-६-६२
अलवर	११-९-६२
अजमेर	२-१०-६२, २२-१०-६२
जोधपुर	१२-१२-६२
पाली	२०-८-६२

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १७८ का उत्तर देखिये)

BUNDI DISTRICT

No.	Name of work.	Sanctioned cost.	Budget Estimate.	Final Grant	Expenditure.
1.	Itawa to Lakheri Laban.	3,75,000/-	56,000/-	39,300/-	44,361/-
2.	Metalled road from Keshorai Patan to Laban.	7,00,000/-	55,000/-	86,800/-	82,164/-
3.	Metalling remaining miles of Bundi Lakheri road via Gandoli including C.D. works.	2,75,000/-	—	7,100/-	7,118/-
4.	M/R from Bundi to Chittor (P.L.)	6,00,000/-	55,000/-	89,800/-	87,295/-
5	B/T of road from Lakheri to Tonk	94,000/-	12,000/-	11,800/-	11,844/-
6.	B/T of road from Bundi to Chittor	2,66,000/-	50,000/-	27,100/-	27,136/-
7.	M/R from Bundi to Loicha via. Silore	4,90,000/-	50,000/-	61,800/-	61,840/-
8.	M/R from Indergarh to Karawar	2,10,000/-	50,000/-	47,200/-	47,279/-
9.	Construction of Bridge over Mez river	3,00,000/-	50,000/-	1,000/-	1,053/-
10.	Construction of Bridge over Ghora Pachar river	2,00,000/-	50,000/-	..	..
11.	Road from Balapur to Bundi	3,00,000/-	30,000/-	..	..
			4,58,000/-	3,71,900/-	3,70,090/-
	Less probable savings as per Budget		87,000/-		
		TOTAL Rs.	3,71,000/-	3,71,900/-	3,70,090/-

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १८६ का उत्तर देखिये)

List of Heads taken up for construction in Nohar Sub- Divn. since 1952 to 1962

S.No.	Name of work	Miles.	Whether completed or in progress	Sheduled to be completed
1.	Constn. of Bhadra, Jhansol Road up to Commca border with Punjab	17	Completed	Completed
2.	Construction of Bhadra, Dabri Rd. upto Ocesen border with Punjab	16	-do-	-do-
3.	Constn. of Nohar, Phephada Road	16	Work in progress	By the end of III Five Year Plan
4.	Constn. of Nohar, Ujjalwas, Bhadra Road	25	-do-	IV Plan.
5.	Constn. of Nohar, Rawatsar Road	26	-do-	-do-
6.	Constn. of Rawatsar, Pallu, Saidarshahar Road	33	-do-	-do-.
7.	Constn. of Bhadra, Sahwa Road	26	Work in mile 4/0 to 19/0 is held due to exhaustion of Dhandla Kankar in the approved quarries.	By the end of III Five Year Plan.

[परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १९१ देखिये)

L'st of work charged Meter Reader workirg from 1950 to 1961.

S.No.	Name.	Father's Name.	Date of appointment
1.	Shri Madan Lal	Sita Ram	12-9-50
2.	Shri Babu Lal	Roop Chand	1-5-51
3.	Shri Ladu Ram	Hardev Ram	16-10-51
4.	Shri Basant Lal	Amritlal	29-4-52
5.	Shri Madan Mohan	Bhanwari Lal	1955
6.	Shri Gheesa Lal	Ladu Ram	1957
7.	Shri Durga Prasad..	Kanhya Lal	1957
8.	Shri Jodh Raj	Ram Narain	1957
9.	Shri Ram Saran	Govind Ram	1957
10.	Shri Radhey Shyam	Roop Narain	1958
11.	Shri Rowar Mal	Badri Narain	1960

परिशिष्ट ५

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्नोत्तर १९ देखिये)

सूचि अनुज्ञा-पत्र खाद्य पदार्थ, नगरपालिका, लाखेरी अन्तर्गत नियम - ७ राजस्थान खाद्य पदार्थ निरोधक नियम, १९५६

दिनांक	लाईसेन्सों की सं०		
३-१-६३	५	२१-१-६३	१
४-१-६३	२	२२-१-६३	३
५-१-६३	१	२५-१-६३	३
७-१-६३	४	४-२-६३	५
८-१-६३	२	१२-२-६३	५
१०-१-६३	४	२२-२-६३	१
१५-१-६३	२	२४-२-६३	१
१७-१-६३	२		३९
१९-१-६३	२		

परिशिष्ट ६

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्न)

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नापासर की इमारत

१९४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर):-- क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, नापासर की वर्तमान इमारत में परिवर्तन एवं परिवर्धन के लिये कब कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

(२) क्या उक्त स्वीकृत धनराशि से उपरोक्त परिवर्तन एवं परिवर्धन किये जा चुके हैं ? अगर नहीं, तो कब तक किये जावेंगे ?

(३) उपरोक्त केन्द्र के लिये दस हजार की धनराशि जो जन सहयोग के रूप में स्थानीय किसी दानी ने दी थी उसका अब तक कोई उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(१) २१,०००) की धनराशि दिनांक ११-४-६२ को स्वीकृत की गई ।

(२) जी नहीं। आशा है आगामी वित्तीय वर्ष में किये जावेंगे ।

(३) यह धनराशि पी० एम० एंड एच० ओ० बीकानेर द्वारा विकास अधिकारी को उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु दी जा चुकी है। आशा है पंचायत समिति इस कार्य को शीघ्र पूरा करेगी ।

नाथद्वारा तहसील में सडकों के लिये भूमि का मुआवजा

१९५. **श्री विजयसिंह झाला**, (नाथद्वारा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) नाथद्वारा तहसील में नेशनल हाई वे तथा अन्य सडकों के निर्माण में ऐसी कुल कितनी भूमि ली गई जिसका मुआवजा अभी तक नहीं चुकाया गया ? तथा भूमि किस किस की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) जिन व्यक्तियों की भूमि ली गई है उनको मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है ?

(३) अभी तक कितना मुआवजा देना शेष है तथा संबंधित व्यक्तियों को कब तक मुआवजा दे दिया जायगा ?

क्या इस कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिये सरकार कोई विशेष व्यक्ति नियुक्त करना उचित नहीं समझती है ?

उत्तर

(१) सूची प्रस्तुत है।

(२) जी हाँ।

(३) राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त होते ही ।

परिशिष्ट

जी नहीं ।

नाम खातेदारान	रकबा जमीन बीघा	बिस्वा
१. श्री तुलसीदास पुत्र छगनलाल सा० ओडन नाथद्वारा	–	१
२. श्री भैरा पुत्र रामा बलाई उपरेली ओडन	–	१४
३. श्री लालू पुत्र रामा बलाई	–	९
४. श्री गोवन्दा पुत्र केवल श्री लालीया पुत्र रामा श्री रूपा पुत्र नानू श्री पूनमचन्द नाथूलाल पुत्र हुकमीचन्द महाजन सा० उपरेली ओडन	२	१
	३	५

नीम का थाना पाटन सड़क

१९६. **श्री छोटूराम** (नीम का थाना)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नीम के थाने से पाटन को जाने वाली सड़क १९५२ में प्रथम योजना काल में स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो अभी तक वह संपूर्ण क्यों नहीं हुई है ?

उत्तर

जी हां । कार्य पूर्ण हो चुका है ।

शुद्धि पत्र

(बुधवार, दिनांक ६ मार्च, १९६३)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२२६	अंतिम से ४	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१२२७	११	नये ग्रड	नये ग्रेड
१२३१	७	(श्री हरीश्चन्द्र) :	(श्री हरिश्चन्द्र) :
१२३१	अंतिम से ३	श्री दलपतसिह (आबू) :	श्री दलपतसिंह (आबू) :
१२३३	अन्तिम से ३	नें मीटिग	ने मीटिंग
१२३४	१	स्वास्थ्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां :	स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) :
१२३४	१६	न उत्तर	ने उत्तर
,,	२५	श्री योगेन्द्रनाथ हु ा	श्री योगेन्द्रनाथ हुडा
,,	२६	औ से	और से
१२३५	३	रि क्वेस्ट	रिक्वेस्ट
,,	४	que s	Don't request
,,	५	impor nce	importance
१२३५	१०	Bel ttle	Be little
१२३६	४	इन्स्पक्ट्रेशन्स	इन्स्पेक्शन्स
,,	२०	वहां वी	वहां की
,,	३२	खालीवीकानेर	खाली बीकानेर
,,	अन्तिम से ५	महुत्व	महत्व
१२३७	१	श्री अ र्सिंह	श्री अमरसिंह
,,	११	मारतों	इमारतों
,,	अन्तिम से ५	Ome	Home ?
१२३८	अन्तिम से ४-५	(श्री दौलतराम सारन) :	(श्री दौलतराम सारण)
१२३९	शीर्ष	(श्री दौलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
,,	अन्तिम से ३	मां,	मांग
१२४१	१	बारे म	बारे में

१	२	३	४
१२४१	५-६	आवश्वासन	आश्वासन
१२४२	१९	श्री रामानन्द अग्रवाल :	श्री रामानन्द अग्रवाल ।
,,	२०	विद्युत् कनैण्डशस	विद्युत् कनेक्शन्स
१२४३	५	(श्री परसराम मदेरना) :	(श्री परसराम मदेरणा) :
१२४५	२	रक में	रकमें
,,	८	उस——	उसका कार्य
१२४५ से १२४७	शीर्षक	–६मार्च,	–६ मार्च,
१२४६	अन्तिम से ५	लप्स होगया	लैप्स होगया,
१२४७	२१	श्री विजयसिंह झाल	श्री विजयसिंह झाला
१२४८	अन्तिम से ३	सकत है जवाब देन	सकते है जवाब देने
१२४९	१३	ह ।	है ।
,,	१९	गये	गये
१२५०	१८	बनवान	बनवाने
,,	२१	मिलन	मिलने
१२५१	१०	Honble	Hon'ble
,,	११-१२	,,	,,
,,	१५	(सांवोर)	(सांचोर)
१२५३	शीर्षक	प्रश्नोंत्तर–६ माच,	प्रश्नोत्तर–६ मार्च,
१२५५	शीर्ष	(श्री मनिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१२५८	१४	श्री मथुरादास मथुर :	श्री मथुरादास माथुर:
१२६९	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर ६ मार्च, १९६३ तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर––६ मार्च, १९६३ तारांकित प्रश्नोत्तर
१२७१	१६	मम्पूर्ण	सम्पूर्ण
१२७३	शीर्षक	–६ माच,	–६ मार्च,
१२७५	शीर्षक	प्रश्तोत्तर	प्रश्नोत्तर
१२८०.	२१	Si	Sir,
१२८१	१३	श्री सतीशचन्द अग्रवाल :	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :
१२८३	१९	"205—(1)	" 205—(1)
१२८४	३	Showing	Sh.owing
१२८४	७	ademand	a demand.
१२८५	शीर्षक	अदनुान	अनुदान
,,	अन्तिम	द या	दिया

१	२	३	४
१२८५	अन्तिम से ४	यामने	सामने
१२८६	३	arm o"r	armour
,,	१७	atteht	at the
,,	अन्तिम से ५	naturre	nature
१२९३	शीर्षक	८७–स्टाम्प्स्	स्टाम्प्स
१२९४	१	स्टाम्पस्	स्टाम्प्स
१२९५	१७	सैंविटटी	सैंविटटी
१२९७	शीर्षक	संख्या ८८–६ मार्च, ६३–वाहनों पर कर	संख्या ८७–६ मार्च, ६३–स्टाम्प्स
१३०३	शीर्षक	मांगों	वाहनों
१३०७	१२	लकर	लेकर
१३१०	२०	एसी	ऐसी
१३११ से १३३८	शीर्षक	अधिक अनुदान सम्बन्धी–६ मार्च, ६३–मांगों पर वाद-विवाद	अधिक अनुदान की मांग संख्या ८९–६ मार्च, १९६३–साधारण राजस्वों इत्यादि
१३१२	शीर्षक	—	१३१२
१३१९	अन्तिम	अधिअ जमीन	अधिक जमीन
१३२०	२	हुए	हुए
१३२४	२०	श्री रामानाद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	२२	woud	
१३२५	शीर्ष	(श्री योगन्द्रनाथ हाडा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हूडा)
१३२७	१	श्री योगन्द्रनाथ हाडा :	श्री योगेन्द्रनाथ हाडा :
१३३७	अन्तिम से ९	श्री दयोपतिसिंह	श्री दयोपतसिंह
१३३८	१०	अनुमान	अनुदान
१३४३ से १३५९	शीर्षक	माग संख्या ८९–६ मार्च, ६३–साधारण राजस्वों इत्यादि	अधिक अनुदान की मांग संख्या ९०–६ मार्च, १९६३–कारागृह इत्यादि
१३४८	८	भिम्बाहडा	भिम्बाहेडा
,,	९	वाल माननीय सदस्य न,	वाले माननीय सदस्य ने
,,	१४	बड	बड़े
,,	२०	punshment	punishment
,,	२५	सोचन	सोचने
,,	२७	करन	करने
,,	३०	द i	देने

१	२	३	४
१३४८	३२	समझत्र	समझते
,,	,,	हमन	हमने
,,	३३	जल कमीशन की नियुक्ति	जेल कमीशन की नियुक्ति
१३४९	अन्तिम से ८	सब-जल	सब-जेल
,,	अन्तिम	खल खलन	खेल खेलने
१३५०	अन्तिम से ५	वाल	वाले
,,	अन्तिम	जल	जेल
१३५५	१८	फोर ेंट	फोर पेन्ट
१३५६	अन्तिम	टम्पोररी	टेम्पोरेरी
१३५७	१	पागलखान	पागलखाने
,,	६	अकोडिग	अकोर्डिंग
१३६२	६	वाच स्कवड	वाच स्क्वेड
१३६४	२४	मुझ	मुझे
,,	१३	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :
१३६९	शीर्षक	अधिक अनुदान की मांग—६ मार्च १९६३—संख्या ३७—शिक्षा	अधिक अनुदान की मांग—६ मार्च, १९६३—संख्या ९१—पुलिस
,,	२३	ए हैं	हुए हैं
,,	अन्तिम	moton ?	motion.
१३७०	८	श्री सभापति :	श्री सभापति :
१३७१ से १३७४	शीर्षक	संख्या ३७—शिक्षा	संख्या ९२—शिक्षा
१३७२	१५	नशनलाइज	नेशनलाइज
,,	अन्तिम से २	श्री माणिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१३७३	शीर्षक	अि क	अधिक
१३८५	१७	मझको	मुझको
,,	१८	वतन्त्रता	स्वतन्त्रता
,,	१९	योग	सहयोग
,,	अन्तिम से ५ व ३	तनख्वा	तनख्वाह
१३८६	१७	शरू	शुरू
१३८९	शीर्षक	अधिक अनुदान की—६ मार्च, १९६३ मांग संख्या	अधिक अनुदान की मांग—६ मार्च, १९६३—संख्या
१३९३	५	गय	गये
,,	९	हुआ	हुआ:—

१	२	३	४
१३९३	१४	गय rhabilitation	गये rehabilitation
,,	१६	करन हतु)]	करने हेतु)]
,,	१९	न	ने
,,	अन्तिम से २	रह	रहे
,,	शार्षक	९६ ऋण	९६–ऋण
१३९५	अन्तिम से २	श्री योपतसिह	श्री श्योपतसिह
१३९६	अन्तिम से ८	घाट	घाटे
,,	अन्तिम से ४–५	वलन्स	बैलेन्स
,,	अन्तिम	जान वाल थ	जाने वाला था
१३९८	अन्तिम	देखत	देखते
१३९९	शार्षक	अ ाक	अधिक
१४००	अन्तिम से ५	सोचन	सोचने
,,	अन्तिम से ४	आग	आगे
१४०१	शोर्षक	अनुदान मांग	अनुदान की मांग
,,	अन्तिम	वेल	बोल
१४०२	१६	ि ाल	बिल
,,	२५	काविल	काबिले
,,	२७	होंग	होंगे
,,	२८	करेंग	करेंगे
,,	२९	न	ने
,,	अन्तिम से ४	मुर्ता–-	—मुतल्लिक,
,,	अन्तिम	वार	बारे
१४०३	७	श्री श्योपतसंह	श्री श्योपतसिह
१४०४	७	Singh	Singh
,,	९	motion	motion
,,	१७	(हनमानगढ)	(हनुमानगढ)
१४०५	शोर्षक	अधिक अनुदान मांग-६ मार्च, ६३–संख्या ९६ ऋण इत्यादि	राजस्थान विनियोग (संख्या १)-६ मार्च, ६३–विधेयक, १९६३
,,	२	राजस्धान	राजस्थान
,,	५	(वित मंत्री)	(वित्त मंत्री)
१४०६	१२	की चेयर आज्ञा	चेयर की आज्ञा
१४०८	अन्तिम	परम्पर	परम्परा

१	२	३	४
१४१४	अन्तिम से ८	उसेका	उसका
१४२३	अन्तिम से ४	यु लाइजेशन	युटिलाइजेशन
१४२४	अन्तिम से ५	एस्टीमट्स	एस्टीमेट्स
,,	अन्तिम से ३	कर ते ह ।	करते हैं ।
१४२६	१	पडेंग,	पड़ेंगे,
,,	४	(वित्त गंत्री से)	(वित्त मंत्री से)
,,	८	उन्होंन	उन्होंने
,,	९	जावगी	जावेगी
,,	१४	ी मथुरादास माथुर :	श्री मथुरादास माथुर,
१४२७	१७	श्री मैरोंसह :	श्री भैरोंसिह :
,,	२०	p ease	please
,,	२३	श्री मैरोंसह	श्री भैरोंसिह :
,,	अन्तिम से २	श्री मैरोंसह	श्री भैरोंसिह :
१४२९	अन्तिम से ६	श्री मानिकचन्द सुरणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१४३५	२०	श्री योगेद्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	अन्तिम से २	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१४३८	३	reco ded	recorded
१४३९ से १४४२	शीर्षक	विनियोग संख्या १	विनियोग (संख्या १)
१४४१	९	ह,	है
१४४२	५	श्री मानक चन्द सुराणा	श्री मानिक चन्द सुराणा
१४५७	२	मारठ	इमारत